आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

मई 2023

क्रान्ति

मासिक

सहयोग राशि
30/- ₹

समलैंगिकता :

प्रकृति से विद्रोह को प्रोत्साहन क्यों ?

ISO 9001:2008

YOUR LIFE PAVING COMPANY

Hindustan Group
Established Since 1977
Hindustan
Pavers & Blocks

The offered high quality range of Interlock Pavers adds grace to the looks of interiors and exteriors of residential as well as commercial buildings.

Owing to their features like magnificent appearance, excellent finish, impact resistance and accurate cutting, these pavers are highly demanded in the market.

These pavers are processed by our experts using high grade raw materials in conformity with the international parameters.

Product Range

- **SLOT BLAST SERIES**
- **STANDARD** *(PLAIN METAL PRESS SMOOTH FINISH)*
- **RUBBER MOULD SERIES**
- **TILES**
- **CEMENT BLOCKS**
- **OTHER CEMENT PRODUCT**

Manufacturers of Solid Concrete Block, Interlocking Pavers, Concrete (AAC) Blocks, Tiles, Designer Concrete Benches & Allied Concrete Products.

Opp. Colvale Jail, Karaswada,
Mapusa, Goa

+91 982 242 77 00, 772 099 77 00
+91 880 504 77 00, 880 503 77 00

www.hindustangroupgoa.com

hindustansales@gmail.com
hindustanindustries@gmail.com

DIRECTORS

MEHMOOD KHAN **ANWAR KHAN** **AKBAR KHAN**

Website Link :
www.kantimasik.com

संपादक
शिब्ली अरसलान
editorkantimasik@gmail.com

प्रबंधक
नईम ख़ान
+91 9891160829

सहयोग राशि
एक प्रति 30/- रु॰ एक वर्ष 350/- रु॰
दो वर्ष 670/- रु॰ तीन वर्ष 950/- रु॰
चार वर्ष 1200/- रु॰ पांच वर्ष 1400/- रु॰
आजीवन रु॰ 4000/-
सऊदी अरब और खाड़ी के देशों के लिए 110/- रियाल
यूरोप व अमेरिका के लिए 40/- US डॉलर

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए सम्पर्क करें :

कार्यालय :
कान्ति मासिक, डी-314, दावत नगर,
अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर,
ओखला, नई दिल्ली-110025

हेल्पलाइन न॰
+91 8920589292

Account Detail
NAME : KANTI
A/C NO : 0990839195
IFS CODE : IDIB000J029
TYPE : CURRENT
BANK : INDIAN BANK
BRANCH : JAMIA MILLIA ISLAMIA
NEW DELHI - 110025

चेक / ड्राफ्ट 'कान्ति' के नाम से बनवाएं

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), डी-314 दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट प्रेस, 2035, क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली - 110006 से मुद्रित।
फ़ोन: 9818799223
संपादक: शिब्ली अरसलान

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

वर्ष 32 अंक 11 मई 2023

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब



कान्ति
मासिक

इस अंक में

मूल प्रश्न 04
व्यस्तता से पहले अवकाश
एक सुनहरा अवसर
शिब्ली अरसलान

चिंतन 07
नैतिक संकट की व्यापकता और हम?
डॉ॰ फ़ज़लुर्रहमान फ़रीदी

सौंदर्य बोध 13
सत्य का उद् घोष
हमूदा अब्दुल-आती

मुख्य स्तंभ 17
'समलैंगिकता' : प्रकृति से विद्रोह को प्रोत्साहन क्यों ?
सुफ़ियान अहमद

निष्कर्ष 21
समलैंगिकता : प्रोत्साहन नहीं समाधान हो
डॉ. रज़ीयुल इस्लाम नदवी

समाधान 27
क्या हो सही दृष्टिकोण ?
सय्यद जलालुद्दीन उमरी

कविता 30
इन्सान को इन्सान बनाएं
हफ़ीज़ मेरठी

सरोकार 31
बर्बादी से बढ़ता जल संकट
जितेंद्र गौतम

विवेचना 35
75 वर्ष संकल्प एवं संघर्ष के
अभय कुमार

विचार 38
नफ़रत के ख़िलाफ़ सकारात्मक आह्वान
डॉ. प्रदीप कुमार

महिला जगत 42
स्त्री अधिकार : दासी बनाम 'पुरुषनुमा'?
मुत्तलिब मिर्ज़ा

कहानी 45
मोटेराम जी शास्त्री
मुंशी प्रेमचंद

आख़िरी पन्ना 48
सोच-विचार का आमंत्रण
नसीम ग़ाज़ी

मूल प्रश्न



व्यस्तता से पहले अवकाश

एक सुनहरा अवसर

शिब्ली अरसलान

जीवन की एकरसता जीवन को नीरस बना देती है, न उसमें आनन्द रहता है और न आकर्षण। प्रतिदिन एक से व्यवहार से, एक से कार्यक्रमों से व्यक्ति ऊब जाता है, मन उचटने लगता है। जीवन आकर्षणहीन होकर यांत्रिक मशीन की तरह चलता रहता है। जीवन और जगत् के प्रति मानसिक उल्लास व उत्साह समाप्त-सा हो जाता है। उसे सुन्दरता में भी कुरूपता दृष्टिगोचर होने लगती है। दैनिक कार्यों के अतिरिक्त उसकी कार्यक्षमता समाप्त-सी हो जाती है। इसलिए मानव जीवन में समय-समय पर विश्राम और विनोद के लिए कुछ अवकाश के अवसर आवश्यक हो जाते हैं।

देश के कई भागों में मई ही से स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालय में गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। आमतौर पर ये छुट्टियां डेढ़ से दो महीने की होती हैं। ज़्यादातर छात्र इन छुट्टियों के दिनों को ऐसे ही बिना किसी योजना और सूझ-बूझ के बिताते हैं। समृद्ध परिवारों के छात्र मनोरंजन के लिए कहीं चले जाते हैं, शेष छात्र फ़िल्में देखकर, सो कर और सोशल मीडिया पर फ़ोटो व वीडियोज़ अपलोड करके दिन काटते हैं या पूरा दिन नेट सर्फिंग में बिताते हैं। अधिकांश युवा अपने ख़ाली समय को 'मौज-मस्ती करने का समय' के रूप में लेते हैं। मौज-मस्ती का न तो कोई विरोध है और न ही ऐतराज़। युवा जीवन के जिस पड़ाव पर हैं, वहां थोड़ी-बहुत मौज-मस्ती ज़रूरी जैसी है। यदि युवा ऐसा नहीं कर रहे हैं, तब यह बात थोड़ी-सी अटपटी होगी अन्यथा ऐसा होना ही चाहिए। लेकिन गड़बड़ी वहां होती है, जब यह मौज-मस्ती ही आपके जीवन के केंद्र में आ जाती है।

हम यह जानते हैं कि संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु है समय, क्योंकि जो समय बीत जाता है उसे वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्राणियों के जीवन का समय सीमित है और उसका एक-एक पल बड़ी तेज़ी से गुज़रता जा रहा है। छुट्टियों का महत्व और मूल्य समझें। छुट्टियों में आने वाले समय, लक्ष्य और भविष्य के लिए ख़ुद को और अधिक ऊर्जा के साथ तैयार करना चाहिए, जिससे आने वाली चुनौतियों का सामना किया जा सके। ईश्वर के अंतिम दूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने एक अवसर पर कहा था कि पांच चीज़ों को पांच चीज़ों पर ग़नीमत समझो, उन पांच बातों में एक बात ये भी है–"अवकाश को व्यस्तता से पहले ग़नीमत समझो!" यदि हम चाहें तो इन क़ीमती अवकाश की घड़ियों का सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं।

विश्लेषण इस रूप में करें कि क्या मुझे अपने ख़ाली समय का इस्तेमाल इसी प्रकार करना चाहिए? ख़ुद से यह प्रश्न करें कि क्या मेरे पास कोई और विकल्प है, जहां मैं अपने ख़ाली समय का इस्तेमाल कर सकता हूं? यह भी जानने की कोशिश करें कि ख़ाली समय का इस तरह इस्तेमाल करने से मुझे कितना लाभ है और कितना नुक़सान। इस कसौटी पर आप अपने ख़ाली समय के इस्तेमाल को कसकर अपने लिए कुछ अच्छे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जिन विचारों के पीछे कोई उद्देश्य नहीं होता, जिनके उपयोग की कोई योजना नहीं होती, वे मन-मस्तिष्क को विकृत कर देते हैं। छुट्टियों में पढ़ाई-लिखाई का टेंशन नहीं होता। ऐसे में अपने मन के अंदर झांकने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी कमियों और अच्छाइयों को जानने का प्रयास करना चाहिए और अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। इस कार्य में मदद के लिए गुरुजनों और परिवारजनों को आगे आना चाहिए। लोगों की प्रायः यह शिकायत रहती है कि क्या करें। काम तो बहुत से करने हैं पर समय नहीं मिलता है। बहुत से काम जिन्हें हम बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी समझते हैं, करना चाहते हुए भी उन्हें समयाभाव से नहीं कर पाते। समय का मूल्य आंकना बड़ा ही कठिन है। एक क्षण भर के आलस्य या देरी से हम बहुत बार महान लाभ से वंचित रह जाते हैं।

छुट्टियों का उपयोग व्यक्तित्व विकास के लिए किया जा सकता है

अभिभावकों को ये सलाह दी जानी चाहिए कि गर्मियों के

इस लम्बे अवकाश में बच्चों को कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करें। छुट्टियों के दौरान बच्चों के खेलकूद, मनोरंजन, खानपान, और समुचित देखभाल की ज़रूरत होती है और यदि ऐसा किया जा सका तो छुट्टियां यादगार और मनोरंजन से भरपूर हो सकती हैं। अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों के सम्पूर्ण विकास के लिए उन्हें अलग-अलग क्षेत्रों में प्रतिभावान बनाएं और जो उन्हें इतना लम्बा समय छुट्टियों के लिए मिलता है उसे बच्चों के विकासशील अनुभव के लिए बिताना चाहिए। कई छात्र गर्मियों की छुट्टियों के दौरान शौक़ पूरा करने वाली कक्षाओं में शामिल होते हैं। गर्मी के अवकाश के दौरान प्रायः हर बड़े शहर में समर कैंप भी चलाए जाते हैं। इन कैम्पों में कई प्रकार की गतिविधियां चलाई जाती हैं जो न केवल मज़ेदार हैं, बल्कि सीखने का काफ़ी अनुभव भी प्रदान करते हैं।

छुट्टियां अपने परिवार के साथ जुड़ने के लिए एक बढ़िया समय है

आज भले ही शिक्षा का प्रत्यक्ष प्रकाश गांवों और ग़रीबों के अंधेरे घर में भी रोशनी फैला चुका है, लेकिन अंदर-ही-अंदर विभिन्न कुरीतियों से हमारा समाज नष्ट हो रहा है, नैतिकता और चरित्र, मानव करुणा और सद्भावना, स्वहित और स्वार्थ की तह में दबी जा रही है और सभ्यता और संस्कृति को रौंदा जा रहा है। ऐसे में अपने परिवार और पारिवारिक संस्कार से जुड़ कर हमारी नई नस्ल कुछ बेहतर सबक़ ले सकती है।

> **ईश्वर के अंतिम दूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने एक अवसर पर कहा था कि पांच चीज़ों को पांच चीज़ों पर ग़नीमत समझो, उन पांच बातों में एक बात ये भी है-"अवकाश को व्यस्तता से पहले ग़नीमत समझो!" यदि हम चाहें तो इन क़ीमती अवकाश की घड़ियों का सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं।**

यह अपने शौक़ और जुनून को पूरा करने का भी एक मौका है

अलग-अलग अवकाशों पर अलग-अलग योजना बनाकर और उनमें से ज़्यादातर योजनाओं को उसी अनुरूप सफल बनाना एक अच्छा विचार है। प्रतिस्पर्धा के आधुनिक युग में तो समय की महत्ता और भी बढ़ गई है। आज समय गंवाने का अर्थ है प्रगति की राह में स्वयं को पीछे धकेलना। रहीम ने लिखा है कि समय पर अगर कुछ बना लिया, तो उससे बड़ा और कौन-सा लाभ है? और समय पर चूक गये तो चूक ही हाथ लगती है। बुद्धिमानों के मन में समय की चूक सदा कसकती रहती है। मनुष्य की सफलता और समय का सदुपयोग दोनों ही एक-दूसरे के पूरक हैं। विद्यार्थी जीवन में समय की उपयोगिता तो और भी बढ़ जाती है, क्योंकि यह वह समय है जब मनुष्य के चरित्र का निर्माण होता है। इस अवस्था में यदि वह समय के महत्व को नहीं समझ पाता तो आगे उसके महत्व को आत्मसात् करने में बहुत कठिनाई होती है।

साहित्य का अध्ययन छुट्टी का अच्छा सदुपयोग माना जाता है

पाठ्यक्रम की पुस्तकें ही हमारे ज्ञान की सीमा न हों, हमें अपनी अभिरुचि के अनुसार इस सीमित क्षेत्र से बाहर आकर ज्ञान की विशाल दुनिया की झांकी प्राप्त करनी चाहिए। पढ़े-लिखे व्यक्तियों का मनोरंजन करने वाली वस्तुओं में साहित्य का स्थान सर्वप्रथम है। साहित्य जैसा साथी संसार में कोई नहीं हो सकता, चाहे धूप हो या वर्षा, ग्रीष्म हो या शीत वे हर समय आपको संगति दे सकता है, आपका मनोविनोद कर सकता है। यह साथी एक ऐसा साथी है, जो मस्तिष्क के साथ-साथ हृदय को भी शान्त करता है। यह साथी हमें अतीत की मधुर स्मृतियों की याद दिलाता हुआ, वर्तमान के दर्शन कराता हुआ भविष्य की ओर अग्रसर करता है। यह साथी आपको अनेक आनन्द दे सकता है, इससे आपकी न कभी लड़ाई हो सकती है न झगड़ा। यदि आप चाहें तो घर बैठे ही बैठे देश-देशान्तर के भ्रमण का आनन्द ले सकते हैं। यह साथी आपको ज्ञान की शिक्षा दे सकता है, दुःख में धैर्य और संयम भी सिखा देता है। शिक्षाप्रद उपन्यास और कविताओं के अध्ययन से मन ही मन मानव के व्यक्तित्व का विकास भी होता है। परन्तु साथी का चुनाव अपनी योग्यता और विचारों के अनुसार होना चाहिये। इतना ध्यान रखना चाहिये कि वह साहित्य सत्साहित्य हो, ऐसा न हो कि वह आपको पतन की ओर अग्रसर करने में सहायक सिद्ध हो जाए।

समाज सेवा भी छुट्टियों का शानदार उपयोग है

यदि हम अपने अवकाश के समय को समाज सेवा में व्यतीत करें तो हमारी भी उन्नति होगी और देश एवं समाज का उत्थान भी। अशिक्षित को शिक्षा का महत्त्व बताएं, स्वयं भी अपने गांव, अपने मुहल्ले, अपने घर की सफ़ाई में अपना समय व्यतीत करें। अपने-अपने गांव तथा मुहल्ले में पुस्तकालय, आर्ट क्लब तथा युवा मंच की स्थापना करके अपने ग्रीष्मावकाश को सफलतापूर्वक व्यतीत कर सकते हैं। कवि गोष्ठी तथा सांस्कृतिक सभाएं भी समय के सदुपयोग के लिए उपयुक्त है।



with best compliment from

Md. Abbas
Mumbai

"और याद करो जबकि तुम्हारे रब ने घोषणा कर दी कि "वह क़ियामत के दिन तक लगातार ऐसे लोग इसराईलियों पर नियुक्त करता रहेगा जो इनको बहुत ही भारी अज़ाब देंगे। " यक़ीनन तुम्हारा रब सज़ा देने में जल्दी करता है और यक़ीनन ही वह माफ़ी और दया से भी काम लेने वाला है।

(क़ुरआन, 7:167)

नैतिक संकट की व्यापकता और हम?

चिंतन



डॉ० फ़ज़लुर्रहमान फ़रीदी







मौजूदा दौर की एक मौलिक समस्या व्यक्तिगत एवं सामूहिक नैतिक संकट है। आज नैतिकता का ठोस एवं सुदृढ़ आधार मौजूद नहीं है। न नैतिक जीवन गुज़ारने की भावना पाई जाती है और न ऐसे प्रेरक मौजूद हैं जो इन्सान को नैतिक मूल्यों की पैरवी पर आमादा कर सकें। साथ ही सामूहिक माहौल भी ऐसा है जो इन मूल्यों के अनुसार चलना मुश्किल बनाता है, लेकिन इनके हनन को आसान बनाता है और इसके लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध करता है।

समाज-निर्माण से सम्बन्ध रखने वाली हर जिद्दोजुहद की कामयाबी किसी न किसी तरह की नैतिकता पर निर्भर होती है। साम्यवादी (कम्युनिस्ट) समाज यद्यपि नैतिकता एवं धर्म को रद्द करता है, लेकिन एक विशिष्ट नैतिकता को प्रसारित करना चाहता है। इस मक़सद के लिए वह भी ज़ोर-ज़बरदस्ती से काम लेता है और कभी सामाजिक संस्थाओं एवं संगठनों का इच्छानुकूल गठन करता है, ताकि उसके द्वारा निर्मित नैतिकता की बुनियादें मज़बूत हो जाएं।

पूंजीवादी व्यवस्था के बारे में विभिन्न विद्वानों ने एक विशिष्ट प्रकार के मूल्यों को पूंजीवाद के विकास का ज़िम्मेदार बताया है। जैसे वित्तीय नीति, टैक्स नीति और सम्पत्ति के सीमांकन की नीति। आप कितनी ही अच्छी योजनाएं बना लीजिए, मगर वे सफल नहीं हो सकतीं, जब तक कि उसके पीछे अपेक्षित नैतिक मूल्य विद्यमान न हों।

यह समस्या उस वक़्त और भी पेचीदा हो जाती है, जबकि पूरे समाज का कल्याण अपेक्षित हो, जैसे अगर आर्थिक प्रगति के साथ-साथ यह भी अपेक्षित हो कि इस प्रगति के लाभ जन-साधारण तक पहुंचें। आर्थिक प्रगति किसी विशेष वर्ग तक सीमित न रह जाए, बल्कि आम इन्सानों तक इसकी पहुंच हो और आर्थिक न्याय का प्रचलन हो। इस उद्देश्य के लिए विभिन्न नीतियां अपनाई जाती हैं। (देखिए Religion and the Rise of Capitalism) मगर ये न्याय हासिल करने में एक सीमित दूरी तक ही जा सकती हैं। इनकी कामयाबी व नाकामी अर्थ-तंत्र को चलाने वाले हाथों की ईमानदारी पर निर्भर है। इनके ज़िम्मेदारी के एहसास और त्याग-भाव पर निर्भर है। इन जैसे नैतिक गुणों को पल्लवित किए बग़ैर आर्थिक प्रगति की उपादेयता जन-साधारण तक नहीं पहुंच सकती। आर्थिक प्रगति एवं जीवन-स्तर की उच्चता जिन गुणों पर निर्भर होती है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण धन-लोलुपता एवं स्वार्थ है। इनमें और उन नैतिक गुणों में जो आम इन्सानियत को ज़िन्दगी की नेमतों से भर सकते हैं, विरोधाभास पाया जाता

है। इसलिए इन दोनों प्रकार के गुणों के बीच सन्तुलन एवं सामंजस्य पैदा करना ज़रूरी है। मगर अफ़सोस है कि वर्तमान भारतीय समाज में धन-लोलुपता और उच्च जीवन-स्तर की तलब छाती जा रही है और इसके मुक़ाबले त्याग की भावना जैसे गुण विलुप्त होते जा रहे हैं।

अर्थ-तंत्र के अलावा समाजी ज़िन्दगी के अन्य पहलुओं की तामीर भी नैतिक मूल्यों पर निर्भर है। मसलन आम इन्सानी सम्बन्धों की बुनियाद जब तक आपसी प्रेम एवं सहयोग पर आधारित न हो तो सुधार का हर क़दम उपद्रव का कारण बन जाता है। पारिवारिक ज़िन्दगी की बेहतरी के लिए जो क़दम भी महज़ कठोर क़ानून के रूप में उठाया जाता है, वह न्याय के बजाय स्वयं में ज़ुल्म का बहाना बन जाता है।

औरत सदियों से कमज़ोर रही है। उसे वे साधन भी उपलब्ध नहीं रहे जो पुरुषों को प्राप्त रहे हैं। इसलिए वह अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए सिर्फ़ हाथ-पैर मार सकती है, उन तक पहुंचना उसके लिए बहुत दुष्कर है।

स्त्री-पुरुष की समानता (Gender Equality) के तमाम दावों के बावजूद महिला आज भी कमज़ोर और मज़लूम है। उसके अधिकारों को लागू करने का अमल उसी वक़्त परिणामजनक हो सकता है, जबकि वह नैतिक वातावरण पैदा किया जाए जो उसे पुरुषों का अधीन न समझे बल्कि प्रेम एवं परस्पर सहयोग की भावना को बढ़ावा दे।

पारिवारिक जीवन की सुरक्षा के लिए ईसाई समाज में एक अर्से तक तलाक़ को तक़रीबन नामुमकिन बना दिया गया था। मगर इससे सामाजिक सुदृढ़ता तो क्या आती, ज़ुल्म और शोषण के विभिन्न रास्ते निकाल लिए गए। पति-पत्नी के स्वाभाविक सम्बन्धों की जगह ग़लत और अनैतिक तरीक़े आम हो गए।

भारत में पति की आज़ादी पर रोक लगाने के लिए तलाक़ के बाद उम्र भर भरण-पोषण की ज़िम्मेदारी डाल दी गई। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि तलाक़ के बाद भरण-पोषण हासिल करने के लिए कमज़ोर और असहाय औरत को अदालतों के इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं कि अन्ततः अधिकतर औरतें मायूस हो जाती हैं।

राजनीतिक जीवन में दलित वर्गों के लिए जो क़दम उठाए गए हैं वे बहुआयामी हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी मज़लूमियत और दमन ख़त्म नहीं हुए हैं। उनकी औरतों के शील-भंग की घटनाएं रोज़ाना अख़बारों में आती रहती हैं। उनकी बस्तियां उजाड़ी जाती हैं, उनके जान-माल तबाह किए जाते हैं। परन्तु विडम्बना यह है कि दलित लीडर उनकी पीठ पर सवार होकर उनकी बदहाली का मज़ाक़ उड़ाते हैं, अपनी दुनिया संवारते हैं और कमज़ोरों की बदहाली को सियासी ताक़त का माध्यम बनाते हैं।

यह नैतिक पतन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर हावी है। इसका बिगाड़ इतना व्यापक है, इसका अन्धेरा इतना गहरा है कि जनसाधारण के अलावा विशिष्ट जन भी परेशान हैं। सामूहिक जीवन में जिस तरह चरित्र-आचरण का फ़साद बरपा है, उसकी विवेचना की ज़रूरत नहीं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण नैतिक फ़साद ऐसे हैं, जिनका उल्लेख करना भावी संवाद के लिए आधार उपलब्ध कर सकता है।

सबसे अहम फ़साद हमारे समाज में इन्सानी ज़िन्दगी और मान-सम्मान का हनन तथा हिंसा और उपद्रव है। जिस किसी के पास शक्ति और साधन हैं, वह अपने मक़सद को हासिल करने के लिए

इस नैतिक संकट का दूसरा रूप यह है कि जिन नैतिक बुराइयों को व्यक्तिगत जीवन में लोग बुरा समझते हैं, उन्हें सामूहिक मामलों में अपनाने में संकोच नहीं करते, बल्कि इन बुराइयों को अब ऐब ही नहीं समझा जाता। मसलन बिजली की चोरी अब शहरों में आम है। टैक्स की चोरी के लिए बेशुमार बहाने प्रचलित हो गए हैं। सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए जो रक़में मंज़ूर की जाती हैं उनका बड़ा भाग नौकरशाहों की जेबों में चला जाता है।

हिंसा को क़ानून पर वरीयता देता है। पहले यह काम सिर्फ़ वे लोग करते थे जिनका पेशा अपराध और मादक-पदार्थ की तस्करी था। मगर अब यह रुझान शिक्षित युवकों और धनी लोगों तक फैल गया है। यहां तक कि नाबालिग़ लड़के और लड़कियों में हिंसा एवं अपराध की प्रवृत्ति तेज़ी से फैल रही है। नेतागण और उनके सहयोगी भी दुस्साहस से हत्याएं करते हैं, जिनका सुबूत चुनावी हिंसा है। अपराध और हिंसा को हमारे समाज में अब इज़्ज़त मिलने लगी है। इसका एक रूप यह है कि विभिन्न राजनीतिक दल चुनावों के अवसरों पर अपराधियों और हत्यारों को न केवल टिकट देते हैं बल्कि उन्हें मंत्री पद भी दिए जाते हैं।

वैवाहिक जीवन में हत्या की घटनाएं अब आम होती जा रही हैं, इनमें से कुछ मीडिया की नज़र में आ जाने की वजह से सामने आ जाती हैं।

इन्सानी ज़िन्दगी की अवमानना का सबसे संगीन पहलू यह है कि अब हत्या जैसा संगीन जुर्म अपने भौतिक एवं राजनीतिक हितों की पूर्ति का आम ज़रिया समझ लिया गया है। मामूली और तुच्छ हितों के लिए, धन-सम्पत्ति के लिए हत्याएं पहले भी होती थीं, मगर अब यह रुझान इतना तरक़्क़ी कर गया है कि विचारों के मतभेद भी इसी तरह हल किए जाते हैं। कुछ दिन पहले ख़बर आई थी कि दिल्ली में दो दोस्त युवक किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे, यहां तक कि एक ने दूसरे की हत्या कर दी। ट्रेनों में सीट के झगड़े और सिनेमा के टिकट लेने पर झगड़े भी कभी-कभी हत्या का कारण बन जाते हैं।

इन्सानी ज़िन्दगी की अवमानना का एक अत्यन्त घिनौना रूप नवजात शिशुओं की हत्या है। भारत में इस ज़माने में भी कुछ राज्यों जैसे केरल, उड़ीसा, बिहार इत्यादि में यह रिवाज है कि माएं ख़ुद दाइयों की मदद से अपनी नवजात बच्चियों की विभिन्न निर्मम तरीक़ों से जन्म के कुछ महीने बाद इस भय से हत्या कर देती हैं कि इनकी वजह से दहेज का इन्तिज़ाम करना पड़ेगा।

यह रुझान सिर्फ़ जन-साधारण में ही नहीं पाया जाता बल्कि प्रशासन के उन लोगों में भी बड़े पैमाने पर मौजूद है, जो शान्ति स्थापना के ज़िम्मेदार हैं।

“अर्थ-तंत्र के अलावा समाजी ज़िन्दगी के अन्य पहलुओं की तामीर भी नैतिक मूल्यों पर निर्भर है। मसलन आम इन्सानी सम्बन्धों की बुनियाद जब तक आपसी प्रेम एवं सहयोग पर आधारित न हो तो सुधार का हर क़दम उपद्रव का कारण बन जाता है।”

यातनाएं और हिरासत की मौतें अब रोज़ की घटनाएं बन गई हैं। यह उस देश में हो रहा है जहां लोकतंत्र क़ायम है, जहां मानवाधिकार के विभिन्न संगठन सरगर्म हैं।

हिंसा की इस व्यापकता का एक कारण यह है कि इन अपराधों में संलिप्त लोगों को यह यक़ीन है कि क़ानून की मशीनरी इतनी नाकारा है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क़ानून की पकड़ अगर कहीं सख़्त भी होती है तो वे रिश्वत के बलबूते पर इससे बच जाते हैं। दूसरा कारण उनका यह यक़ीन है कि मनमाने नतीजे बाहुबल से हासिल किए जा सकते हैं। इस सूरतेहाल की संगीनी का अन्दाज़ा आप इससे कीजिए कि आम नागरिक भी क़ानून से मदद लेने के बजाय बाहुबली से मदद लेना चाहते हैं, इसलिए लोग मुजरिमों और हथियार धारकों से मदद लेना चाहते हैं। दैनिक जीवन की आम सुविधाओं की प्राप्ति अब क़ानून की मदद से कठिन होती जा रही है। कुछ बड़े शहरों के बारे में यह बात मशहूर है कि छोटे दुकानदार शहर के दादा लोगों को 'टैक्स' देते हैं, ताकि वे ख़ैरियत से अपना कारोबार चला सकें।

इस नैतिक संकट का दूसरा रूप यह है कि जिन नैतिक बुराइयों को व्यक्तिगत जीवन में लोग बुरा समझते हैं, उन्हें सामूहिक मामलों में अपनाने में संकोच नहीं करते, बल्कि इन बुराइयों को अब ऐब ही नहीं समझा जाता। मसलन बिजली की चोरी अब शहरों में आम है। टैक्स की चोरी के लिए बेशुमार बहाने प्रचलित हो गए हैं। सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए जो रक़में मंज़ूर की जाती हैं उनका बड़ा भाग नौकरशाहों की जेबों में चला जाता है।

पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत राजीव गांधी ने अपने एक बयान में कहा था कि सरकार अगर एक रुपया मंज़ूर करती है तो एक पैसा ही जनता तक पहुंचता है। देश की सेवा के दावेदार राजनेता तो देश के धन पर अपना अधिकार समझते हैं।

जहां तक आम नैतिक मूल्यों का ताल्लुक़ है, उनका हाल और भी बुरा है। मामलात में धोखा और ख़ियानत, खाद्य पदार्थों में मिलावट, कम नापना और तौलना, एहसासे-ज़िम्मेदारी और कर्तव्यपालन से बचना, झूठ, फ़रेब वर्तमान भारतीय समाज में बुरी तरह

प्रचलन में है। ये तमाम बुराइयां अपने प्रारूप और प्रभाव के एतिबार से समाजी ज़िन्दगी में फ़साद पैदा करती हैं। इनसे अवाम और विशिष्ट जन सभी परेशान हैं।

इस नैतिक संकट ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि जिसमें नैतिक गुणों को अपनाना बहुत मुश्किल हो गया है। ईमानदारी अपनाना कठिन हो गया है और बेईमानी आसान व परिणामजनक। क़ानून का पालन जब सुरक्षा प्रदान नहीं करता, तो उसके उल्लंघन में ही ख़ैरियत है। शान्तिप्रिय नागरिक महत्वहीन है और बाहुबल वाला सम्माननीय। अगर आप धोखाधड़ी करने में माहिर हैं तो दौलत और सत्ता आपके पैर चूमेगी। लेकिन अगर आप सीधे और साफ़ तरीक़ों से व्यापार करना चाहते हैं तो पूरी ज़िन्दगी अभावग्रस्त रहेंगे।

इस नैतिक बिगाड़ से प्रत्येक निष्ठावान भारतीय परेशान है। इसके प्रभावी इलाज के विभिन्न तरीक़े बताए जाते हैं, मगर सबसे ज़्यादा मशहूर दो तरीक़े हैं–एक यह कि इन्सान अपनी फ़ितरत के एतिबार से लालची और स्वार्थी है। उसकी तबाहकारी से बचने के लिए क़ानून का सहारा लेना चाहिए और ऐसा समाधान अपनाना चाहिए जिसके भय से वह बिगाड़ से बचा रहे। लेकिन इस समाधान की सबसे बड़ी ख़ामी यह है कि ख़ुद क़ानून लागू करने वाले भी इन्सान ही होते हैं जिनकी सोच अगर ख़राब हो तो समाधान पूरी तरह सफल नहीं हो सकता। इसकी दूसरी ख़ामी यह है कि बहुत-से नैतिक दुर्गुणों का इलाज उसी वक़्त और उसी सूरत में मुमकिन है, जबकि दिल व दिमाग़ का सुधार किया जा सके।

दूसरा प्रचलित समाधान है धर्म और धर्म की नैतिक शिक्षाएं। लेकिन अधिकतर धर्म, आध्यात्मिक और सामूहिक व व्यक्तिगत नैतिकता को एक-दूसरे से बिल्कुल अलग रखते हैं। कुछ धर्म ऐसे हैं जिनमें आध्यात्मिकता एवं आत्मिक शुद्धि का एकमात्र रास्ता संन्यास है। जितने ज़्यादा आध्यात्मिक चरण आप तय करते जाएंगे, उतना ज़्यादा आप जनसाधारण और ज़िन्दगी के मामलों से अलग होते जाएंगे। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो नैतिकता को सीमित अर्थों में लेते हैं।

नैतिक बिगाड़ के इस सर्वांगीण संकट में आज प्रत्येक नागरिक जो परम्परागत विद्वेष तथा अज्ञान के दुराग्रह में लिप्त नहीं है, एक ऐसी वैचारिक एवं व्यावहारिक व्यवस्था की तलाश में है, जो इसका समाधान कर सके। दुनियापरस्ती और नफ़्सपरस्ती की दृढ़ मानसिकता पर क़ाबू पाने में इन्सान की मदद कर सके। सत्य एवं न्याय के केवल शब्द और भ्रामक नारे ही प्रदान न करे, बल्कि इस सिलसिले में व्यापक मार्गदर्शन भी दे। वह धर्म एवं आध्यात्मिकता को विचित्र कर्मकांडों एवं विचारों का संग्रह न माने बल्कि उन्हें इन्सान के व्यक्तिगत एवं सामूहिक जीवन के सुधार का माध्यम बनाए। नैतिक मूल्यों को मात्र व्यक्तिगत एवं निजी (प्राइवेट) जीवन तक सीमित न करे, बल्कि उन्हें समाज निर्माण का आधार बनाए।

इस्लाम एक ऐसी ही वैचारिक एवं व्यावहारिक व्यवस्था है। वह विशुद्ध आध्यात्मिक जीवन, यहां तक कि इबादतों (पूजा-पाठ) को भी नैतिकता से जोड़ती है, बल्कि ज़्यादा सही बात यह है कि इसके निकट ईश-प्रसन्नता का मार्ग भी नैतिक मूल्यों की निष्ठापूर्ण पैरवी से होकर गुज़रता है। वह चाल-चलन को मोमिन की ज़िन्दगी में केन्द्रीय हैसियत देती है। वह संसार-त्याग के बजाय सामूहिक जीवन के निर्माण और सुधार को सत्य-धर्म (इस्लाम) का उद्देश्य घोषित करती है। क़ुरआन में मुहम्मद (सल्ल०) के सद्गुण जिस तरह बयान किए हैं, वे बहुत महत्वपूर्ण हैं।

क़ुरआन में है–

''बेशक तुम नैतिकता के उच्च स्तर पर हो।'' (क़ुरआन, 68:4)

एक-दूसरी जगह इरशाद है–

''ऐ पैग़म्बर! यह अल्लाह की बड़ी रहमत है कि तुम उनके लिए बहुत नर्म मिज़ाज हो। अगर कहीं तुम सख़्त मिज़ाज और संगदिल होते तो ये सब तुम्हारे आसपास से छंट जाते। अतः उन्हें क्षमा कर दो और उनके हक़ में क्षमा की दुआ करो और दीन के काम में उनसे राय-मशवरा करो। और जब अज़्म (दृढ़ संकल्प) कर लो तो अल्लाह पर भरोसा रखो। अल्लाह को वे लोग पसन्द हैं जो उसके भरोसे पर काम करते हैं।''

(क़ुरआन, 3:159)

इस आयत में सामूहिक नैतिकता को हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की पैग़म्बराना हैसियत के साथ किस तरह जोड़ा गया है, यह विशेष ध्यान देने योग्य है। एक अन्य जगह हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के नैतिक गुणों को इस तरह बयान किया गया है–

''तुम लोगों के पास एक रसूल आया है जो ख़ुद तुम ही में से है। तुम्हारा मुश्किल में पड़ना उसके लिए असह्य है, वह तुम्हारे कल्याण का लालसी है। वह ईमान लाने वालों के लिए करुणामय और दयाशील है।'' (क़ुरआन, 9:128)

सामूहिक नैतिकता को विभिन्न रूपों में धार्मिक ज़िन्दगी की पहचान और इबादत का मक़सद बताया गया है। इसे मोमिनों की विशिष्टता बताकर क़ुरआन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अल्लाह ने सत्य-धर्म (इस्लाम) को

इसलिए अवतरित किया है, ताकि इसकी शिक्षाओं की पैरवी करके एक ओर तो इबादत का हक़ अदा किया जा सके और दूसरी ओर इन्सान की व्यक्तिगत और सामूहिक ज़िन्दगी को सुधारा जा सके। बल्कि कुछ जगहों पर तो इन्सानों के दरमियान सत्य और न्याय की स्थापना और सद्व्यवहार को इस धर्म के अवतरित करने का उद्देश्य घोषित किया गया है।

अवतरण के प्रारम्भिक काल में हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को हुक्म दिया गया कि अपने रब की शुक्रगुज़ारी (कृतज्ञता) का हक़ अदा करो।

क़ुरआन में है–''अतः अनाथ (यतीम) पर सख़्ती न करो और साइल (मांगने वाले) को न झिड़को।''

(क़ुरआन, 93:9, 10)

पैग़म्बराना मिशन की पूर्ति के लिए जो हुक्म दिया गया है, उसमें ख़ालिस दीनदाराना ज़िन्दगी और सामूहिक नैतिकता का सामंजस्य इस तरह किया गया है कि इससे बेहतर तरीक़ा सम्भव न था।

क़ुरआन में है–''ऐ ओढ़-लपेटकर लेटने वाले उठो और ख़बरदार करो। अपने रब की बड़ाई का एलान करो और अपने कपड़े साफ़ रखो। गन्दगी से दूर रहो और ज़्यादा हासिल करने के लिए एहसान न करो।'' (क़ुरआन, 74:1-6)

गन्दगी से आशय यद्यपि कुफ़्र और शिर्क की गन्दगी है, लेकिन इससे सफ़ाई-सुथराई भी आशय है। एहसान जताने से भी मना किया गया है, इसलिए कि यह एक ऐब है। नैतिक पावनता और नैतिक अशुद्धता को पैग़म्बर के अस्ल मिशन से इस तरह जोड़ा गया है कि मानो वे एक-दूसरे के अटूट अंग हैं।

सत्य-धर्म का उद्देश्य न्याय की स्थापना बताया गया है। यह बताया गया है कि आध्यात्मिकता–संसार-त्याग का नाम नहीं है, बल्कि ईश-प्रसन्नता इसमें निहित है कि न्याय की स्थापना के लिए अनथक कोशिश की जाए–

''हमने रसूलों को साफ़-साफ़ निशानियों के साथ भेजा और उनके साथ किताब और मीज़ान (तुला) नाज़िल किया ताकि लोग इन्साफ़ पर



क़ायम रहें।'' (क़ुरआन, 57:25)

एक सारगर्भित आयत में मात्र न्याय ही नहीं, बल्कि अन्य नैतिक गुणों का भी हुक्म दिया गया है–

''और अल्लाह न्याय एवं सदाचार का हुक्म देता है और बदी (दुष्कर्म), बेहयाई व ज़ुल्म से मना करता है। वह नसीहत करता है ताकि तुम सबक़ लो।''

(क़ुरआन, 16:90)

एक अन्य आयत में तक़वा (ईशपरायणता) और अद्ल (न्याय) का प्रत्यक्ष रूप से रिश्ता जोड़ा गया है–

''किसी गरोह की दुश्मनी तुम्हें इतना उत्तेजित न कर दे कि इन्साफ़ से फिर जाओ। इन्साफ़ से काम लो, यह तक़वा से ज़्यादा मुनासिबत रखता है।''

(क़ुरआन, 5:8)

मोमिनों के गुण बयान करते वक़्त अल्लाह ने क़ुरआन में कई जगहों पर सामूहिक गुणों को नमाज़ और रब की बन्दगी के साथ बयान फ़रमाया है–

''वे लोग अपनी अमानतों और अहद व पैमान (वचनबद्धता) का लिहाज़ रखते हैं।'' (क़ुरआन, 23:8)

एक अन्य जगह यह इरशाद है–

''मोमिन तो वे हैं जिनके धन में असहाय वंचित लोगों का हक़ होता है।'' (क़ुरआन, 51:19)

इस्लाम ने इस तरह दीनदारी को सामूहिक नैतिकता से अंतरंग किया है। अतः तक़वा और ख़ुदा का ख़ौफ़, जन्नत की कामना, आख़िरत के अज़ाब से बचने की अभिलाषा–ये सब इन्सान को दुनिया के मोहपाश से दूर रखती हैं। इन शिक्षाओं की ख़ूबी यह है कि ये सादा हैं, पेचीदा नहीं हैं। ये इन्सानी स्वभाव की कमज़ोरियों का लिहाज़ करती हैं। उसे फ़रिश्ता नहीं बनाना चाहतीं, बल्कि उसकी यथासामर्थ्य इनकी पैरवी चाहती हैं। नैतिक बिगाड़ के इस दौर में ऐसी ही वैचारिक एवं व्यावहारिक व्यवस्था की ज़रूरत है। यह वह अमृत है जिसके स्रोत को विद्वेष एवं दुराग्रह के अन्धेरों ने छुपा रखा है। ■■

“यक़ीनन घाटे में पड़ गए वे लोग जिन्होंने अपनी औलाद को अज्ञान और मूर्खता के कारण क़त्ल किया और अल्लाह की दी हुई रोज़ी को अल्लाह पर झूठ घड़कर अवैध ठहरा लिया। यक़ीनन वे भटक गए और हरगिज़ वे सीधा मार्ग पाने वालों में से न थे।”

(क़ुरआन, 6:140)



A Well Wisher

Jharkhand

सत्य का उद्घोष



सौंदर्य बोध

हमूदा अब्दुल-आती

यद्यपि इन्सान इस महान सृष्टि का एक बहुत छोटा अंश है, फिर भी अगर वह योजना बनाता है और योजना के गुणों को सराहता है, तो उसका अपना वजूद और सृष्टि का जीवन भी किसी सुनियोजित नीति पर ही आश्रित होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे इस भौतिक वजूद के पीछे कोई योजनाकार है या कोई विलक्षण प्रतिभा है जो चीज़ों को अस्तित्व प्रदान करती और उन्हें व्यवस्थित रखती है। हमारे संसार के अनोखे आश्चर्य और हमारे जीवन के रहस्य इतने बड़े हैं कि वे अललटप घटनाओं या मात्र संयोग की पैदावार कहे ही नहीं जा सकते।

फिर तो इस संसार में कोई महान शक्ति होनी चाहिए जो कार्यरत हो और हर चीज़ को व्यवस्थित रखे। प्रकृति की सुन्दरतम वस्तुओं के लिए कोई महान कलाकार होना चाहिए, जो कला के उत्कृष्ट नमूने तैयार करता है और जीवन के ख़ास मक़सद को पूरा करता है। यह शक्ति तमाम शक्तियों में महान और यह कलाकार तमाम कलाकारों में श्रेष्ठ है। विवेकी और सूझ-बूझ से काम लेकर ईमान को सुदृढ़ बनाने वाले लोग ऐसी शक्ति और ऐसे कलाकार को अल्लाह या ईश्वर कहते हैं। वे उसे अल्लाह कहते हैं, इसलिए कि वही सृष्टि का स्रष्टा है, वही रचयिता है, वही जीवनदाता है और हर वस्तु को अस्तित्व प्रदान करने वाला है। वह इन्सान नहीं है, इसलिए कि इन्सान न किसी इन्सान को बना सकता है, न पैदा कर सकता है। वह पशु भी नहीं है, न ही वह पेड़-पौधा है, न ही वह किसी मूर्ति का नाम है, न ही किसी चीज़ की कोई प्रतिमा, इसलिए कि इनमें से कोई चीज़ न कुछ बना सकती है, न पैदा कर सकती है। वह मशीन भी नहीं है। वह न सूरज है, न चांद, न ही कोई सितारा, इसलिए कि ये चीज़ें नियंत्रित हो रही हैं किसी नियंत्रण से और बनाई गई हैं किसी बनाने वाले द्वारा। वह इन सब चीज़ों से भिन्न है, इसलिए कि वह सब चीज़ों का पैदा करने वाला और पालने-पोसने वाला है। किसी चीज़ के पैदा करने वाले को उस चीज़ से भिन्न और महान होना चाहिए, जिसे उसने पैदा किया है।

हम यह भी जानते हैं कि कोई भी चीज़ अपने-आप जीवन नहीं पा जाती। हमें यह भी मालूम है कि यह अद्भुत संसार अपने-आप नहीं पैदा हो गया, न ही आकस्मिक घटना के रूप में अस्तित्व में आया है। संसार में हो रहा अनवरत परिवर्तन सिद्ध करता है कि यह रचा गया है और हर चीज़ जो रची जाए, उसका रचयिता होना ही चाहिए।

संसार का पैदा करने वाला, उसको पालने-पोसने वाला, इन्सान का रचयिता और पालनकर्ता, विश्व की गतिमान शक्ति और प्रभावी ताक़त, यह सब एक ही हस्ती है और उसी का नाम अल्लाह या ईश्वर है। वही है तमाम भेदों का भेद और सम्पूर्ण जगत् में सर्वश्रेष्ठ। पवित्र

क़ुरआन ख़ुदा की सच्ची किताब में है-

''अल्लाह (ईश्वर) ही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई, ताकि तुम उससे आराम (और चैन) पाओ और दिन को प्रकाशमान बनाया। निस्सन्देह अल्लाह लोगों के लिए बड़ा अनुग्रह वाला है, परन्तु अधिकतर लोग कृतज्ञता नहीं दिखलाते। यह है अल्लाह, तुम्हारा पालनहार, हर चीज़ का पैदा करने वाला। कोई उपास्य नहीं सिवाय उसके। फिर तुम कहां से बहकाए जा रहे हो? इसी तरह वे लोग बहकाए जा रहे हैं जो अल्लाह की आयतों का इन्कार करते थे। अल्लाह ही है, जिसने तुम्हारे लिए धरती को ठहरने की जगह बनाई और आकाश को छत (के समान) बनाया और तुम्हारा रूप बनाया तो क्या ही अच्छे बनाए तुम्हारे रूप और अच्छी चीज़ों की तुम्हें रोज़ी दी। यह है अल्लाह, तुम्हारा पालनहार, तो क्या ही बरकत वाला है, अल्लाह सारे संसार का पालनहार।''

(क़ुरआन, 40:61-64)

अपनी मख़लूक़ के प्रति अल्लाह का प्रेम अपार है और मानव-कल्पना से परे है। हम उसके इस लगाव को न नाप सकते हैं, न गिन सकते हैं। उसने हमें पैदा किया, हमारी देखभाल की न सिर्फ़ पैदाइश के वक़्त, बल्कि उसके बहुत पहले से। उसने हमें अच्छा और सुडौल जिस्म दिया और हमारे भौतिक विकास के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, वह सब जुटाया। उसने हमारी उस समय सहायता की, जब हम स्वयं अपनी सहायता नहीं कर सकते थे। वही हमें और हमारे तमाम आश्रितों को रोज़ी भी देता है। उसने इन्सान को दिमाग़ दिया है कि वह समझे, आत्मा और चेतना दी है कि अपने को नेक और बेहतर बना सके, भावनाएं और अनुभूति दी है कि वह मेहरबान और दयालु बन सके।

उसकी कृपा से ही हम सत्य-ज्ञान प्राप्त करते हैं और सत्य-प्रकाश देखते हैं, क्योंकि वह कृपालु है। उसने हमें सुन्दर आकार दिया है और हमारे लिए सूरज और चांद, धरती और समुद्र, ज़मीन और आसमान वनस्पति और जीव सधा रखे हैं, उसने उन तमाम चीज़ों को, जो हमारे फ़ायदे और उपयोगिता की हैं, पैदा कर रखा है। वह हमारे जीवन में काम आने वाली और हमारी सेवा करने वाली चीज़ों का रचयिता है। इन्सान को प्रतिष्ठा, बुद्धि, आदर और सम्मान का पद दे रखा है, इसलिए कि वह तमाम रचनाओं में श्रेष्ठ है।

यह अल्लाह की कृपा है कि उसने हमें आशा, शान्ति, साहस और विश्वास जैसे गुणों से विभूषित किया है, अपने दुखों और कष्टों के सहन करने और उसका इलाज ढूंढ़ निकालने की क्षमता दी है, ताकि हम इन पर क़ाबू पाकर अपने जीवन को सफल बना सकें। सच तो यह है कि अल्लाह की कृपा ही से दुखी व्यक्ति को राहत, रंजीदा को प्रसन्नता, बीमार को सेहत, कमज़ोर को शक्ति और ज़रूरतमन्द को सुख मिलता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अल्लाह की कृपा जीवन के हर पहलू में हर समय, हर जगह अपना कार्य कर रही है। कुछ लोग इसे महसूस नहीं कर पाते, इसलिए कि वे ऐसा होना अनिवार्य समझते हैं, लेकिन यह है सत्य और हम इसे महसूस भी कर सकते हैं और अपनी बुद्धि से सोच भी सकते हैं।

वह दयालु, कृपालु अल्लाह हमें भुलाता नहीं, हमें गिराता नहीं, हमारी निष्ठापूर्ण दुआओं को नज़रन्दाज़ नहीं करता। उसी दयालु और कृपालु अल्लाह ने हमें अपना सन्मार्ग दिखाया, अपने दूतों, शिक्षकों, किताबों और ग्रन्थों को भेजा, जो सब-के-सब हमारी सहायता और रहनुमाई के लिए हैं। अल्लाह के अन्तिम दूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) हैं और अति जीवंत और पूर्ण सुरक्षित ग्रंथ क़ुरआन है।

क़ुरआन और हदीस से हमें यह बात भी मालूम होती है कि अल्लाह अति क्षमाशील है। एक व्यक्ति अगर गुनाह का काम करता है या कोई ग़लत काम करता है, तो कहा जा सकता है कि वह अल्लाह के क़ानून के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, वह उसके प्रति उद्दण्डता दिखा रहा है और अपनी प्रतिष्ठा और अपने अस्तित्व को आघात पहुंचा रहा है। लेकिन अगर वह निष्ठावान है, गुनाह के कामों पर दुखी होता है, ग़लत कामों पर अफ़सोस करता है, अल्लाह से रुजू करना चाहता है, उससे माफ़ी तलब करता है और उससे गिड़गिड़ाकर विनती करता है, तो फिर अल्लाह उसे निश्चित रूप से क्षमा कर देगा और उसकी विनम्रता को स्वीकृति देगा। यहां तक कि वे लोग जो एक ख़ुदा को मानने के बजाय उसके साथ शरीक ठहराते हैं, उनको भी क्षमा मिल सकती है, अगर वे अपनी ग़लती महसूस करें, अपना दृष्टिकोण बदल लें और एक अल्लाह की ओर पलट आएं।

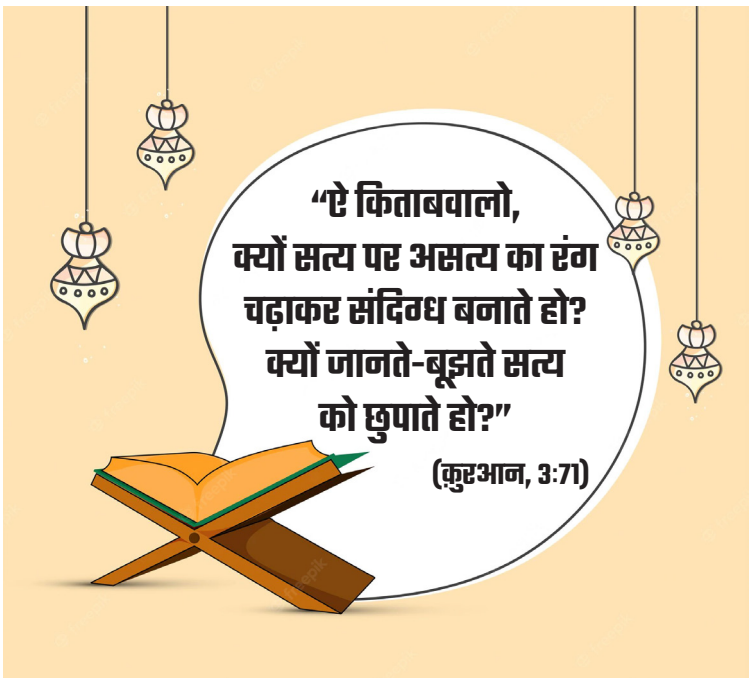
इस्लाम शब्द अरबी धातु 'स-ल-म' से निकला है, जिसका अर्थ है 'शान्ति, शुद्धता, समर्पण और आज्ञाकारिता, परिभाषा में इस्लाम का अर्थ हुआ ख़ुदा की प्रसन्नता के प्रति समर्पण और उसके क़ानून का पालन। इस्लाम के शाब्दिक और पारिभाषिक अर्थों में आपस में बड़ा गहरा और मज़बूत सम्बन्ध है। ख़ुदा की प्रसन्नता के प्रति समर्पण तथा उसके क़ानून के पालन मात्र से ही सच्ची शान्ति और सदा की शुद्धता को प्राप्त किया जा सकता है।

कुछ लोग इस्लाम को 'मुहम्मदवाद'

और इसके अनुयायियों को 'मोहम्मडन' के नाम से याद करते हैं। मुसलमान इन शब्दों के प्रयोग को नापसन्द भी करते हैं और इसका सख़्त विरोध भी करते हैं, इसलिए कि मुसलमानों के विश्वास और आस्था की दृष्टि से इन शब्दों के प्रयोग का कोई औचित्य नहीं है। न इस्लाम किसी व्यक्ति विशेष का 'वाद' है और न हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की अपनी किसी 'विचारधारा' का नाम इस्लाम है जैसे गांधीवाद, मार्क्सवाद, हिटलरवाद आदि। इस्लाम इस प्रकार का कोई 'वाद' नहीं है कि उसका नाम 'मुहम्मदवाद' रखा जा सके। 'मुहम्मदवाद' से एक अर्थ और निकलता है, वह यह कि मुहम्मद का अनुयायी मुहम्मद की उपासना करने वाला हो या उनमें ऐसी आस्था रखने वाला हो, जैसे 'ईसाई' हज़रत ईसा (अलैहि०) की उपासना करते या उनमें ऐसी आस्था रखते हैं। इस शब्द के आधार पर यह भ्रम पैदा किया जा सकता है, हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) इस्लाम के संस्थापक हैं इसी लिए उनके नाम के साथ इस धर्म का नाम जुड़ा हुआ है।

ये तमाम बातें पूर्णतः ग़लत और भ्रामक हैं।

इस्लाम न तो और 'वादों' की तरह कोई 'वाद' है, न मुसलमान मुहम्मद की उपासना करते हैं, न ईसाइयों, यहूदियों, मार्क्सवादियों आदि की तरह उनमें आस्था रखते हैं। मुसलमान तो सिर्फ़ ख़ुदा की इबादत करते हैं। मुहम्मद (सल्ल०) तो सिर्फ़ ईशदूत थे, जो मानवजाति को ख़ुदा का आदेश सुनाने और उस पर अमल करके दिखाने आए थे। इतिहास गवाह है कि उन्होंने ऐसा ही किया और जीवन के हर पहलू में आदर्श पेश किया। मुसलमान यह कभी नहीं सोचते कि इस्लाम के संस्थापक हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) थे। इस्लाम की संस्थापना तो अल्लाह स्वयं कर रहा है, इसकी संस्थापना हज़रत आदम (अलैहि०) के युग में हुई और इस्लाम उसी समय से इन्सानों का धर्म चला आ रहा है और यह जब तक मानवजाति पाई जाती है, चलता रहेगा।



इसलिए धर्म का अस्ल नाम इस्लाम ही है और जो इसे मानें, वे मुस्लिम हैं। ख़ुदा की प्रसन्नता और उसके आदेशों के पालन से किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि इस्लाम इस तरह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ख़िलाफ़ है या वह भाग्यवाद के आगे हथियार डाल देता है। अगर किसी को यह भ्रम होता है तो इसका मतलब यह है कि उसने न तो इस्लाम का अर्थ समझा और न ही इस्लाम में ख़ुदा (ईश्वर) की धारणा को ही समझ सका। इस्लाम में ख़ुदा की जो धारणा है, वह यह है कि वह अति दयावान, कृपालु, प्रेममय, इन्सानों का प्रबल हितैषी, अति विवेकी और अपनी रचनाओं तथा जीवों का बहुत ख़याल रखने वाला है। इस प्रकार उसकी प्रसन्नता, शुभचिन्ता और भलाई जो भी क़ानून बनाता और जो भी आदेश देता है, वह मानवजाति के हित ही में होता है।

एक सच्चा निष्ठावान मुसलमान एक ख़ुदा को, सम्प्रभु, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ और अनन्त, कृपालु, दयालु, रचयिता और पालनकर्ता स्वीकार करता है। इसे मान लेने का अर्थ है कि वह उसमें पूर्ण आस्था रखे, उसकी प्रसन्नता के प्रति आत्म-समर्पण करे और उस पर पूरा भरोसा रखे। इस तरह एक मनुष्य की गरिमा बनी रहेगी और वह अपने को किसी भय और किसी भी प्रकार की निराशा से बचाए रख सकेगा। न ही तो उसे किसी प्रकार का भ्रम होगा और न ही वह किसी प्रकार के सन्देह में पड़ेगा।

वह तमाम पैग़म्बरों को बिना किसी भेदभाव के स्वीकार करता है। हर क़ौम में सचेत करने वाले ईशदूत (ख़ुदा के पैग़म्बर) आए हैं। ये सभी पैग़म्बर भलाई के महान उपदेशक और सत्य के श्रेष्ठ समर्थक थे। उन्हें मानवजाति को अपना सन्देश सुनाने के लिए अल्लाह ने

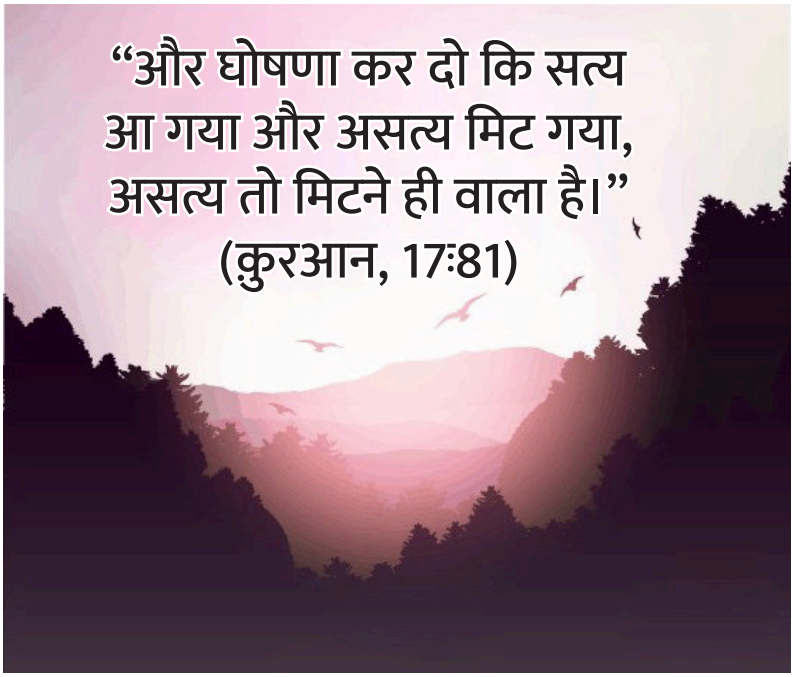
चुना था। वे इतिहास के हर युग में भेजे गए थे और हर क़ौम में एक या एक से अधिक आए थे। कभी तो दो या इससे भी अधिक पैग़म्बर एक ही क़ौम में और एक ही समय में भेजे गए। क़ुरआन मजीद उनमें से 25 का उल्लेख करता है और मुसलमान उन सबको बिना किसी भेदभाव के स्वीकार करते और उन सबको अल्लाह का भेजा हुआ सच्चा रसूल तस्लीम करते हैं। वे सभी हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को छोड़कर किसी ख़ास आबादी या ख़ास क़ौम के लिए भेजे गए थे, लेकिन उनका पैग़ाम, उनका मज़हब, मूल रूप से वही था, जिसे 'इस्लाम' कहते हैं, इसलिए कि यह एक ही अल्लाह का भेजा हुआ सन्देश और बताया हुआ रास्ता था। सबका उद्देश्य भी एक ही था। ये सभी पैग़म्बर, बिना किसी अपवाद के, अल्लाह के भेजे और चुने हुए रसूल थे, उसके भक्त और दास भी थे और अल्लाह ने अपनी वह्य और ग्रन्थों द्वारा उनका मार्गदर्शन किया था।

नबियों की इस श्रृंखला में हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) आख़िरी पैग़म्बर थे और इस इमारत की आख़िरी ईंट थे।

यह कोई अललटप कल्पना नहीं है, न कोई अटकल-पच्चू है, इस्लाम की दूसरी धारणाओं की तरह यह एक वैज्ञानिक तथा तार्किक तथ्य भी है।

यहां कुछ प्रमुख पैग़म्बरों का उल्लेख करना उपयोगी होगा, जैसे हज़रत नूह (अलैहि०), हज़रत इबराहीम (अलैहि०), इसमाईल (अलैहि०), मूसा (अलैहि०), ईसा (अलैहि०) और हज़रत मुहम्मद (सल्ल.)। अल्लाह की शान्ति इन सब पर हो। क़ुरआन के शब्दों में मुसलमानों को आदेश इस तरह दिया गया है-

'कह दो, हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस चीज़ पर जो हमारी ओर उतारी गई और उस चीज़ पर जो इबराहीम, इसमाईल, इसहाक़, याक़ूब और उनकी सन्तान की ओर उतारी गई और जो मूसा और ईसा को दी गई और जो दूसरे सभी नबियों को उनके रब की ओर से मिली, हम उनमें किसी के बीच अन्तर नहीं करते और हम उसी के आज्ञाकारी हैं। (क़ुरआन, 2:136)



आज़ादी और मुक्ति की यह इस्लामी धारणा, अल्लाह के न्याय और अल्लाह के सामने हर व्यक्ति की अपनी जवाबदेही के सिद्धान्तों पर आधारित है। यही स्वाभाविक भी है। हर व्यक्ति को अपना बोझ ख़ुद उठाना चाहिए, और अपने कर्मों का ख़ुद ज़िम्मेदार होना चाहिए, इसलिए कि कोई दूसरा किसी दूसरे के पाप का प्रायश्चित नहीं कर सकता। इस तरह एक मुसलमान यह मानता है कि हज़रत आदम (अलैहि०) से पहली ग़लती हुई थी, यह उनकी अपनी ज़िम्मेदारी थी कि उस ग़लती का वह प्रायश्चित करें। ये बातें कहना कि अल्लाह आदम को क्षमा करने में असमर्थ था और उसके गुनाह के प्रायश्चित के लिए किसी और को तैयार किया था यह कि आदम ने क्षमा चाहने की दुआ नहीं की या दुआ तो की, लेकिन उसे स्वीकृति नहीं मिली, बहुत ग़लत है और अल्लाह की कृपा-दया, न्याय और क्षमा करने के गुण और सामर्थ्य के बिल्कुल विपरीत है। यह कल्पित विचार सामान्य बुद्धि को खुली चुनौती और अल्लाह की धारणा का घोर तिरस्कार है।

पुष्टि के लिए क़ुरआन की इन आयतों को भी पढ़िए-

''जो कोई भलाई करेगा, तो अपने लिए करेगा और जो बुराई करेगा, तो उसका वबाल भी उसी पर पड़ेगा। तुम्हारा पालनहार बन्दों पर ज़ुल्म करने वाला नहीं।'' (क़ुरआन, 41:46)

''जो भला करेगा, अपना ही भला करेगा और जो बुरा करेगा, अपना ही बुरा करेगा। फिर जाना तो सबको अपने पालनहार रब की ओर है।'' ■■

(क़ुरआन, 45:15)

समलैंगिकता

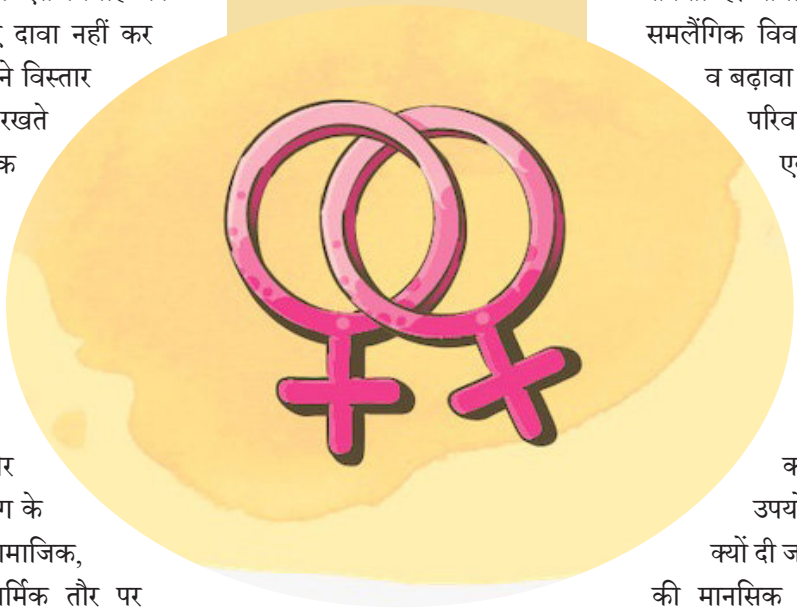
प्रकृति से विद्रोह को प्रोत्साहन क्यों ?

मुख्य स्तम्भ



सुफ़ियान अहमद

देश में समलैंगिक विवाह को मान्यता दी जाए या नहीं, इस पर केंद्र सरकार ने अपना रुख़ स्पष्ट किया है। बीते माह सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल हलफ़नामे में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने संबंधी याचिका का विरोध करते हुए सरकार ने कहा कि यद्यपि सहमति से अप्राकृतिक यौन संबंध के मामले को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, इसके बावजूद याचिकाकर्ता ऐसे विवाह को मान्यता देने के लिए दावा नहीं कर सकता। केंद्र सरकार ने विस्तार से इसमें अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि मौलिक अधिकार के तौर पर यह दावा ग़लत है, क्योंकि विवाह की जो अवधारणा है उसके लिए ज़रूरी है कि दो लोगों के बीच मिलन हो और वो अलग-अलग लिंग के हों। यह परिभाषा सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर मान्य है। इस सिद्धांत में किसी भी तरह की न्यायिक व्याख्या द्वारा छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इसे हल्का या कमज़ोर नहीं किया जा सकता।



उल्लेखनीय है कि इससे पहले भारतीय दंडसंहिता की धारा 377 को रद्द कर आपसी सहमति से समलैंगिक संबंधों को देश में ग़ैर-आपराधिक घोषित किया जा चुका है। अब समलैंगिक विवाह की मांग, जिस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करने जा रहा है, ऐसा मुद्दा है जो सामाजिक, धार्मिक, परिवार और संपत्ति समेत तमाम अधिकारों से जुड़ा है। कई ऐसे पहलू हैं, जो मौजूदा सामाजिक ताने-बाने को बिगाड़ सकते हैं। समलैंगिक संबंधों के पक्षधर जिन मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता की दुहाई दे रहे हैं वे शायद इसके सही अर्थों को नहीं समझ पा रहे हैं।

अधिकार एवं स्वतंत्रता के साथ नैतिक ज़िम्मेदारी भी आती है और कोई भी समाज अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर अपराध, दोष और अराजकता को स्वीकार नहीं कर सकता है। सवाल उठता है कि क्या समलैंगिक विवाहों को अनुमति देना व बढ़ावा देना समाज में स्थापित परिवार व्यवस्था के लिए एक बड़ा ख़तरा नहीं है? क्या इससे समाज के नैतिक ताने-बाने में विकृति पैदा नहीं होगी? सवाल यह भी पैदा होता है कि ऐसे विवाह जिसकी कोई भी सामाजिक उपयोगिता नहीं है, मान्यता क्यों दी जानी चाहिए? चंद लोगों की मानसिक विकृति या शारीरिक दोष को सामाजिक समस्या में बदलने को समझदारी का नाम कैसे दिया जा सकता है? समझदारी की बात तो यह होती कि इस समस्या के निवारण हेतु सार्थक उपाय खोजे जाते।

केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दाख़िल कर समलैंगिक

विवाह को क़ानूनी मान्यता देने का विरोध करने के साथ ही एक बार फिर यह मुद्दा ख़बरों में है। हलफ़नामे में किए गए विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ का गठन कर दिया। अब यह मामला पांच जजों वाली संविधान पीठ के समक्ष विचाराधीन है।

जानकारों के अनुसार, समलैंगिक संबंधों से कई तरह की संक्रामक और असंक्रामक बीमारियां फैलती हैं। यह एक शारीरिक और मानसिक दोष है, यह दोष जन्मजात भी हो सकता है या जन्म के वर्षों बाद भी कोई महिला या पुरुष इस विकृति का शिकार हो सकता है। विभिन्न शोधों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि समलैंगिकता हर लिहाज से व्यक्ति एवं मानव समाज के लिए घातक है। इसके नुक़सान बहुत हैं और फ़ायदा कुछ भी नहीं। मूल प्रश्न यह है कि इसे प्रचारित, प्रसारित और प्रोत्साहित करने वालों पर सख़्ती करने के बजाए इसे मान्यता देने पर विचार क्यों हो रहा है?

भारत समेत सौ से अधिक देशों में इसे दंडनीय अपराधों की सूची से निकाल दिया गया है और समलैंगिकता में लिप्त लोगों को सुविधाएं देने हेतु क़ानून एवं नियम बनाए जा रहे हैं। वास्तविकता दरअस्ल यह है कि आज-कल दुनियाभर में पूंजीपतियों का राज है। उन्हीं के इशारे पर देशों की नीतियां तय की जा रही हैं। जिन कार्यों से पूंजीपतियों को लाभ होता है उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है और जिनसे उन्हें लाभ नहीं होता उनको हतोत्साहित किया जाता है। पूंजीवादी सोच कहती है कि हरेक चीज़ का बाज़ार खड़ा करो और उसे बेचो।

समलैंगिकता ने आज अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी इंडस्ट्री का रूप ले लिया है। विभिन्न देशों में समलैंगिकता में लिप्त लोगों के सैर-सपाटे के लिए विशेष प्रकार के रिजोर्ट्स बनाए गए हैं। उनके क्लब चल रहे हैं। बड़े पैमाने पर उनसे सम्बन्धित साहित्य प्रकाशित हो रहे हैं। इसी प्रकार भोग-विलास और मौज-मस्ती के दूसरे अन्य साधनों के निर्माण में पूंजीपतियों की अरबों-खरबों डॉलर की पूंजी लगी हुई है। इसलिए वे चाहते हैं कि समलैंगिकता को प्रोत्साहन और बढ़ावा मिले, ताकि उनका कारोबार चमके और उनकी पूंजी में बढ़ोत्तरी हो।

प्रकृति ने स्त्री-पुरुष की व्यवस्था पहले से रच दी है। नर और मादा के मिलन से ही जीवन का प्राकृतिक चक्र चल रहा है, लेकिन आज समलिंगी सोच को ऐसे प्रचारित किया जा रहा है



अब तक क्या-क्या हुआ?

2009 : दिल्ली हाईकोर्ट ने अपराध के दायरे से हटाया।

2013 : सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा अपराध घोषित किया।

2017 : सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शुअलिटी को निजता का अधिकार माना।

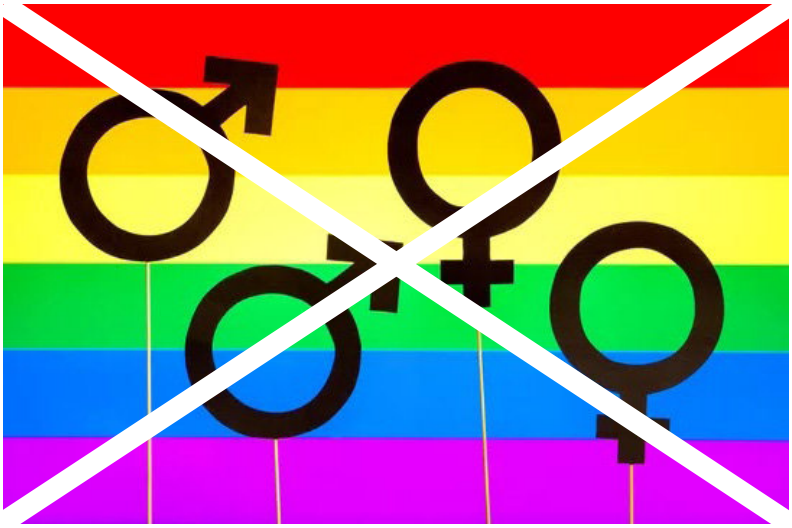
2016 : अक तक धारा-377 के ख़िलाफ़ 30 से ज़्यादा याचिका दर्ज।

2018 : सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र को नोटिस भेजकर जवाब मांगा।

मार्च 2023 : सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह के मुद्दे को लेकर पांच जजों की संवैधानिक पीठ का गठन किया।

जैसे वे कोई सकारात्मक क्रांति ला रहे हों। धीरे-धीरे स्त्री और पुरुष दोनों में ही ऐसे लोगों की संख्या बढ़ने लगी। पूरी दुनिया में समलैंगिकों की बाढ़-सी आने लगी और पूंजीवादी मानसिकता ने इस आपदा में अवसर की तलाश कर ली। समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाने लगा और समलैंगिकों को सामाजिक मान्यता देने की बात होने लगी। हद तो यह हो गई कि वे आपस में शादी भी कर सकते हैं।

यह एक तरह की अराजक मानसिकता और प्रकृति से विद्रोह है। यह एक अप्राकृतिक कर्म है इसे रोकने



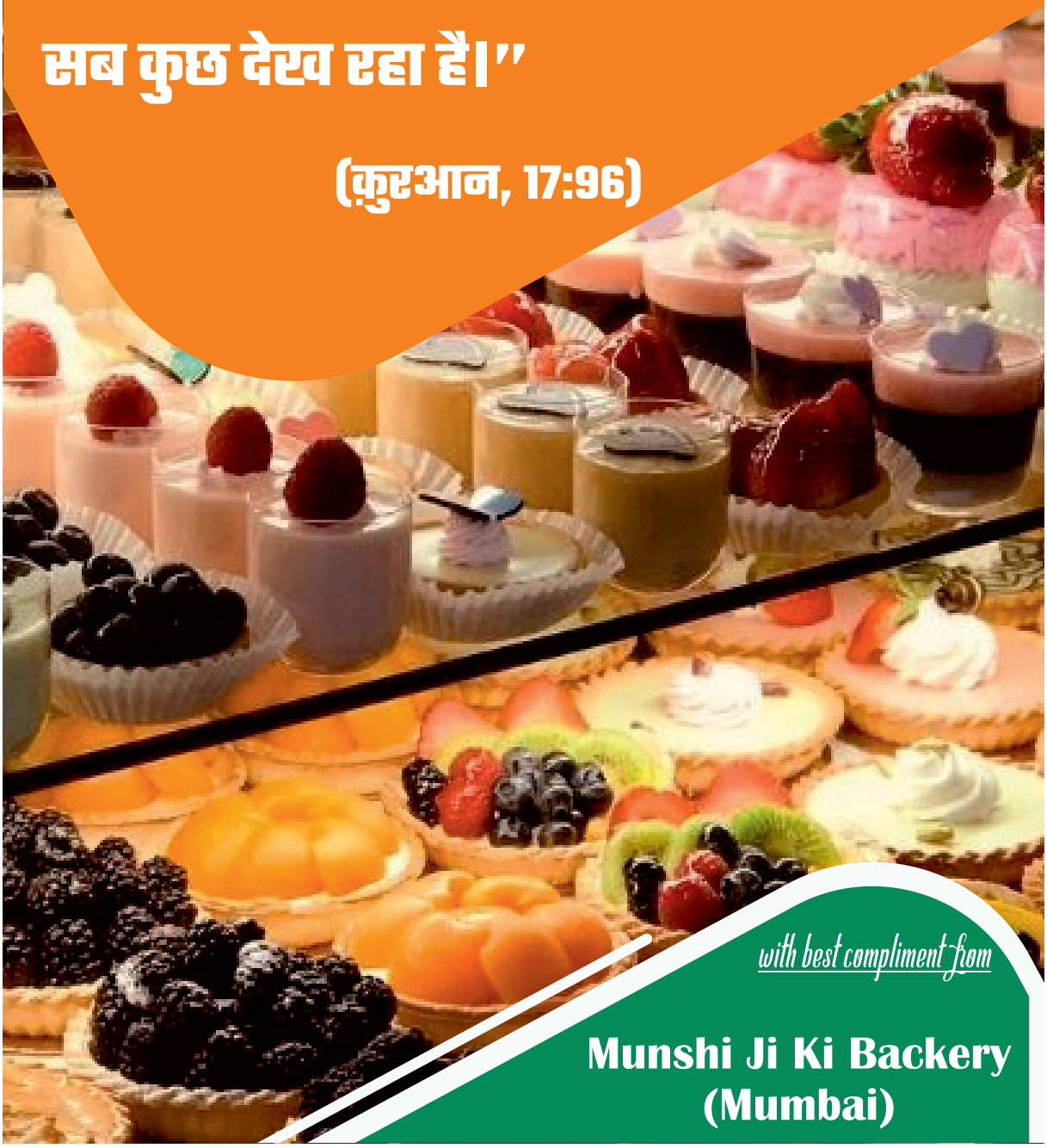
में ही मानव समाज की भलाई है। इसे प्रचारित, प्रसारित और बढ़ावा देने वाले कारकों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। जो कार्य व्यक्ति व समाज के हित में न हो और उसके नुक़सान भी हों तो ऐसे कार्यों को किसी भी क़ीमत पर बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए समलैंगिकता को वैधानिक दर्जा देने की मांग चौकाती है। आख़िर आज हम किस मक़ाम पर आ गए हैं कि अप्राकृतिक कुकर्म को अधिकार बनाने पर तुले हैं? होना तो यह चाहिए था कि समलैंगिकता के अभिशाप से समाज को मुक्त करने के लिए क़ानून बनते और इस समस्या के हल के लिए सार्थक उपायों की खोज की जाती, लेकिन आज खुलेआम इसे प्रचारित, प्रसारित और प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसे मौलिक अधिकार का दर्जा देने की बात की जा रही है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में समलैंगिक विवाहों को क़ानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं के विरोध में केंद्र सरकार के तर्क सराहनीय हैं, उसका समर्थन किया जाना चाहिए। यह सही है कि भारत का संविधान नागरिकों के मौलिक अधिकारों में दृढ़ता से विश्वास करता है और नागरिक स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक है, लेकिन कोई भी समाज व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर अपराध, दोष और अराजकता को स्वीकार नहीं कर सकता है। अपने देश और समाज को यौन अराजकता, विकृति और पतन से बचाना नागरिकों का मौलिक कर्त्तव्य है। हम सबकी यह ज़िम्मेदारी है कि हम अपने देश और समाज को इस विकृति से बचाने के लिए आगे बढ़ें। ■■

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में समलैंगिक विवाहों को क़ानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं के विरोध में केंद्र सरकार के तर्क सराहनीय हैं, उसका समर्थन किया जाना चाहिए। यह सही है कि भारत का संविधान नागरिकों के मौलिक अधिकारों में दृढ़ता से विश्वास करता है और नागरिक स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक है, लेकिन कोई भी समाज व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर अपराध, दोष और अराजकता को स्वीकार नहीं कर सकता है। अपने देश और समाज को यौन अराजकता, विकृति और पतन से बचाना नागरिकों का मौलिक कर्त्तव्य है। हम सबकी यह ज़िम्मेदारी है कि हम अपने देश और समाज को इस विकृति से बचाने के लिए आगे बढ़ें।

"ऐ नबी, उनसे कह दो कि मेरे और तुम्हारे बीच बस एक अल्लाह की गवाही काफ़ी है। वह अपने बन्दों के हाल से आगाह है और सब कुछ देख रहा है।"

(क़ुरआन, 17:96)



with best compliment from

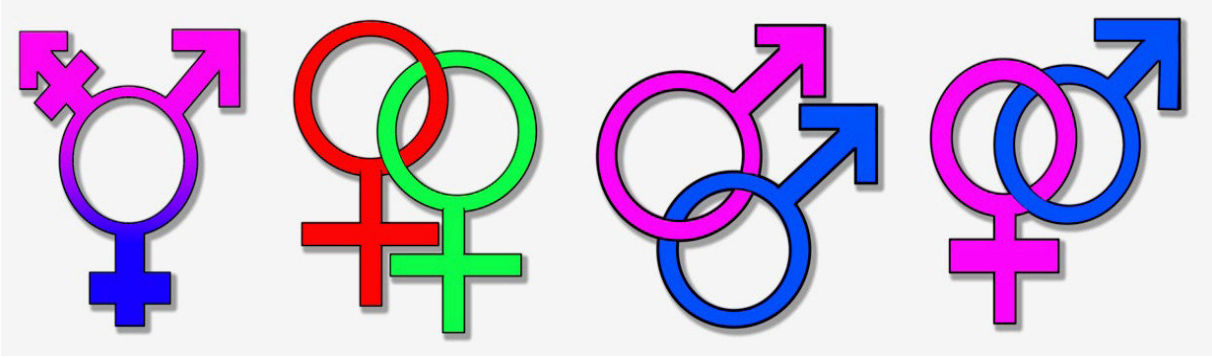
Munshi Ji Ki Backery
(Mumbai)

समलैंगिकता : प्रोत्साहन नहीं समाधान हो

निष्कर्ष



डॉ. रज़ीयुल इस्लाम नदवी



हमारे पैदा करने वाले ने सभी प्राणियों की फ़ितरत (प्रकृति) में ज़िन्दगी जीने का एक तरीक़ा रख दिया है। इसलिए वे आरम्भ से ही उसी तयशुदा फ़ितरी तरीक़े पर चल रहे हैं और वे उस तरीक़े से बाल बराबर भी नहीं हटे हैं। लेकिन इन्सानों को चूंकि आरम्भ ही से इरादे और इख़्तियार की आज़ादी हासिल है, इसलिए उसके कुछ व्यक्तियों ने कभी-कभी ज़िन्दगी के रवैयों में फ़ितरत की राह से विमुखता की रविश (नीति) अपनाई है। यह विमुखता जीवन के दूसरे मामलों के साथ शहवानी और यौन सम्बन्धी ख़ाहिश पूरी करने के मामले में भी रही है। मानव-इतिहास के कुछ ज़मानों में ऐसे लोग पाए गए हैं जो अपनी ही लिंगजाति से कामवासना पूरी करते थे, लेकिन ऐसे लोगों को हर दौर में नफ़रत और गिरी नज़र से देखा गया और उनके अमल को बहुत ही नापसन्द ठहराया गया, बल्कि इसे कोमल स्वभाव पर बोझ समझा गया और हर मुमकिन तरीक़े से इस बुराई को रोकने की कोशिश की जाती रही है। अतः उन्नीसवीं शताब्दी ईसवी तक संसार के लगभग सारे ही देशों में इस अमल (कर्म) को दण्डनीय अपराध समझा जाता रहा, बल्कि कुछ देशों में इसकी सज़ा मौत थी।

पश्चिमी देशों में, वहां के ख़ास हालात में, तथाकथित आज़ादी, समानता और बुनियादी इन्सानी हक़ और अधिकारों की हवा चली तो उसका प्रभाव बहुत-से सामाजिक मूल्यों पर पड़ा और उनकी बुनियादें हिलने लगीं। कहा गया कि हर इन्सान आज़ाद पैदा हुआ है, वह अपनी मर्ज़ी का मालिक है, उसकी सोच और आचरण पर किसी प्रकार की पाबन्दी लागू करना उसकी आज़ादी के हक़ को कुचलना है और उसके किसी कर्म की बुनियाद पर उसके साथ दूसरे इन्सानों से भिन्न मामला करना बराबरी के हक़ के ख़िलाफ़ है। समलैंगिकता को पश्चिमी देशों में एक अमल (कर्म) के बजाय एक रवैया (Behaviour) ठहरा दिया गया है और इसके लिए दार्शनिक आधार जुटाए गए हैं।

समलैंगिकता में संलिप्त लोगों को चार वर्गों में बांटा गया है-

1. Lesbian : औरत, जो औरत की ओर यौन सम्बन्धी झुकाव व रुचि रखे।

2. Gay : मर्द, जिसका मर्द की ओर यौन सम्बन्धी झुकाव हो।

3. Bisexual : वह व्यक्ति (चाहे नर हो या नारी) जिसका मर्द और औरत दोनों की ओर यौन सम्बन्धी झुकाव हो। किस लिंग की ओर कितना झुकाव है? उसको नापने के लिए एक पैमाना बनाया गया जिसको उसके बनाने वाले के नाम पर किंसे स्केल (Kinsey Scal) का नाम दिया गया।

4.Transgender : वह व्यक्ति जिसमें मर्दाना और जनाना दोनों प्रकार की विशेषताएं हों उसे मुख़न्नस या हिजड़ा कहा जाता है।

इन चारों ग्रुपों के समूह को संक्षिप्त रूप में एलजीबीटी (LGBT) कहा जाता है। इनमें शामिल सारे लोगों को एक समुदाय (Community) का ठहरा दिया गया है और उनके फ़ितरत से हटे

हुए यौन सम्बन्धी रुझानों को स्वाभाविक ठहराते हुए उनके पक्ष में उन्नीसवीं शताब्दी में आन्दोलन चलाए गए और बीसवीं शताब्दी में क़ानून बनाए गए।

समलैंगिकता को आम लोगों में भी गन्दा और घिनौना अमल समझा जाता था और देशों के क़ानूनों में भी इसपर सख़्त सज़ाएं निश्चित की गई थीं। इसलिए जो लोग फ़ितरत के ख़िलाफ़ इन रवैयों की वजह से इसमें लिप्त थे, वे इसको ज़ाहिर और बयान करने की हिम्मत न कर पाते थे, लेकिन उन्नीसवीं शताब्दी के आख़िरी ज़माने से इसके पक्ष में माहौल बनाया जाने लगा।

सबसे पहले मरहले में इस अमल के करने को दण्डनीय अपराधों की सूचि से निकाला गया। अतः बीसवीं शताब्दी के पहले पचास सालों में अनेकों पश्चिमी देशों के क़ानूनों में परिवर्तन किया गया और इस कर्म पर सज़ा ख़त्म कर दी गई। दूसरे मरहले में LGBT ग्रुपों ने आम लोगों के बीच अपने आपको संगठित करना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने निर्धारित दिनों में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शन किए जिन्हें 'प्राइड परेड' (Pride Parade) का नाम दिया गया और कांफ्रेंसें आयोजित कीं, जिनके द्वारा अपने अधिकारों के लिए आवाज़ बुलन्द की। पहले ऐसे लोगों को शासकीय, प्रबन्ध-सम्बन्धी और सेना के पदों के लिए अयोग्य ठहराया गया था। लेकिन उनके संगठित प्रयास और दबाव के कारण धीरे-धीरे उनके अधिकारों को स्वीकार किया जाने लगा और उन्हें हर पद और संस्था के लिए योग्य ठहराया गया। इसलिए शासन, सेना, न्यायालय, विधायिका और प्रशासनिक हर क्षेत्र में ऐसे लोग ज़ाहिर हुए, जिन्होंने अपने समलैंगिक होने का खुल्लम-खुल्ला एलान किया और ज़रा भी शर्मिन्दगी नहीं महसूस की। तीसरे मरहले में ऐसे लोगों के लिए 'स्थाई सम्बन्ध और साझेदारी के नियम' (Partnership Acts) पारित किए गए और इजाज़त दी गई कि जिस तरह विपरीत लिंगों के लोग (Hetrosexual) वैवाहिक बन्धन में बंधकर एक जोड़े के रूप में रहते और विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से लाभान्वित होते हैं, उसी प्रकार समलैंगिकता पर अमल करने वाले लोग भी पार्टनर की हैसियत से ख़ुद को रजिस्टर्ड करा सकते हैं और इसकी बुनियाद पर सम्पत्ति, विरासत, इमिग्रेशन, टैक्स और सामाजिक सुरक्षा के अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे जोड़ों को बच्चों को गोद लेने (Adaption) का भी अधिकार दिया गया।

भारतवर्ष की गिनती भी ऐसे देशों में होती है जहां प्राचीनकाल से समलैंगिकता को घृणित और निन्दनीय कर्म समझा जाता रहा है। इसी लिए जब क़ानून बने तो इसे दण्डनीय अपराधों की सूची में शामिल किया गया। सन् 1861 ई॰ में निर्मित 'इंडियन पेनल कोड' (Indian Penal Code) की धारा 377 में समलैंगिकता को अवैधानिक कर्म और अपराध ठहराया गया, जिसपर दस वर्ष से लेकर उम्र क़ैद तक की सज़ा दी जा सकती है।

संसार के दूसरे देशों में माहौल बदला तो उसके प्रभाव भारत पर भी पड़ने लगे और विभिन्न क्षेत्रों से यहां भी समलैंगिकता को अपराध की सूची से ख़ारिज करने और इसे वैधानिक मान्यता देने की आवाज़ें उठने लगीं। संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nation Organisation) की ओर से भारतीय शासन से इस धारा को समाप्त करने की मांग की गई, ताकि एचआईवी और एड्स (HIV and AIDS) के विरुद्ध लड़ने में आसानी हो। 'लॉ कमीशन ऑफ़ इंडिया' ने सन् 2000 ई॰ में अपनी 172वीं रिपोर्ट में क़ानून की इस धारा को रद्द करने की सिफ़ारिश की। इस मुहिम में तेज़ी उस समय आई जब एक सामाजिक संस्था 'नाज़ फ़ाउंडेशन' ने दिसम्बर, सन् 2002 ई॰ में भारतीय दंडसंहिता की उक्त धारा को ख़त्म करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका की अर्ज़ी दाख़िल की। कोर्ट ने सन् 2004 ई॰ में

"पाक है वह हस्ती जिसने सबके जोड़े पैदा किए, चाहे वह ज़मीन की वनस्पतियों से हों या ख़ुद उनकी अपनी जाति (यानी मानवजाति) में से या उन चीज़ों में से जिनको ये जानते तक नहीं हैं।" (क़ुरआन, 36:36)

"आसमानों और ज़मीन का बनाने वाला, जिसने तुम्हारी अपनी जाति से तुम्हारे लिए जोड़े पैदा किए और इसी प्रकार जानवरों में भी (उन्हीं के सहजाति) जोड़े बनाए और इस तरीक़े से वह तुम्हारी नस्लें फैलाता है।" (क़ुरआन, 42:11)

इस याचिका को ख़ारिज कर दिया तो उसके विरुद्ध फ़ाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसे दोबारा हाईकोर्ट में लौटा दिया गया। इसके बाद फ़ैसले पर प्रभाव डालने के लिए विभिन्न उपाय किए गए। एक ओर विभिन्न वर्गों के प्रभावशाली लोगों की ओर से समलैंगिकता की हिमायत की गई, दूसरी ओर सरकार के विभिन्न मंत्रियों ने भी समय-समय पर बयान जारी किए कि इस धारा को समाप्त करना सरकार के विचाराधीन है और इसपर जनमत बनाने के लिए प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं। तीसरी तरफ़ देश के बड़े शहरों मिसाल के तौर पर दिल्ली, बेंगलूरू, कोलकाता, चेन्नई, मुम्बई आदि में 'गे प्राइड परेड' (Gay Pride Parade) के नाम से समलैंगिकता के समर्थकों के प्रदर्शन कराए गए। अन्ततः 2 जुलाई, 2009 ई० में दिल्ली हाईकोर्ट ने आईपीसी (IPC) की धारा 377 को असंवैधानिक ठहराते हुए समलैंगिकता को क़ानूनी तौर पर वैध कर दिया।

इस फ़ैसले ने समलैंगिकता के समर्थकों में ख़ुशी की लहर दौड़ा दी और उनकी गतिविधियां और तेज़ हो गईं। पिंक पेज (Pink Page) के नाम से पहली ऑन लाइन LGBT पत्रिका (Magazine) प्रकाशित हुई और बाम्बे दोस्त (Bombay Dost) के नाम से Gay Magazine की दोबारा शुरुआत हुई। विभिन्न राज्यों में LGBT Pride Parade का आयोजन होने लगा। दूसरी ओर देश के विभिन्न धार्मिक संगठनों और सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर हाईकोर्ट के फ़ैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। पक्ष-विपक्ष की दलीलें सुनने और मुक़दमों के सारे पहलुओं पर सोच-विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 27 मार्च, सन् 2012 ई० को फ़ैसला सुरक्षित कर लिया। इस फ़ैसले को उसने 11 दिसम्बर, सन् 2013 ई० को सुनाया। इसमें दिल्ली हाईकोर्ट के फ़ैसले को निरस्त करते हुए कहा गया है कि भारतीय दंडसंहिता की उक्त धारा में परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है और उसके अनुसार यह कर्म प्रकृति के प्रतिकूल दंडनीय अपराध है। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि क़ानून बनाना सरकार का काम है। अगर वह चाहे तो संसद से क़ानून पारित करके इस धारा को निरस्त कर सकती है। इस फ़ैसले ने वाद-विवाद का दरवाज़ा खोल दिया है और इसके पक्ष और विपक्ष में



दलीलें और तर्क पेश किए जा रहे हैं।

समलैंगिकता के समर्थक बड़े ज़ोर-शोर से यह बात कहते हैं कि समलैंगिकता पर प्रतिबन्ध स्वतंत्रता, भेदभावरहित और समानता के मूल अधिकारों का उल्लंघन है, जिसकी भारतीय संविधान में ज़मानत दी गई है। संविधान की धारा 14 सारे लोगों के बीच समानता को अनिवार्य करती है और धारा 21 हर व्यक्ति के निजी जीवन को सुरक्षा मुहैया कराती है, जबकि धारा 15 में कहा गया है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मभूमि की बुनियाद पर किसी व्यक्ति के मामले में अन्तर नहीं किया जाएगा, लेकिन सच्ची बात यह है कि इस प्रतिबन्ध को मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं ठहराया जा सकता। सभ्य मानव-समाज में किसी व्यक्ति को बेक़ैद आज़ादी की अनुमति नहीं दी जा सकती, बल्कि उसे समाज की सभी मान्यताओं और सुनिश्चित नियमों की पाबन्दी करनी होगी, मिसाल के तौर पर कोई आदमी बिल्कुल नग्न होकर घर से बाहर निकलने और सार्वजनिक स्थानों पर जाने को अपना अधिकार कहे तो उसकी यह बात स्वीकार नहीं की जाएगी और उसे इस हरकत से रोका जाएगा।

इस मामले में समानता और भेदभावरहित अधिकारों का हवाला देना भी उचित नहीं, इसलिए कि जो आदमी इस घिनौने कर्म में लिप्त हो, उसे इससे रोकने के अलावा, इंसान होने की हैसियत से जो मौलिक अधिकार उसे मिलना चाहिए, उनसे न तो उसे वंचित किया जाता है और न ही उसके मानव होने का अपमान व उपेक्षा की जाती है।

एक बात यह कही जाती है कि

अगर दो व्यक्ति आपसी सहमति (Mutual Consent) से एक-दूसरे से अपनी कामवासना की पूर्ति कर रहे हैं तो इसमें किसी दूसरे का क्या जाता है? यह सहमति दो अलग-अलग लिंग जाति से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों के बीच भी हो सकती है और एक ही लिंग जाति के दो व्यक्तियों के बीच भी। जिस प्रकार किसी मर्द और औरत के बीच परस्पर सहमति से यौन सम्बन्ध (Consensual Sex) पर कोई प्रतिबंध नहीं है और इसे दंडनीय अपराध नहीं समझा जाता, इसी तरह इस दशा में भी इसकी अनुमति होनी चाहिए जब दो मर्द या दो औरतें आपसी सहमति से इस कर्म को करें।

किसी सभ्य समाज में आपसी सहमति की यह धारणा स्वीकार करने योग्य नहीं है, बल्कि इसे सामाजिक व्यवस्था और प्रबन्धन की कसौटी पर परखा जाएगा और यह देखा जाएगा कि उसके कारण सभ्य सामाजिक व्यवस्था में विकार तो नहीं पैदा हो रहा है और समाज का ताना-बाना तो नहीं छिन्न-भिन्न हो रहा है। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे रिश्वत का लेन-देन दो व्यक्तियों की आपसी सहमति से होता है, लेकिन इसे अपराध समझा जाता है और पकड़े जाने पर सख़्त सज़ा दी जाती है। इसकी वजह यह है कि अगर उन्हें इसकी इजाज़त दे दी जाए तो लूट-खसोट, बेईमानी और अधिकारों का हनन आम होने लगेगा और पूरा समाज अनाचार और बिगाड़ से भर जाएगा। इसी प्रकार दहेज का लेन-देन आमतौर पर आपसी सहमति से होता है, लेकिन इसे समाज में अच्छा नहीं समझा जाता है और इससे दूर रहने के लिए विभिन्न नियम बनाए गए हैं। इसी तरह दूसरी सामाजिक बुराइयों और ख़राबियों को देखा जा सकता है। किसी बुराई को क़ानूनी तौर पर सही ठहराने के लिए यह दलील काफ़ी नहीं है कि उसे दो व्यक्तियों ने आपसी सहमति से अंजाम दिया है।

कहा जाता है कि अपनी ही लिंगजाति की ओर यौनिक रुझान (Sexual Orientation) आनुवांशिक (Genetic) और जन्मजात (Congenital) होता है। इसका निर्धारण गर्भधारण के समय, बल्कि गर्भ ठहर जाने के शुरुआती दिनों में ही हो जाता है। इसके ज़िम्मेदार कुछ जीन् (Gene) होते हैं, जो मानव-शरीर में पाए जाते हैं। वही इन्सान के आचार-व्यवहार, मन-मस्तिष्क और स्वभाव को बनाते हैं। यह बात किसी हद तक ठीक हो सकती है, लेकिन यह भी एक तस्लीमशुदा हक़ीक़त है कि मानव-जीवन के अनुभवों और उसके चारों ओर का वातावरण उसके जीनियाती कोड (genetic Code) के बरताव को प्रभावित करता है और बदलते वातावरण में विभिन्न जीन् कभी सक्रियता और कभी निष्क्रियता का प्रदर्शन करते हैं।

.....

"तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी कामेच्छा पूरी करते हो। सच्चाई यह है कि तुम बिल्कुल ही हद से गुज़र जाने वाले लोग हो।"

(क़ुरआन, 7:81)

.....

मान लीजिए अगर इस बात को स्वीकार कर लिया जाए तो भी समाज की सुरक्षा के लिए इस मानसिकता को पनपने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि कुछ लोगों में जीन्स के कारण ही आतंकवाद या आत्महत्या के रुझान पाए जाते हैं, लेकिन इन रुझान वाले लोगों को न इन आपराधिक कामों की खुलेआम छूट दी जाती है और न उन गुनाहों के करने पर उन्हें सज़ा से बचाया जाता है।

समलैंगिकता के रुझान को पश्चिमी देशों में पहले मनोवैज्ञानिक रोगों में गिना जाता था। 'American Psychiatric Association' ने सन् 1952 ई० में मनोवैज्ञानिक रोगों पर अपनी पहली पुस्तिका 'Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.' के नाम से प्रकाशित किया तो इसमें समलैंगिकता को भी शामिल किया, लेकिन जब इसपर आलोचना की जाने लगी तो अन्ततः सन् 1973 ई० में उसे इस सूची से निकाल दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation) ने भी सन् 1977 ई० में अपनी रिपोर्ट ICD-9 में समलैंगिकता को मनोरोग क़रार दिया, लेकिन सन् 1990 ई० में आयोजित होने वाली 43वीं वर्ल्ड हेल्थ एसेम्बली (43rd World Health Assembly) की सिफ़ारिश के बाद ICD-10 में इसे मनोरोगों की सूची से निकाल दिया। यही मामला चीन में भी जारी रखा गया। 'Chinese Society of Psychiatry' ने सन् 1996 ई० में समलैंगिकता की गणना मनोरोगों में की, फिर पांच साल के बाद उसे इस सूची से निकाल दिया। साफ़ महसूस होता है कि पहले इसे मनोरोग मानना, फिर इसका इन्कार कर देना समलैंगिकता के समर्थकों की बढ़ती हुई संख्या और उनके मामले में दिन-प्रतिदिन बढ़ते दबाव का नतीजा था। समलैंगिकता को एक रोग की ही हैसियत दी जानी चाहिए और अगर इसका रुझान बचपन ही से दिखाई दे तो इसकी गिनती पैदाइशी और जन्म-जात

रोगों में करनी चाहिए।

कुछ बच्चे पैदाइशी तौर पर अपंग होते हैं या उनके किसी अंग में कमी होती है। मिसाल के तौर पर किसी के हाथ या पैर में छह उंगलियां होती हैं, या होठ कटा होता है, या सिर असाधारण रूप से बड़ा होता है, या हारमोनों के असन्तुलित होने की वजह से शारीरिक विकास औसत से कम होता है, इन सूरतों में उन बच्चों को यूं ही छोड़ नहीं दिया जाता कि वे तो ऐसे ही पैदा हुए हैं, बल्कि उनका इलाज करके उन्हें सामान्य जीवन व्यतीत करने योग्य बनाया जाता है। इसी तरह अगर कुछ लोग पैदाइशी तौर पर समलैंगिकता की ओर झुकाव रखते हों तो उनके इस रवैये को जन्म-जात दोष (Congenital Abnormaltity) समझते हुए उसका इलाज करने की कोशिश करनी चाहिए, न कि उनकी इस मानसिकता को परवान चढ़ाया जाए और इसके समर्थन में क़ानून और नियम बनाए जाएं।

समलैंगिकता फ़ितरत की व्यवस्था से बग़ावत और उसके विरुद्ध युद्ध का एलान है। आदिकाल से सृष्टि की सारी चीज़ों में नर-मादा के जोड़ा होने का नियम ही चला आ रहा है। न केवल जानवरों और वनस्पतियों में, बल्कि निर्जीव तत्त्वों में भी यह नियम सक्रिय है। स्वयं अणु (Atom) के बुनियादी मौलिक संघटन में ऋणात्मक और घनात्मक विद्युत उर्जा पाई जाती है। जीवधारी जातियों में नर और मादा का अन्तर प्रकृति ने नस्ल को बचाए रखने और वंश को बढ़ाने के लिए रखा है। दोनों के मिलन से उनकी नस्ल चलती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनके बीच आकर्षण रखा गया है।

इंसानों में इसी मक़सद के लिए नर और मादा की दो अलग-अलग जातियां बनाई गई हैं। उनकी शारीरिक बनावट और मानसिक संरचना इस प्रकार रखी गई हैं कि वे एक-दूसरे की ओर आकर्षण महसूस करते हैं। उनके बीच यौन सम्बन्ध के नतीजे में नस्ल के बढ़ाने का सिलसिला जारी रहता है। इस क्रिया में जो आनंद रखा गया है वह फ़ितरत (प्रकृति) के इस मक़सद को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है।

जो आदमी प्रकृति की इस योजना का उल्लंघन करते हुए अपने ही समलैंगिक से कामवासना का आनंद प्राप्त करने का प्रयास करता है वह वास्तव में फ़ितरत के विरुद्ध जंग करता है। यह लड़ाई उसके और उसके साथी (Partner) की शारीरिक रचना और मानसिकता दोनों पर बुरा प्रभाव डालती है, इसलिए कि वह उनसे वह काम लेना चाहता है जिसके लिए उन्हें बनाया ही नहीं गया है। इसी तरह ऐसा व्यक्ति वास्तव में फ़ितरत से ग़द्दारी का दोषी होता है। इसलिए कि फ़ितरत ने काम-वासना के आनंद को मानव जाति की निरन्तरता और प्रजनन क्रिया की महत्वपूर्ण सेवा का साधन बनाया है। जबकि वह इस सेवा को पूरा किए बिना आनंद प्राप्त करने का प्रयास करता है।

"क्या तुम दुनिया के लोगों में से मर्दों के पास जाते हो और तुम्हारी बीवियों में तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए जो कुछ पैदा किया है उसे छोड़ देते हो? बल्कि तुम लोग तो हद से ही गुज़र गए हो।"

(क़ुरआन, 26:165,166)

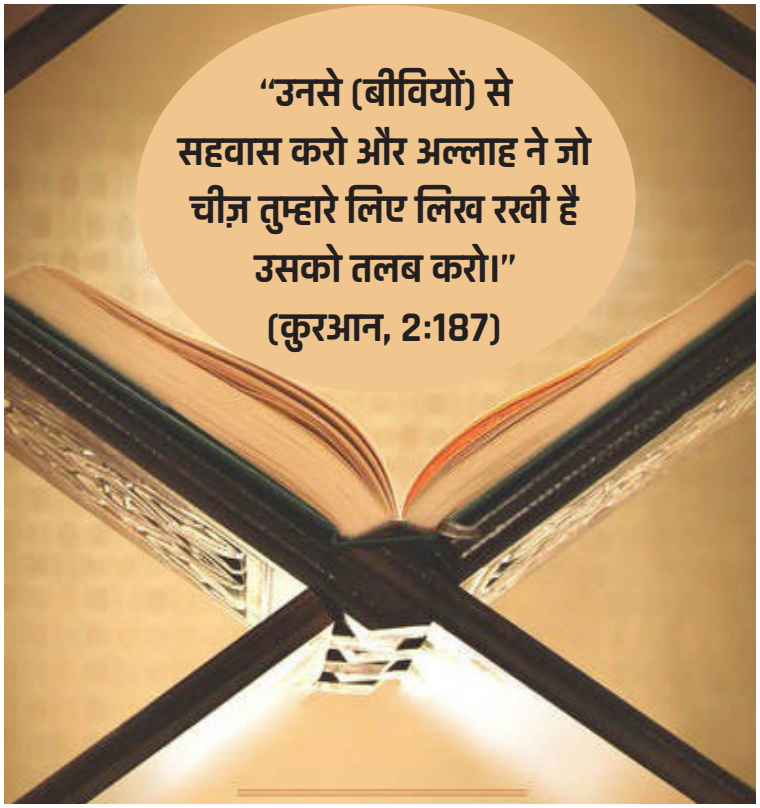
समाज के बनाए गए विधानों और क़ानूनों के मुताबिक़ जब मर्द और औरत इकट्ठा होते हैं तो उनसे एक ख़ानदान या परिवार बनता है। सन्तान का जन्म और पालन-पोषण होता है। रिश्ते-नाते वुजूद में आते हैं। संस्कृति (तमद्दुन) परवान चढ़ती है और समाज के सारे लोग अपनी-अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन समलैंगिकता से परिवार संस्था पर पूरी चोट लगती है। इसलिए कि जिस फ़ितरी तरीक़े से ख़ानदान बनना चाहिए, उसमें अड़चन पैदा हो जाती है। समलैंगिकता में संलिप्त व्यक्ति अपने विपरीत लिंग से विवाह करके मानव जाति की निरन्तरता के सिलसिले में अपनी ज़िम्मेदारी निभाने से जी चुराता है और ख़ानदान वुजूद में लाने और उससे सम्बन्धित लोगों की सेवा करने से भागता है।

वह सभ्यता और संस्कृति की सभी संस्थाओं से पूरी तरह फ़ायदा तो उठाता है, लेकिन उसे तरक़्क़ी देने के लिए कोई ज़िम्मेदारी अपने सिर नहीं लेता। समलैंगिकता का समर्थन मानो परिवार की व्यवस्था को तबाह करने की कोशिश और सभ्य सांस्कृतिक व्यवस्था पर अत्यन्त घातक प्रहार है। इसके नतीजे में बड़ी आशंका है कि समाज के ताने-बाने बिखर जाएं और संस्कृति का अटूट बंधन टूट-फूटकर बिखर कर रह जाए।

समलैंगिकता के समर्थकों की मांग है कि उन्हें आपस में शादी करने की इजाज़त दी जाए और इसके साथ

ही उन्हें वे सारी सहूलतें उपलब्ध कराई जाएं जो शादी के बन्धन में बंध जाने के बाद एक जोड़े को मिलती है। इस मांग को मान लेने का मतलब वैवाहिक संस्था पर गहरी चोट लगाना और इसकी अहमियत को ख़त्म करना है। कुछ देशों में इस मांग को स्वीकार कर लिया गया है और क़ानूनी तौर पर उनके वे सारे अधिकार स्वीकार कर लिए गए हैं जो शादी के बाद एक जोड़े को हासिल होते हैं। उन देशों में विवाह की कोई हैसियत नहीं रह गई है। सामाजिक जीवन में बिखराव फैला हुआ है, लोग धन-दौलत और आर्थिक कारणों के आधार पर इकट्ठा होते हैं, अपनी कामेच्छा पूरी करते हैं, जब तक चाहते हैं साथ रहते हैं और जब चाहते हैं अलग हो जाते हैं। बेक़ैद आज़ादी, मन की इच्छाओं की ग़ुलामी और स्वार्थवादिता ने उनके समाज को जानवरों के बाड़े के रूप में बदल दिया है।

समलैंगिकता का एक बड़ा नुक़सान यह है कि इससे आम आदमी के स्वास्थ्य को संगीन ख़तरा पैदा हो जाता है। इससे वे लोग तो शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित होते ही हैं जो इस कुकर्म में ग्रसित होते हैं, साथ ही इसके भयानक प्रभाव उन बहुत-से लोगों पर भी पड़ते हैं जो उनके आस-पास रहते हैं या जो उनके सम्पर्क में आते हैं। विगत शताब्दी की आठवीं दहाई में कुछ पश्चिमी देशों में होने वाले सर्वे से यह बात खुलकर सामने आई है कि समलैंगिकता में ग्रसित मर्दों की उम्र का औसत पचास वर्ष से कम है, जो कि सामूहिक आबादी की औसत उम्र से बीस साल कम है। सन् 2002 ई० में होने वाले एक सर्वे का नतीजा दोनों की उम्रों में तीस साल (30) अन्तर की सूरत में ज़ाहिर हुआ है।



समलैंगिकता अपने साथ बहुत-सी संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों का उपहार लाती है। उनका शिकार उसके आदी अपराधी ख़ुद भी होते हैं और वे लोग भी इनकी चपेट में आते हैं जो उनके सम्पर्क में रहते हैं। मिसाल के तौर पर ख़ूनी बवासीर, (Hemorrhoids) गुदा फटना, (Anal Fissure) गुदा संबंधी आघात, (Anorectal Trauma) गुदा कैंसर, (Anal Cancer) आतशक, (Syphilis) सूज़ाक, (Gonorrhoea) जिगर-सूजन, (Hepatitis B&C) और दूसरी बहुत-सी यौन सम्बन्धी और अन्य बीमारियां। सर्वे की रिपोर्टों से पता चलता है कि समलैंगिकता में संलिप्त लोग, आम लोगों के मुक़ाबले में अधिक आसानी से एड्स का शिकार हो जाते हैं।

समलैंगिकता के नुक़सानों और ख़राबियों की वजह से दुनिया के सारे ही धर्म इसका विरोध करते हैं और इसे मानवता के विरुद्ध अपराध समझते हैं। भारत के सभी धर्म हिन्दू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म आदि भी इसके अवैध होने पर सहमत हैं। जो लोग इस घृणित कुकर्म में लिप्त रहते हैं, केवल वही घातक और लाइलाज बीमारियों का शिकार नहीं होते, बल्कि इसके भयानक प्रभाव उन बहुत-से लोगों पर भी पड़ते हैं जो उनके आस-पास रहते हैं या जो उनके सम्पर्क में आते हैं। इससे आगे बढ़कर परिवार की बुनियादें हिलकर रह जाती हैं और संस्कृति एवं सभ्यता के बन्धन टूट-टूटकर बिखरने लगते हैं। इसलिए समाज के सोचने-समझने वाले और संजीदा लोगों की ज़िम्मेदारी है कि इस महामारी के सैलाब पर बांध-बांधने का पूरा प्रयास करें। व्यक्ति की निजी आज़ादी, बराबरी, समानता और भेदभाव रहित बुनियादी अधिकारों की दुहाई देकर इसे क़ानूनी वैधता नहीं प्रदान की जा सकती। ■■



क्या हो सही दृष्टिकोण ?

समाधान



सय्यद जलालुद्दीन उमरी

लोग आम तौर पर राजनैतिक रूप से चुनाव लड़ने और सत्ता हासिल करने के लिए संगठित होते हैं। वे पार्टियां भी संगठित हो जाती हैं जिनके बीच विचारधारा का कोई विशेष सम्बन्ध नहीं होता, लेकिन दुख इस बात का है कि यह देश, जिसे हम धर्मों का गढ़ कहते हैं, यहां विभिन्न धर्मों के मानने वाले बहुत कम वैचारिक मुद्दों पर संगठित हो पाते हैं। ख़ुशी इस बात की है कि हम एक अहम मुद्दे पर सहमत और एक आवाज़ हैं। समलैंगिकता किसी भी धर्म में सही नहीं है। कोई भी धर्म इसकी अनुमति नहीं देता। कुछ लोग कहते हैं कि इस मामले में इस्लाम का रवैया ज़्यादा सख़्त है, लेकिन जैसा कि आपके सामने बात आई, किसी धर्म में भी इसका ज़िक्र नहीं है और अगर है तो इसपर सख़्त नापसन्दीदगी का इज़हार किया गया है और इसकी कड़े शब्दों में निन्दा की गई है। इसे ग़लत काम और अपराध समझा गया है।

वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करते हुए एक दिलचस्प बात कही थी वह यह कि दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्ष 2009 में जो फ़ैसला दिया था वह पश्चिम से प्रभावित था। इस समय दुनिया में चूंकि एक रुझान-सा है कि आदमी को सेक्स के मामले में आज़ादी होनी चाहिए, इससे प्रभावित होकर यह फ़ैसला किया गया था और अपनी परम्पराओं को सिरे से अनदेखा कर दिया गया था। उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाईकोर्ट वर्ष 2009 में समलैंगिकता को अपराध के दायरे से हटा दिया था।

कुछ लोग कहते हैं कि समलैंगिकता का रुझान लोगों में बहुत पहले से पाया जाता है। पहले भी यह अमल (कर्म) होता था। यह बात सही है, लेकिन दो बातों का अन्तर है। एक यह कि पहले किसी व्यक्ति से संयोगवश यह अमल हो जाता था, हमेशा नहीं होता था। किसी ने ग़लत काम किया, फिर ख़ामोश हो गया। इस पर जीवन भर बने रहने का

कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोगों में समलैंगिकता का रुझान स्वाभातिक तौर पर पाया जाता है। रुझान तो लोगों में बहुत-सी चीज़ों का रहता है और बहुत से ग़लत काम होते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों में रिश्वत लेने का रुझान होता है, लेकिन इसे वैध नहीं ठहराया जा सकता। समाज इसे वैध नहीं ठहराता और न कभी वैध ठहराया जा सकता है, इसे अवैध ही समझा जाता है। कोई इसकी सराहना और समर्थन नहीं करता। यही स्थिति समलैंगिकता की है। सोचने वाली बात यह है कि यदि कुछ लोग ग़लत काम कर रहे हैं तो हम उनको क़ानूनी वैधता दिलाने में क्यों लग जाए? ख़ुशी इस बात की है कि इस मामले में इस्लाम का जो दृष्टिकोण है वही विचारधारा दूसरे धर्मों की भी है।



फ़ैसला कभी नहीं किया गया। बच्चों के साथ ज़्यादती पहले भी होती थी, आज भी होती है, लेकिन फ़र्क़ यह है कि पहले बड़े-बूढ़े और जवान लोग बच्चों के साथ अनाचार करते थे, लेकिन यह दुष्कर्म उनसे संयोगवश हो जाता था। पैग़म्बर हज़रत लूत (अलैहि०) ने अपनी क़ौम को चेतावनी देते हुए कहा-

''ऐ लोगो! तुम ऐसी बेहयाई व बेशर्मी का काम करते हो, जिसे तुमसे पहले दुनिया में किसी ने भी नहीं किया।'' (क़ुरआन, 29:28)

इसका मतलब यह नहीं है कि उनसे पहले किसी से भी यह हरकत नहीं हुई थी, बल्कि इसका भाव यह है कि तुमसे पहले किसी क़ौम ने भी इसे अपना स्थायी रवैया (चलन) नहीं बनाया कि पूरी की पूरी क़ौम कहने लगे कि हम इसी तरीक़े पर अमल करते रहेंगे। हम उसी प्रकार मिलकर जीवन व्यतीत करेंगे जिस प्रकार पति-पत्नी ज़िन्दगी गुज़ारते हैं।

इन्सान के अन्दर कामवासना पाई जाती है, इससे कोई आदमी इन्कार नहीं करता, लेकिन इसकी आपूर्ति का इस्लाम ने एक तरीक़ा बता दिया है। उससे हटकर किसी और तरीक़े से कामवासना की पूर्ति करना वैध नहीं है। पवित्र क़ुरआन में बताया गया है कि कामेच्छा के दो उद्देश्य हैं-एक यह कि

इन्सान को घर में सुकून और इत्मीनान हासिल हो और दूसरा यह कि इन्सानी नस्ल चले।

''लोगो! अपने उस पालनहार (रब) से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उसी की जाति से उसका जोड़ा भी पैदा किया और उन दोनों से बहुत से मर्द और औरत फैला दिए।''

(क़ुरआन, 4:1)

क़ुरआन, में एक अन्य स्थान पर कहा गया है-''उसकी निशानियों में से यह है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जाति से बीवियां बनाईं, ताकि तुम उनके



पास सुकून हासिल करो।''

(क़ुरआन, 30:21)

मालूम हुआ कि विवाह के दो मक़सद हैं-एक यह कि पति-पत्नी को सुकून हासिल हो और दूसरा यह कि उसके ज़रिये से इन्सानी नस्ल चले। ये दोनों मक़सद पूरे होने चाहिए। यह बात याद रखनी चाहिए कि ग़लत तरीक़े से आदमी को सुकून हासिल नहीं हो सकता। क़ुरआन में जगह-जगह बताया गया है कि जो क़ौमें कामवासना की संतुष्टि के लिए ग़लत रास्ता अपनाती हैं वह तबाह और बर्बाद हो जाती हैं।

कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोगों में समलैंगिकता का रुझान स्वाभाविक तौर पर पाया जाता है। रुझान तो लोगों में बहुत-सी चीज़ों का रहता है और बहुत से ग़लत काम होते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों में रिश्वत लेने का रुझान होता है, लेकिन इसे वैध नहीं ठहराया जा सकता। समाज इसे वैध नहीं ठहराता और न कभी वैध ठहराया जा सकता है, इसे अवैध ही समझा जाता है। कोई इसकी सराहना और समर्थन नहीं करता। यही स्थिति समलैंगिकता की है। सोचने वाली बात यह है कि यदि कुछ लोग ग़लत काम कर रहे हैं तो हम उनको क़ानूनी वैधता दिलाने में क्यों लग जाए?

समलैंगिकता प्रत्येक दशा में एक ग़लत और व्यक्ति व समाज के लिए विनाशकारी कर्म है। कोई भी क़ानून इसे वैध होने का आधार नहीं मुहैया कर सकता। इससे इसकी ख़राबियां और नुक़सान ख़त्म नहीं हो जाएंगे। बहरहाल, हमारा कहना है कि भारतीय दंड-विधान की धारा-377 को बाक़ी रखना चाहिए और समलैंगिकता को क़ानूनी हैसियत नहीं दी जानी चाहिए। ख़ुशी इस बात की है कि इस मामले में इस्लाम का जो दृष्टिकोण है वही विचारधारा दूसरे धर्मों की भी है।

''लोगो! अपने उस पालनहार (रब) से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उसी की जाति से उसका जोड़ा भी पैदा किया और उन दोनों से बहुत से मर्द और औरत फैला दिए।''

(क़ुरआन, 4:1)

''उसकी निशानियों में से यह है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जाति से बीवियां बनाईं, ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो।''

(क़ुरआन, 30:21)

मालूम हुआ कि विवाह के दो मक़सद हैं-एक यह कि पति-पत्नी को सुकून हासिल हो और दूसरा यह कि उसके ज़रिये से इनसानी नस्ल चले। ये दोनों मक़सद पूरे होने चाहिए। यह बात याद रखनी चाहिए कि ग़लत तरीक़े से आदमी को सुकून हासिल नहीं हो सकता।

ज़रूरत है कि हम लोगों को यह बात बताएं। हम हुकूमत के ज़िम्मेदारों से कहें कि वे ऐसे संबंधों को किसी भी रूप में मान्यता देने की नादानी न करें। इसी प्रकार हम देश की जनता से कहें कि आप लोग इसके विरुद्ध खड़े हो जाएं। समाज के शुभचिन्तक, सम्मानित और संजीदा लोगों की ज़िम्मेदारी है कि वे ग़लत कामों का सुधार करें, समर्थन न करें। एक बुराई अगर पनपती है तो वह दूसरी बुराइयों के लिए रास्ता खोल देगी, फिर तो उन बुराइयों को रोक पाना संभव नहीं होगा। ■■

कविता



हफ़ीज़ मेरठी

इन्सान को इन्सान बनाएं

अहबाब[1] से कह दो ज़रा दामन को बचाएं
मैं डूब रहा हूं मेरे नज़दीक न आएं

क्या अब भी मेरे दर्द का दरमां[2] नहीं होगा?
अल्लाह मेरे हाल पर रोती है दुआएं

मुमकिन नहीं दख़्ल उनकी मशीयत[3] में किसी का
मुख़्तार[4] हैं, मालिक हैं, बिगाड़ें कि बनाएं

आना ही था आ ही गया ये मरहला आख़िर
परवा न करें जान की, ईमान बचाएं

ऐ चारागर[5] एजाज़[6] दिखा चारागरी का
जो रोते हुए आये हैं हंसते हुए जाएं

मुश्किल तो है यह काम मगर काम यही है
इस दौर के इन्सान को इन्सान बनाएं

अच्छी है यही सोच 'हफ़ीज़' अपनी नज़र में
दुनिया से डरें और न दुनिया को डराएं।

1. दोस्तों, 2. इलाज, 3. मर्ज़ी, इरादा, 4. आज़ाद, 5. इलाज करने वाला, चिकित्सक, 6.चमत्कार



"कहो, क्या तुमने यह भी सोचा कि यदि तुम्हारा पानी (धरती में) नीचे उतर जाए तो फिर कौन तुम्हें लाकर देगा निर्मल प्रवाहित जल?"

(कुरआन, 67:30)

बर्बादी से बढ़ता जल संकट

सरोकार



जितेंद्र गौतम

आज जल संकट दुनिया के कोने-कोने में अपने पैर पसार चुका है। कुछ देशों में यह विकराल रूप लेता जा रहा है और लोगों को स्वच्छ जल मिलना कठिन होता जा रहा है। अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य आज पूरी तरह से भूजल पर निर्भर होता जा रहा है। आज भूगर्भीय जल ही मानवीय जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने का सबसे बड़ा स्रोत है। दुर्भाग्य से दुनिया में आधुनिक जीवनशैली ने भूगर्भीय जल के दोहन को बेलगाम तरीक़े से बढ़ाने के साथ-साथ उन तमाम जल संसाधनों के संरक्षण के प्रति भी उदासीन कर दिया है जो भूगर्भीय जल का स्तर बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हम धरती के अंदर का पानी तो बाहर उलीच देते हैं, लेकिन धरती के अंदर पानी का स्तर बचाए रखने में कोई भूमिका नहीं निभाते।

औद्योगीकरण, शहरीकरण, जीवन स्तर के बढ़ते मानकों और विभिन्न अन्य आर्थिक गतिविधियों के कारण प्राकृतिक जल संसाधनों का दोहन किए जाने के साथ-साथ उन्हें दूषित भी किया जा रहा है। हमने न केवल परंपरागत जल स्रोतों को नष्ट किया, बल्कि मनमाने तरीक़े से भूगर्भीय जल का दोहन भी कर रहे हैं।

जल संकट का असर अब दुनिया के तमाम देशों में देखा जाने लगा है। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में 1.6 अरब लोगों को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से परेशानियां, बीमारियां, पलायन, हिंसा, सामाजिक कटुता और दूसरी विकृतियां बढ़ रही हैं।

कहते हैं कि प्रकृति के पास सब प्राणियों की आवश्यकता को पूरा

कहते हैं कि प्रकृति के पास सब प्राणियों की आवश्यकता को पूरा करने योग्य संसाधन हैं, लेकिन प्रकृति संसाधनों की बर्बादी को सहन नहीं कर सकती। दुर्भाग्य से जल उपयोग के संदर्भ में मनुष्य जाति का व्यवहार ऐसा ही होता जा रहा है। मनुष्य की लालच और लापरवाही ने जल संकट को कई गुना बढ़ा दिया है। अधिक बड़े पैमाने पर पानी की बर्बादी विभिन्न आर्थिक एवं व्यापारिक स्वार्थ के कारण होती है।

करने योग्य संसाधन हैं, लेकिन प्रकृति संसाधनों की बर्बादी को सहन नहीं कर सकती। दुर्भाग्य से जल उपयोग के संदर्भ में मनुष्य जाति का व्यवहार ऐसा ही होता जा रहा है। मनुष्य की लालच और लापरवाही ने जल संकट को कई गुना बढ़ा दिया है। अधिक बड़े पैमाने पर पानी की बर्बादी विभिन्न आर्थिक एवं व्यापारिक स्वार्थ के कारण होती है।

मसलन, कृषि-क्षेत्र में जल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। जिन फ़सलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे ज़्यादा होता है, किसान उन्हीं फ़सलों का उत्पादन करने में ज़्यादा रुचि रखते हैं।



ग़ौरतलब है कि पंजाब, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में धान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना और दूसरे राज्यों में गेहूं तथा कपास की खेती को किसान प्राथमिकता देते हैं। इस वजह से कई राज्यों में भूजल का स्तर इतना नीचे चला गया है कि नलकूप से पानी निकालना मुश्किल हो गया है। इसके बावजूद किसान ऐसी फ़सलें उगाते हैं, जिनमें पानी की ख़पत बहुत ज़्यादा होती है। महाराष्ट्र में केला और गुजरात में कपास की उपज से मुनाफ़ा कमाना, इसी सोच का परिणाम है।

इसी प्रकार पिछले बीस वर्षों में बोतलबंद पानी के व्यापार में जो तेज़ी और तरक्क़ी आई है, वो आश्चर्यजनक है। उल्लेखनीय है कि एक लीटर बोतलबंद पानी तैयार करने में पांच लीटर पानी ख़र्च होता है। एक डाटा के मुताबिक़ दुनिया भर में साल 2004 में 154 अरब लीटर बोतलबंद पानी के लिए 770 अरब लीटर पानी का उपयोग किया गया था। भारत में भी ऐसी प्रक्रिया के लिए 25.5 अरब लीटर पानी बहाया गया। इसी तरह शीतल पेय बनाने वाली कंपनियों के भूजल के अकूत दोहन से भी कई क्षेत्रों में जल संकट गहराने की ख़बर है।

इसी प्रकार विभिन्न उत्पादों के निर्माण में भी पड़े पैमाने पर पानी की खपत होती है। आप जो कंप्यूटर या कार का इस्तेमाल करते हैं या फिर जो जींस पैंट पहनते हैं, उसमें भी हज़ारों लीटर पानी की खपत हुई होती है। एक कप कॉफी के साथ हम असल में 140 लीटर पानी भी पीते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर। इसे आप आभासी खपत कह सकते है, लेकिन यह खपत असली है।

हमने लगातार कुछ वर्षों में सबसे ज़्यादा दोहन भूमिगत जल का ही किया है। अब वह चाहे उद्योग हो, किसानी हो या घर का पानी हो, यह चलन बन चुका है कि यदि पानी चाहिए, तो धरती को छेद दो। केंद्रीय भूजल बोर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में सन 2007 से 2017 के बीच भूगर्भ जल के स्तर में 61 प्रतिशत की गिरावट आई। संयुक्त राष्ट्र

के खाद्य और कृषि संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जल संकट की वजह यहां ज़रूरत से ज़्यादा भूजल का दोहन है। सर्वेक्षण बताते हैं कि भारत में पानी की बर्बादी, दूसरे देशों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा होती है।

जल संकट सामाजिक समरसता, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य संतुलन, जैव विविधता को भी प्रभावित करने लगा है। इसके अलावा विस्थापन, बीमारियां, समय और श्रम की बर्बादी जैसी समस्याएं भी जल संकट के कारण पैदा हो रही हैं।

समर्थन मूल्य में सबसे महंगी बिकने वाली, लेकिन अधिक पानी सोखने वाली फ़सलों के प्रति किसानों को हतोत्साहित करने की ज़रूरत है। मगर यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विकल्प में किसान जिन कम पानी लेने वाली फ़सलों को उगाएं, उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के हक़ में हो, ताकि उन्हें इन फ़सलों को उगाने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा मोटे अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए बनाई गई नीति बेहद फ़ायदेमंद साबित हो सकती है।



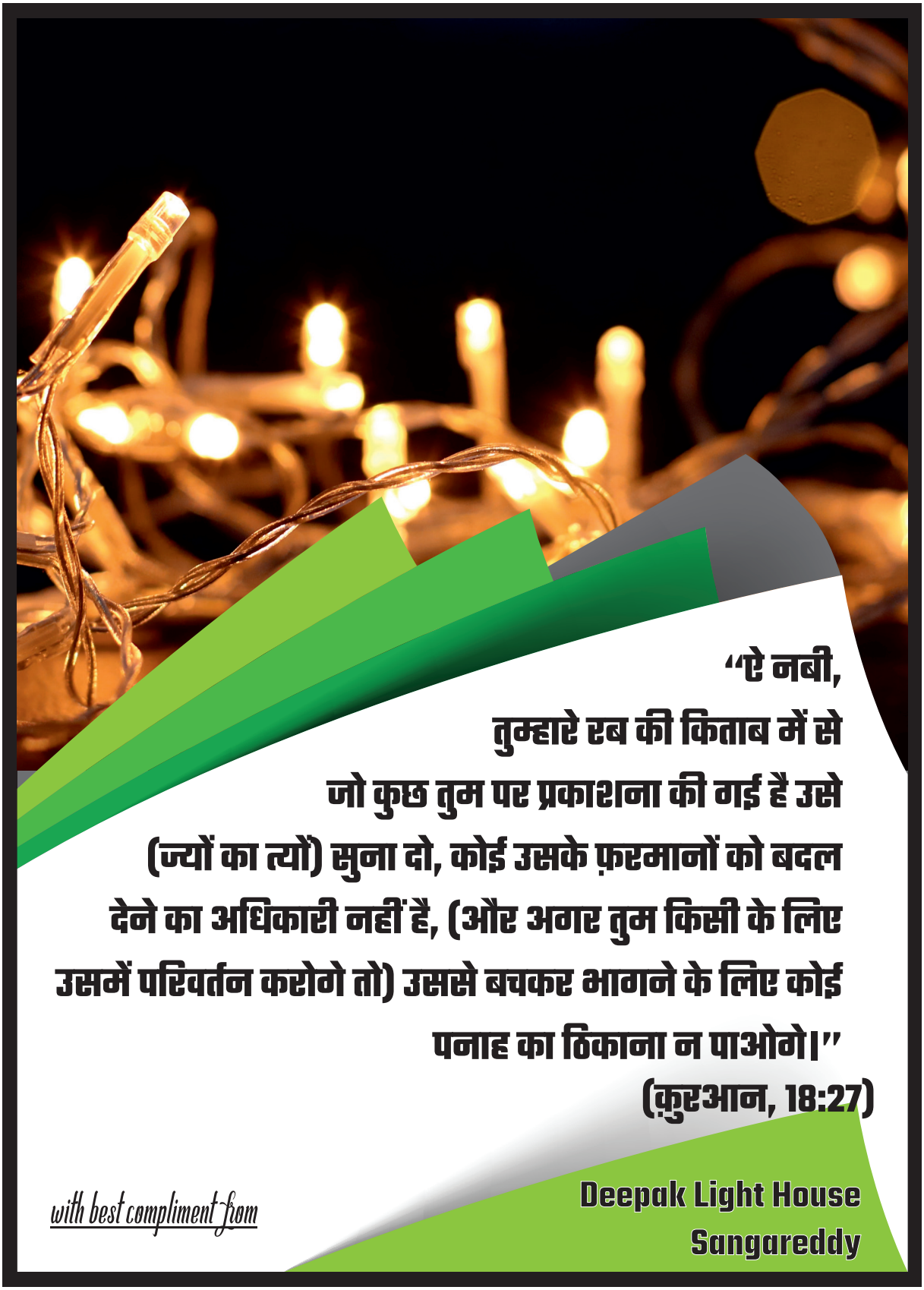
उल्लेखनीय है कि भारत में पानी का यह घोर संकट पिछले बीस-पच्चीस वर्षों में पैदा हुआ है। इसका प्रमुख कारण है जल की अकूत बर्बादी। इन बर्बादियों का ही परिणाम रहा कि दिल्ली और इससे सटे राज्य हरियाणा में धरती के नीचे का पानी दस से पंद्रह फुट तक नीचे चला गया है। इन इलाक़ों में बोतलबंद पानी का कारोबार बड़े पैमाने पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां कर रहीं है। शीतल पेय बनाने के विशालकाय संयंत्र भी बड़ी तादाद में चल रहे हैं। इनके ख़िलाफ़ सख्त क़दम उठाने की ज़रूरत है। इसके अलावा फ़सलों का न्यूनतम

यदि हम पानी को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हों तो जल संकट से निजात पाना इतना मुश्किल नहीं है। एक निश्चित सीमा के बाद यदि जल का उपयोग किया जाता है, तो वह वस्तुतः उपयोग नहीं होता, बल्कि दुरुपयोग होता है। आज जल संकट की ख़बरें भले ही रसातल में चली गई हों, लेकिन मनुष्यता के लिए पानी के संरक्षण की चिंता सबसे ज्वलंत मुद्दों में एक है।

आज हम अपने दुरुपयोग को तार्किकता की कसौटी पर सही बताने के तरीक़े भले निकाल लें, लेकिन स्थिति डराती है। ऐसे में आवश्यकता है कि हम

यदि हम पानी को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हों तो जल संकट से निजात पाना इतना मुश्किल नहीं है। एक निश्चित सीमा के बाद यदि जल का उपयोग किया जाता है, तो वह वस्तुतः उपयोग नहीं होता, बल्कि दुरुपयोग होता है। आज जल संकट की ख़बरें भले ही रसातल में चली गई हों, लेकिन मनुष्यता के लिए पानी के संरक्षण की चिंता सबसे ज्वलंत मुद्दों में एक है।आज हम अपने दुरुपयोग को तार्किकता की कसौटी पर सही बताने के तरीक़े भले निकाल लें, लेकिन स्थिति डराती है।

जल के उपलब्ध भंडारण के संरक्षण के प्रति सचेत हों और जल संरक्षण के संग्रहण के प्रति सजग रहें। यह सजगता ही हमें भविष्य की परेशानियों से बचा सकती हैं। जल संरक्षण के प्रति हमें अपने व्यवहार में बदलाव लाना ही होगा। पानी की बर्बादी गांव, क़स्बों और शहरों हर जगह रुकनी चाहिए। ■■


"ऐ नबी,
तुम्हारे रब की किताब में से
जो कुछ तुम पर प्रकाशना की गई है उसे
(ज्यों का त्यों) सुना दो, कोई उसके फ़रमानों को बदल
देने का अधिकारी नहीं है, (और अगर तुम किसी के लिए
उसमें परिवर्तन करोगे तो) उससे बचकर भागने के लिए कोई
पनाह का ठिकाना न पाओगे।"
(क़ुरआन, 18:27)
with best compliment from
Deepak Light House
Sangareddy



विवेचना



अभय कुमार

अक्सर देखा गया है कि संस्थाएं स्थापित तो हो जाती हैं, लेकिन वे आंतरिक कलह और निजी स्वार्थों में उलझ कर रह जाती हैं। हालांकि, इस कड़वी सच्चाई को ध्यान में रखते हुए, जब हम जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के इतिहास और उसके योगदान को देखते हैं, तो यह कहा जा सकता है कि यह संगठन इन सबसे अलग है।

इस विशिष्टता के साथ जमाअत इस्लामी हिंद के सदस्यों और कार्यकर्ताओं के लिए यह ख़ुशी की बात है कि उनके संगठन ने अपने गठन के 75 साल पूरे कर लिए हैं। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि जमाअत-ए-इस्लामी की शुरुआत 1941 में मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी के आह्वान पर लाहौर में एक कार्यक्रम में हुई थी।

मौलाना मौदूदी को महान इस्लामी विचारकों में से एक माना जाता है। वह जीवन के सभी क्षेत्रों में इस्लाम को लागू करने के समर्थक थे। भारत का विभाजन जमाअत-ए-इस्लामी के भी विभाजन का कारण बना। 1948 में जमाअत-ए-इस्लामी हिंद का नए सिरे से गठन हुआ। जबकि JIH के पहले अमीर (प्रमुख) मौलाना अबुल लैस इस्लाही नदवी थे, वर्तमान अमीर (अध्यक्ष) इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि वाले सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी हैं।

जमाअत की अपार सफलता का श्रेय इसके कार्यकर्ताओं को जाता है जिन्होंने कम संसाधनों में भी ख़ामोशी के साथ जमाअत के कार्यों के लिए कड़ी मेहनत की और सुर्खियों/ लाइमलाइट से दूर रहे।

जमाअत इस्लामी हिंद को स्वतंत्र भारत में दो बार प्रतिबंधित किया गया और इसके शीर्ष नेताओं को जेल जाना पड़ा। इसके कार्यालयों पर छापे मारे गए, लेकिन इसके कैडर इन समस्याओं और दबाव के बावजूद अपने मिशन पर लगे रहे। उनके प्रयासों के कारण आज जमाअत इस्लामी हिंद एक राष्ट्रव्यापी संगठन है जिसकी दक्षिण भारत में

मज़बूत उपस्थिति है। मोहल्ला स्तर पर इसके फ्रंटल संगठन सक्रिय हैं।

जमाअत के विरोधी भी स्वीकार करते हैं कि इसके सदस्य और कार्यकर्ता संगठित और व्यवस्थित तरीक़े से जमाअत का काम करते हैं। उन्हें इतनी अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाता है कि वे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं और धैर्य से काम लेते हैं। वे क्रोधित नहीं होते, कठोर वचनों से बचते हैं और विरोधियों को तर्क और तथ्य से समझाने का प्रयास करते हैं।

जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के कैडर ख़ुद को इस्लाम और मुस्लिम समाज तक ही सीमित नहीं रखते, बल्कि स्वयं को अन्य मुद्दों और विषयों से भी अवगत रखते हैं। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि JIH मुस्लिम समुदाय के एक सुशिक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है।

कुछ लोगों में यह ग़लतफ़हमी है कि जमाअत में स्थिरता आ गई है या इसकी गतिविधियां सीमित हो गई हैं इसलिए इसे और अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता है। सच्चाई यह है कि जमाअत इकामत-ए-दीन (इस्लाम धर्म की स्थापना) के अपने मिशन में मज़बूती से आगे बढ़ रही है, और यह आधुनिक तकनीक को अपनाते हुए इसमें तेज़ी ला रही है।

हालांकि, यह इस्लामी मूल्यों पर आधारित समाज की स्थापना में विश्वास करता है, लेकिन यह धर्मनिरपेक्ष और वामपंथी झुकाव वालों के साथ भी मंच साझा करता है। इसके अलावा, यह इस्लाम के प्रचार-प्रसार के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम भी चलाता है।

मीडिया से लेकर मानवाधिकार के मुद्दों तक–यह हर क्षेत्र में अत्यधिक सक्रिय है। जमाअत इस्लामी ने नागरिक समाज के बीच अपना नेटवर्क विस्तार किया है। यह कोई साधारण बात नहीं है कि आज जमाअत से जुड़े सैकड़ों फ्रंटल संगठन काम कर रहे हैं। हालांकि, यह उनके बीच समन्वय बनाए रखने में सफल रहा है। जेआईएच पेशेवर तरीक़े से काम करता है। अन्य संगठन इसकी कार्य पद्धति से सीख सकते हैं।

इन तमाम ख़ूबियों के बावजूद उस पर कई गंभीर आरोप लगते हैं। मुख्य आरोप यह है कि यह एक 'सांप्रदायिक संगठन' है। कुछ का यह भी कहना है कि जमाअत उसी तरह काम करती है जैसे हिंदू सांप्रदायिक संगठन करते हैं। लेकिन जमाअत को सांप्रदायिक संगठन कहना किसी भी नज़रिए से दुरुस्त नहीं है। जमाअत के विचारों से मतभेद होने का मतलब यह नहीं है कि हम कहें कि यह एक 'सांप्रदायिक संगठन' है।

भारत में साम्प्रदायिक संगठन लोगों को धर्म के नाम पर बांटते हैं और हिंसा में लिप्त रहते हैं। लेकिन जमाअत-ए-इस्लामी हिंद मुसलमानों का एक उदार संगठन है जिसके नेता, सदस्य और कार्यकर्ता विभिन्न वैचारिक पृष्ठभूमि से आते हैं। इसके कैडर को किसी विशेष ड्रेस कोड को अपनाने या किसी निश्चित मसलक का पालन करने की कोई बाध्यता नहीं है।

जमाअत-ए-इस्लामी हिंद को सांप्रदायिक कहने वालों ने या तो इसे क़रीब से नहीं देखा है या अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते वे निराधार आरोप लगाते हैं। बहुसंख्यक समुदाय के बीच डर पैदा करने के लिए अक्सर अफ़वाहें फैलाई जाती हैं कि मुसलमानों का एक विशेष संगठन सांप्रदायिक है।

यह साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि आज तक जमाअत इस्लामी हिंद सांप्रदायिक घृणा के किसी भी कार्य में शामिल रहा है या उसने सांप्रदायिकता फैलाई है।

कुछ लोग इस हद तक पक्षपाती हैं कि वे जमाअत इस्लामी पर राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने या राष्ट्र-विरोधी विचारों को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हैं। यह पूरी तरह झूठे आरोप हैं। देश के स्वतंत्रता संग्राम और विकास में भारतीय मुसलमानों का योगदान और बलिदान किसी अन्य समुदाय से कम नहीं है। जब भी देश कठिन दौर से गुज़रा है, मुसलमानों के सभी धार्मिक संगठनों ने राष्ट्र की एकता और संप्रभुता को मज़बूत करने का काम किया है।

अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए काम करने वाले किसी भी संगठन को निहित स्वार्थ के कारण सांप्रदायिक कहकर बदनाम किया जाता है और उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है। अतिवादी और असामाजिक तत्वों को यह नहीं पता कि भारत का दूसरा नाम विविधता है। इन कट्टर तत्वों को कोई यह बताए कि जब देश में सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार मिलेंगे तो राष्ट्र मज़बूत बनेगा। लेकिन दूसरी ओर देश की एकता और संप्रभुता तब तक नाज़ुक बनी रहती है जब तक कि कमज़ोर और वंचित वर्गों को न्याय नहीं मिल जाता।

मैं जमाअत की इस सफलता के लिए उसे मुबारकबाद देता हूं। साथ ही मैं कुछ बिंदु पर बात रखना चाहूंगा। सबसे पहले, जमाअत को ख़ुद मुस्लिम संस्थानों के बीच एक-दूसरे के ख़िलाफ़ ग़लतफ़हमियों को दूर करने के लिए काम करना चाहिए। यह अफ़सोस की बात है कि मुस्लिम संस्थानों में लोकतांत्रिक मूल्यों का अभाव है। जबकि इस्लाम परामर्श और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की एक प्रणाली निर्धारित करता है, इस्लामी

संस्थान दुर्भाग्य से इन इस्लामी मूल्यों से दूर हैं।

दूसरी बात यह कि मिल्ली संगठनों के बीच एकता लाने की कोशिश करते हुए, मुसलमानों को सभी पीड़ितों के बीच एकता बनाने के लिए भी काम करना चाहिए, भले ही वे किसी भी पंथ और समुदाय के हों।

धर्म के नाम पर अन्याय हो रहा है, लेकिन जाति और लिंग के आधार पर मौजूद असमानता लोगों को बर्बाद कर रही है। क्लास और वर्गीय असमानता भी बढ़ रही है। उदाहरण के लिए, सभी मुसलमान एक मस्जिद में प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब वे मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो वही मुसलमान मालिक और नौकर में बंट जाते हैं।

जमाअत अपने नेतृत्व में कमज़ोर और पसमांदा वर्ग और महिलाओं को बढ़ावा दे। इसे दलितों, आदिवासियों, पसमांदा और अन्य वंचित वर्गों का समर्थन करना चाहिए। केवल यह कहना कि जमाअत के अमुक नेता पसमांदा समूहों से आते हैं और इसलिए जमाअत ने सामाजिक न्याय के अपने मिशन को पूरा किया है, पर्याप्त नहीं है।

मुसलमानों को यह महसूस करना चाहिए कि जाति व्यवस्था, आर्थिक असमानता और लैंगिक भेदभाव न केवल ग़ैर-मुस्लिमों की समस्याएं हैं बल्कि मुस्लिम समुदाय भी इस घातक बीमारी से प्रभावित है। मुसलमानों की अपनी ग़लतियों के कारण इस बीमारी ने मुस्लिम समुदाय को संक्रमित कर दिया है।

जमाअत के आलिम मुझ से बेहतर जानते हैं कि इस्लाम नमाज़ अदा करने और अन्य धार्मिक कर्तव्यों को निभाने के साथ-साथ ग़रीबों, ज़रूरतमंदों और विकलांगों की मदद करना सिखाता है। साथ ही न्याय और समानता इस्लाम के ही दूसरे नाम हैं। लेकिन कई मुस्लिम संस्थान इस्लाम की उपरोक्त शिक्षाओं का पालन नहीं कर रहे हैं। मुस्लिम संस्थानों को यह समझना चाहिए कि जब तक वे अपने संगठनों में कमज़ोर वर्गों को समायोजित नहीं करते हैं, तब तक उन्हें राज्य से सरकारी निकायों में मुसलमानों के लिए उचित प्रतिनिधित्व की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है।

पूर्वाग्रह, अहंकार और भेदभाव की बीमारी से लड़े बिना मुस्लिम संस्थाएं अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकतीं। हालांकि, अगर मुस्लिम संगठन इन मुद्दों पर सोच-समझकर विचार करते हैं, तो उन्हें रात के अंधेरे में बहुसंख्यक समुदाय के सांप्रदायिक संगठनों से मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ■■

(लेखक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से इतिहास में पीएचडी हैं।)

"ऐ ईमान वालो बचाओ अपने आपको और अपने अहलो अयाल को दोजख़ की आग से।" (कुरआन)
अल्लाह के रसूल ने फरमाया : "मॉ–बाप का बेहतरीन तोहफा अपने बच्चों की सही तालीम व तर्बीयत है।" (हदीस)

अल्लाह की बंदगी और अपने अहलो अयाल(परिवार) व बंदों के हक़ के सिलसिले में अपनी ज़िम्मेदारियों को पहचानने(समझने) के लिए कुरआन व हदीस, सीरत (नबी सल्लल्लाहु अलैह वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी), इस्लामी तारीख़(इतिहास) व हिन्दुस्तान के मशहूर दीनी–इल्मी, फ़िक्री और म्यारी अख़बार व रसाइल (पत्रिकाओं) का मुताला (अध्ययन) कीजिए।

इस सिलसिले में हमारी ख़िदमात हासिल कीजिए :

कुरआन मजीद – अरबी, मय तर्जुमा, तफसीर, हदीस, सीरतुन्नबी, सीरते सहाबा व सहाबियात, तारीख़े इस्लाम, बच्चों के लिए तर्बीयती किताबें, दावती लिट्रेचर, उर्दू–हिन्दी डिक्शनरी, पारा पेटी, रहल जायनमाज़ वगैरह ...

आर्डर पर हासिल करें।

पेपर – पत्रिका	प्रति कापी	सालाना खरीददारी
✪ कान्ति साप्ताहिक अख़बार	7/-	350/-
✪ कान्ति मासिक पत्रिका	30/-	350/-
✪ दावत उर्दू अख़बार साप्ताहिक	15/-	750/-
✪ जिंदगी–ए–नौ उर्दू महाना	35/-	420/-

सालाना खरीददारी व ग्राहक बनने के लिए राब्ता करें :

AL FALAH
True Success Both Worlds

अल फलाह True Success Both Worlds
मेन रोड तलापार, राधावल्लभ वार्ड, करेली जिला–नरसिंहपुर(म.प्र.)

प्रो. अख़्तर नवाब
✆ **9926408118**



नफ़रत के ख़िलाफ़ सकारात्मक आह्वान

विचार



डॉ. प्रदीप कुमार

गत 15 मार्च को पूरे विश्व में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय ''इस्लामोफ़ोबिया विरोधी दिवस'' मनाया गया। विदित रहे कि 15 मार्च 2019 को इस्लामोफ़ोबिया से ग्रस्त एक उग्रवादी ने न्यूज़ीलैंड के क्राइस्ट चर्च स्थित अल-नूर मस्जिद पर हमला करके क़रीब 51 नमाज़ियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हमले ने दुनिया को, ख़ासकर मुस्लिम देशों का ध्यान इस्लामोफ़ोबिया के रूप में फैलायी जाने वाली सुनियोजित नफ़रत और हिंसा की ओर खींचा। इन देशों की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने गत वर्ष 15 मार्च को 'इस्लामोफ़ोबिया विरोधी दिवस' के रूप में मनाने की घोषणा की।

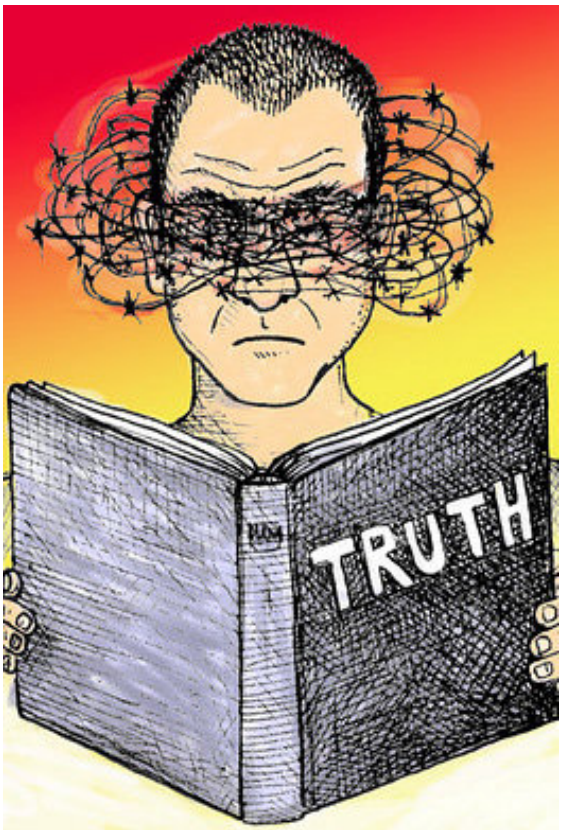


इस्लामोफ़ोबिया-अर्थात् इस्लाम तथा मुसलमानों के विरुद्ध नकारात्मक सोच पैदा करना। वास्तव में इस्लामोफ़ोबिया इस्लाम तथा मुसलमानों के प्रति फ़र्ज़ी डर पैदा करना है। इस डर के द्वारा नफ़रत दुश्मनी दुर्भावना तथा नस्लवादी भेदभाव को बढ़ावा देकर मुसलमानों की छवि बिगाड़ने का उद्देश्य है और यह सिद्ध करने का प्रयास है कि ये लोग समाज के लिए हानिकारक हैं। जब यह सोच समाज में फैलने लगती है तो मुसलमान तथा उनकी पूरी संस्कृति हमले की चपेट में आ जाती है, तर्क, विवेक एवं वास्तविकता कहीं गुम हो जाती है तथा केवल भावनाओं के सहारे समाज में भय का वातावरण पैदा कर दिया जाता है।

पिछले कुछ वर्षों में इसमें वृद्धि देखने को मिली है। इसके पीछे पश्चिमी देशों के सदियों पुराने पूर्वाग्रह भी हैं और कुछ नई 'ज़रूरतें एवं उद्देश्य भी हैं ताकि इस्लाम की अच्छी छवि लोगों की दृष्टि से ओझल रहे तथा मुसलमानों को भय के इस वातावरण में दबाव में रखकर वे अपने आर्थिक एवं राजनैतिक एजेंडे को लागू कर सकें।

कुछ सीधे-सादे लोग इस्लाम और मुसलमानों के बारे में जानकारी के अभाव में प्रोपगेंडे तथा भ्रांति का शिकार होकर भयभीत हो जाते हैं तथा वास्तविकता तक पहुंचने का प्रयास नहीं करते। इस प्रकार इस्लाम तथा मुसलमानों की अत्यन्त डरावनी तस्वीर प्रस्तुत की गई और मुसलमान नफ़रत, तिरस्कार और भेदभाव का शिकार हुए। इस्लामोफ़ोबिया मुसलमानों की नई पीढ़ी के सामने एक बड़ी रुकावट है तथा उनके मानवाधिकारों का हनन है।

यद्यपि इस अभियान को अभी उतनी सफलता नहीं मिली जितना उसके प्रायोजक चाहते हैं, बल्कि इसके विपरीत इस्लाम को जानने की जिज्ञासा और स्वीकृति बढ़ी है, पश्चिम में इस नकारात्मक प्रचार से इस्लाम चर्चा का विषय बना और ग़ैर-मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने इस्लामोफ़ोबिया एवं नस्लवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाई तथा मुसलमानों के साथ एकजुटता का प्रदर्शन किया। कनाडा एवं न्यूज़ीलैंड इसके उदाहरण हैं। चर्च तथा दलाईलामा के वक्तव्य भी सराहनीय रहे। फिर भी क्योंकि एक निराधार एवं नकारात्मक सोच बड़े पैमाने पर फैलाई जा रही है और यह सिलसिला जारी है, इसलिए इसके उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को समझना प्रत्येक न्यायप्रिय व्यक्ति के लिए आवश्यक है, जिससे मानवजाति विशेषकर हमारे देशवासी समय रहते सतर्क हो जाएं।



लगभग डेढ़ हज़ार वर्ष पूर्व हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के द्वारा जिस सामाजिक क्रांति की स्थापना हुई उससे आम लोगों ने सुख-शांति, बराबरी न्याय तथा हमदर्दी की ठंडी छांव को महसूस किया, परन्तु घमंडी तानाशाहों तथा पूर्वाग्रहों से पीड़ित संकीर्ण मानसिकता रखने वालों ने इस्लाम का विरोध किया और दुश्मनी पर उतर आए, यहां तक कि जंग पर भी आमादा रहे। इधर बीती सदी में दो 'इज़्म' कम्यूनिज़्म तथा कैपिटलिज़्म (पूंजीवाद) का विश्व स्तर पर उदय हुआ।

सोवियत यूनियन के बिखराव के पश्चात कम्यूनिज़्म का जादू समाप्त हो गया तथा पूंजीवादी प्रणाली के स्वाभाविक दोषों के चलते सामाजिक समस्याएं आर्थिक संकट तथा राजनैतिक अस्थिरता आदि के कारण यह प्रणाली भी अपना प्रभाव खोने लगी और एक वैचारिक शून्यता (Ideological Vacuum) सी प्रतीत होने लगी। यही वह समय था जब इस्लाम एक प्रणाली या व्यवस्था (System or Order) की हैसियत से सामने आया तथा उच्च स्तरीय अकादमिक शोध के द्वारा विश्व की आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान में प्रभावी वैकल्पिक व्यवस्था (Effective alternative system) की हैसियत से सामने आया तथा उच्च स्तरीय अकादमिक शोध के द्वारा विश्व की आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान में प्रभावी वैकल्पिक व्यवस्था (Effective alternative system) के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा, जिसकी

अनेक ग़ैर-मुस्लिम प्रतिष्ठित विद्वानों एवं बुद्धिजीवियों ने सराहना की और मुस्लिम विद्वानों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का समर्थन एवं अनुमोदन किया। परन्तु यही चीज़ कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने इस्लाम के योगदान को स्वीकारने के बजाय उसे अपने कल्चर के लिए ख़तरा समझा।

यहीं से इस्लामोफ़ोबिया या इस्लाम के प्रति डर पैदा करने और मानव विरोधी दर्शाने की शुरुआत हुई। इस विषय पर लेख तथा किताबें भी सामने आईं जिनमें Samuel Huntington की पुस्तक Clash of Civilizations (सभ्यताओं का टकराव) प्रमुख है। लेखक ने निष्कर्ष निकाला कि भविष्य में विश्व की नौ सभ्यताओं में से आठ सभ्यताएं एक ख़ेमे में होंगी, जिनका मुक़ाबला इस्लामी सभ्यता से होगा। अर्थात् पश्चिम ने यह डर उत्पन्न किया कि अब टकराव इस्लाम और मुसलमानों से है और उनकी सभ्यता को अब अगर कोई चुनौती दे सकता है तो वह इस्लाम है। यह है इस्लामोफ़ोबिया की पृष्ठभूमि।

स्पष्ट है कि इस्लामोफ़ोबिया, इस्लाम तथा मुसलमानों के विरुद्ध भय, घृणा एवं पूर्वाग्रह की सोच पैदा करना है। प्रचार-प्रसार एवं प्रोपगैंडे के द्वारा कुछ झूठे एवं निराधार आरोप इस्लाम तथा मुसलमानों से जोड़ दिए गए हैं, जैसे हिंसा, कट्टरता, मुख्यधारा से अलग, अपने धर्म के प्रति अति संवेदनशीलता तथा आतंकवाद का समर्थन आदि। मीडिया द्वारा इस्लामोफ़ोबिया को ख़ूब उछाला गया। अमेरिका की 9/11 की घटना के बाद इसमें और वृद्धि हुई। विश्व स्तर पर इस्लाम विरोधी लॉबी सक्रिय है, जिसने इस्लाम के प्रति 'भय' पैदा करने में कोई क़सर नहीं उठा रखी।

कुछ सीधे-सादे लोग इस्लाम और मुसलमानों के बारे में जानकारी के अभाव में प्रोपगेंडे तथा भ्रांति का शिकार होकर भयभीत हो जाते हैं तथा वास्तविकता तक पहुंचने का प्रयास नहीं करते। इस प्रकार इस्लाम तथा मुसलमानों की अत्यन्त डरावनी तस्वीर प्रस्तुत की गई और मुसलमान नफ़रत, तिरस्कार और भेदभाव का शिकार हुए। इस्लामोफ़ोबिया मुसलमानों की नई पीढ़ी के सामने एक बड़ी रुकावट है तथा उनके मानवाधिकारों का हनन है।

हमारा देश भी इस्लामोफ़ोबिया के इस वैश्विक अभियान से अछूता नहीं रह सका। यहां भी इस्लाम और मुसलमानों के प्रति नकारात्मक सोच का प्रचार किया गया और घृणा, भय, दुश्मनी तथा पूर्वाग्रह को बढ़ावा दिया गया। यहां डर का यह वातावरण मुसलमानों के प्रति ही अधिक है, जबकि इस्लाम, क़ुरआन और हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) के प्रति अधिकांश ग़ैर-मुस्लिम भाई आदर भाव रखते हैं।



मुसलमानों से नाराज़गी के पीछे कुछ ऐतिहासिक तथा राजनैतिक कारण हैं। आठ सौ साल के मुस्लिम शासनकाल की कुछ कमियां भी रही होंगी। अंग्रेज़ों ने अपने शासनकाल में उन्हें उजागर करने के साथ असंख्य झूठी मनगढ़ंत घटनाएं भी इतिहास का हिस्सा बनाकर प्रस्तुत कर दीं ताकि दो बड़े समुदाय आपस में लड़ते रहें तथा वे हुकूमत करते रहें। स्वतंत्रता आन्दोलन में दोनों समुदाय बराबर से संघर्षरत रहे, इसलिए उम्मीद थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अंग्रेज़ों द्वारा फैलाई गई कटुता पर क़ाबू पा लिया जाएगा, परंतु देश के विभाजन का आपसी संबंधों पर बुरा प्रभाव पड़ा। स्वतंत्र भारत में हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ गए, परिणामस्वरूप सांप्रदायिक दंगे हुए और बाबरी मस्जिद विध्वंस जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी।

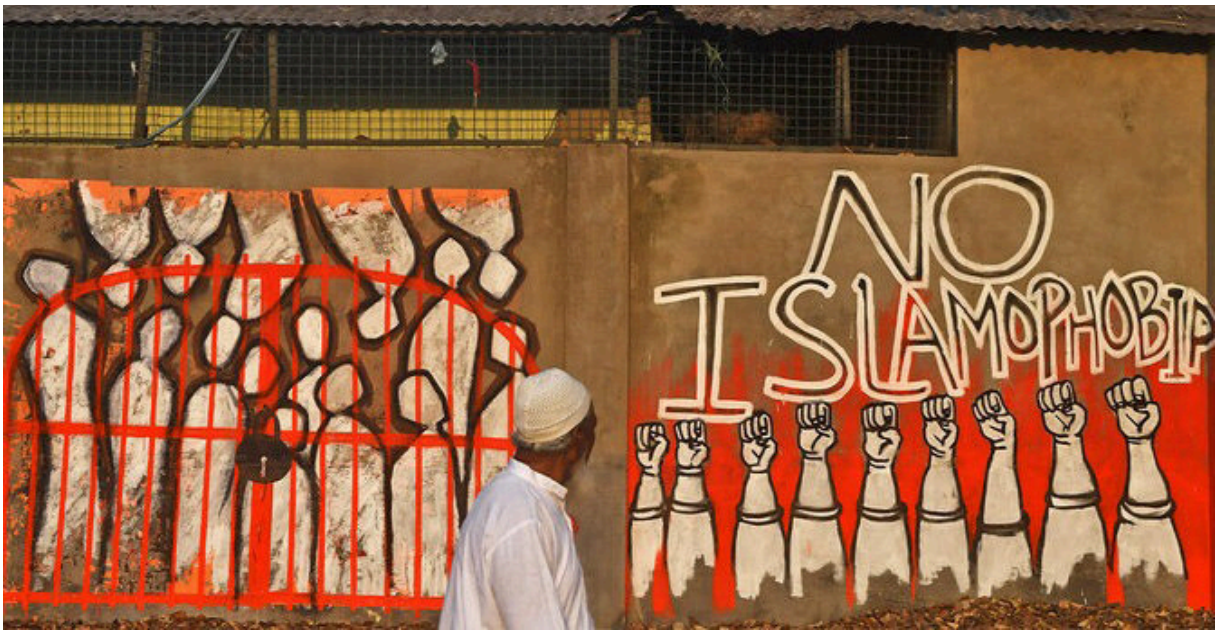
इधर कुछ वर्षों से सत्ता के ध्रुवीकरण के लिए मुस्लिम दुश्मनी का प्रयोग किया गया और उससे सत्ता प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त भी हुआ, परन्तु समाज को घोर आघात पहुंचा। न्याय, हमदर्दी तथा मानवता इस नकारात्मक मानसिकता की भेंट चढ़ गए और भीड़ द्वारा हिंसा (Mob Lynching) के रूप में सभ्य समाज के दामन पर दाग़ लग गया। इस कुकृत्य में लिप्त लोगों को सम्मानित करने और इस पर सभ्य समाज के मूकदर्शक बने रहने ने भी अनेक प्रश्न खड़े कर दिए। इस सब में मीडिया की

भूमिका अत्यंत नकारात्मक रही। पाठ्य-पुस्तकों एवं शैक्षिक संस्थाओं में भी नई पीढ़ी के मन में 'नफ़रत' के बीज बोए गए।

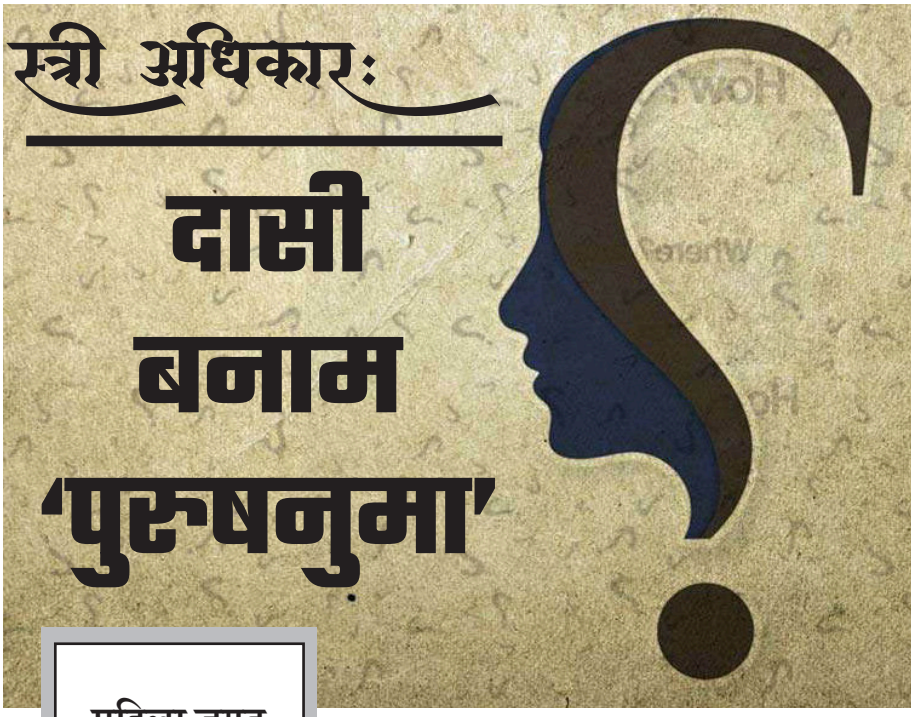
सवाल उठता है कि वह बिन्दु क्या है, जिन्हें आधार बनाकर नफ़रत और दुश्मनी का माहौल बनाया जा रहा है, उसमें मुख्यतः जिहाद, हिंसा, गौ-हत्या, लव-जिहाद, तलाक़ जनसंख्यावृद्धि तथा इस्लामी रीति-रिवाज निशाने पर है। क़ुरआन के जिहाद संबंधी आदेशों को संदर्भ तथा प्रसंग से अलग करके मुसलमानों को हिंसा के पोषक के रूप में प्रस्तुत करने की मुहिम बहुत पुरानी है। समय-समय पर यह आरोप दोहराया जाता है कि इस्लाम तलवार के द्वारा अर्थात् बलपूर्वक फैलाया गया। इस आरोप का स्पष्ट एवं तर्कपूर्ण उत्तर दिया जाता रहा है। पवित्र क़ुरआन में किसी भी इन्सान की नाहक़ हत्या को संपूर्ण मानवजाति की हत्या के बराबर बताया गया है (5:32)। हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की जीवनी भी इस पर गवाह है। जहां तक बल प्रयोग का प्रश्न है, विश्व की अन्य व्यावहारिक व्यवस्थाओं एवं सभ्यताओं की भांति इस्लामी क़ानून भी मानवजाति के हित में केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में अंतिम विकल्प के रूप में बल प्रयोग की अनुमति देता है, वह भी एक ज़िम्मेदार सत्ता की देख-रेख में तथा नियम-क़ानून की पाबन्दियों के अन्तर्गत।

आतंक या किसी भी प्रकार की हिंसा या देश के विरुद्ध कार्य का मुस्लिम समाज ने कभी समर्थन नहीं किया। इसी प्रकार गौ-हत्या का मामला उठाया गया, जिसे आज तक गरमाया जा रहा है। इसमें भी तथ्य कम तथा राजनीति अधिक है। जहां तक लव-जिहाद का मामला है, धर्मान्तरण एक स्वाभाविक क्रिया है, इसमें ज़ोर-ज़बरदस्ती इस्लामी क़ानून के विरुद्ध है। इसको मुद्दा बनाकर लव-जिहाद की नई शब्दावली गढ़ी गई जो वास्तविकता से परे है। तलाक़ एक अप्रिय चीज़ होते हुए भी समाज की एक आवश्यकता है इसलिए इस्लाम अपरिहार्य परिस्थितियों में इसकी अनुमति देता है। यही कारण है कि इसकी उपयोगिता को समझकर अन्य समाजों ने भी तलाक़ का प्रावधान किया है। अब जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर मुस्लिम समाज को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि आंकड़े गवाह हैं कि मुसलमानों की वृद्धि-दर हिन्दुओं की वृद्धि-दर की तुलना में कम है। मुसलमानों की धार्मिक मान्यताओं अज़ान, नमाज़, पर्सनल लॉ, पर्दा तथा संस्थाओं, मस्जिद, मदरसे, क़ब्रिस्तान आदि पर आक्षेप किए गए।

इसी के साथ अनेक काल्पनिक आरोप मुसलमानों से जोड़ दिए गए, जैसे-भारत की ग़रीबी के लिए मुस्लिम शासक ज़िम्मेदार हैं, मुस्लिम शासकों ने बहुत अत्याचार किए, मंदिरों को ध्वस्त किया, मुसलमान विभाजन के ज़िम्मेदार हैं, आदि-आदि। यह और इस प्रकार के सभी काल्पनिक आरोपों का निराधार होना सिद्ध किया जा चुका है। परन्तु इन बातों की पुनरावृत्ति समाप्त नहीं होती। इन धारणाओं एवं इस मानसिकता को तैयार करने में ज़हरीले भाषणों (Hate Speeches) की बड़ी भूमिका है।



■■



महिला जगत



मुत्तलिब मिर्ज़ा

"हमने आदम की संतान को श्रेष्ठता प्रदान की और उन्हें थल और जल में सवारी दी और अच्छी पाक चीज़ों से उन्हें रोज़ी दी और अपने पैदा किए हुए बहुत-से प्राणियों की अपेक्षा उन्हें श्रेष्ठता प्रदान की।"
(कुरआन, 17:70)

इन्सानी समाज में अक्सर ऐसा होता आया है कि औरतों को बहुत कमज़ोर समझा गया और जान-बूझकर कमज़ोर रखा भी गया, औरतों के संबंध में बहुत-सी परिकल्पनाएं गढ़ी गईं और फैलाई गईं। उदाहरणार्थ औरतें मूर्ख होती हैं, उनमें आत्मा नहीं होती, वे बुराई की जड़ होती हैं, इत्यादि इत्यादि। इन सब परिकल्पनाओं के गढ़ने की वजह यही थी कि औरतों का शोषण आसानी से किया जा सके, उन्हें अधिकारों से वंचित रखा जाए और उन्हें यह समझा दिया जाए कि वे दुनिया में मर्द की दासी की हैसियत रखती हैं। अगर कोई औरत पुरुषवादी समाज की इन मान्यताओं को मानने से इन्कार करने की कोशिश करती या इन पर सवाल उठाना चाहती तो लोगों के लिए यह बहुत आसान था कि ऐसी औरत पर लांछन लगा दिए जाएं, उसे बदकार और डायन बताकर प्रताड़ित किया जाए।

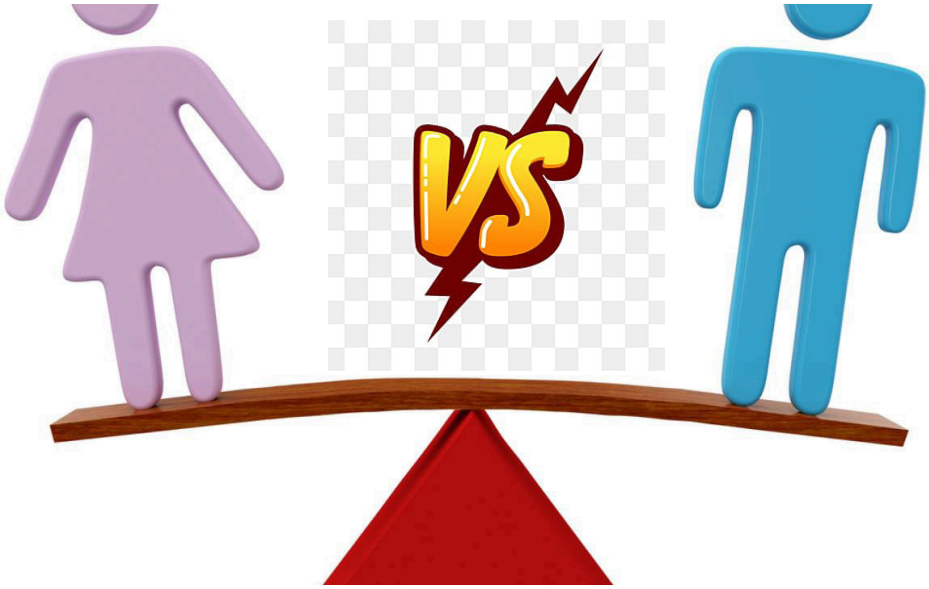
इक्कीसवीं सदी जो आधुनिकता और विकास की सदी कहलाती है, जिसमें मानव समाज ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कई चमत्कारिक आविष्कार देखे हैं, इन विकास और चमत्कारों के बीच भी महिला की स्थिति पहले के मुक़ाबले ज़्यादा नहीं सुधर सकी है, यह अलग बात है कि औरत के शोषण के तरीक़े बदल गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफ़ी अन्नान ने 2006 में महिला शोषण पर एक रिपोर्ट देते हुए कहा था कि महिला शोषण की स्थिति एक महामारी की तरह है, पूरी दुनिया में हर तीन में से एक औरत, अजनबी पुरुषों या अपने जानने वालों के द्वारा शोषण का शिकार होती है।

महिला शोषण या उत्पीड़न के ख़िलाफ़ समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रम और आंदोलन भी चलाए गए, लेकिन उनमें से ज़्यादातर ऐसे हैं जो 'Reactionary Approach' के नतीजे में पैदा हुए, जिनमें सकारात्मक रचनात्मकता के बजाए समाज के प्रति क्रोध, खीज और नाराज़गी के मनोभाव ज़्यादा होते हैं, इस तरह के आंदोलन चाहे नारी को घर की चारदीवारी से बग़ावत करके सड़क पर ले आए हों, लेकिन उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारने और उनके प्रति पुरुषों के रवैयों को बदलने में बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुए।

इसी तरह महिला अधिकार संबंधी विभिन्न क़ानून बनाए गए, विभिन्न क्षेत्रों में महिला आरक्षण को सुनिश्चित किया गया, इन माध्यमों से महिलाओं को

राजनीति में आगे लाने की कोशिशें हुईं, नौकरियों में महिलाओं को आगे आने के अवसर प्राप्त हुए, जिसके फलस्वरूप महिलाएं संसद के गलियारों से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक अपनी जगह बनाने में किसी हद तक कामयाब हुईं, लेकिन इन जगहों पर भी विभिन्न तरीक़ों से महिलाएं शोषण की शिकार हुईं।

निजी क्षेत्रों में जॉब करने वाली महिलाओं की स्थिति और ज़्यादा दयनीय है, कॉरपोरेट जगत जिसकी चकाचौंध देखकर आंखें मिचमिचाने लगती हैं। उस जगत को इस तरह दिखाया जाता है जैसे वहां महिलाओं को बहुत उच्च स्तर पर स्थान दिया गया है, लेकिन आए दिन होने वाली घटनाएं और "Me too" जैसे अभियान बताते हैं कि उस जगत की नज़र आने वाली 'सुंदरता' के पीछे कैसी भयानक और क्रूर दुनिया मौजूद है, जहां औरत को 'व्यवसायिक उत्पाद' की तरह प्रस्तुत किया जाता है।



विभिन्न विज्ञापनों में महिलाओं की उपस्थिति उनके उत्थान की नहीं बल्कि अपमान की गाथा बयान करती है। इसके अलावा इन कथित उदार और आधुनिक जगतों में महिलाओं के साथ आर्थिक भेदभाव भी आम है, और यह तो असम्भव के बराबर मुश्किल है कि महिलाओं को उनके स्त्रीत्व को बाक़ी रखते हुए किसी तरह की तरक़्क़ी की उम्मीद की जाए।

सुदूर अतीत में अगर औरत को यह समझा कर उसका शोषण किया गया कि वह पुरुष की दासी है और पुरुष की सेवा ही उसका धर्म है तो आधुनिक दौर में औरत से उसका स्त्रीत्व छीन कर और यह पढ़ा कर उसका शोषण किया जा रहा है कि वह पुरुष की तरह बनकर ही कोई मक़ाम प्राप्त कर सकती है, लेकिन यह बात याद रखी जाए कि जिस तरह औरत को दासी बनाना ज़ुल्म है उसी तरह उससे उसका व्यक्तित्व, उसका स्त्रीत्व छीनकर उसे ''पुरुषनुमा'' बनाना उससे भी बड़ा ज़ुल्म है।

इन परिस्थितियों में आवश्यक है कि महिला उत्पीड़न के ख़िलाफ़ और महिलाओं के अधिकार और सम्मान के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों, अभियानों और आंदोलनों का आलोचनात्मक अध्ययन और विश्लेषण किया जाए और जाना जाए कि क्या सिर्फ़ महिला आरक्षण या लैंगिक समानता के नारों से महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है? क्या यह अभियान और प्रयास काफ़ी है कि जिनसे महिलाओं के प्रति समाज और पुरुषों की सोच और सोचने के कोणों को बदला जा सकता है या विभिन्न पहलुओं पर चिंतन-मनन की आवश्यकता है। यह भी विचारणीय बिंदु है कि महिलाओं के सम्मान के लिए और अधिकारों के लिए जो रूप-रेखा और कार्यप्रणाली अपनाई गई है वह सही है या उसमें ही कहीं कमियां मौजूद हैं।

इन बातों पर विचार करने और सही नतीजे पर पहुंचने के लिए अतिआवश्यक है कि समाज में मर्द व औरत की सटीक स्थिति को जाना जाए। दोनों में मौजूद समानताओं एवं विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाए। प्रकृति ने उनकी भौतिक संरचना और भावनात्मक सतह पर जो अंतर रखा है उसे नज़रंदाज़ करके उनके लिए कोई कार्यप्रणाली बनाना भी कई तरह की समस्याओं को पैदा करने का कारण बना है। महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए जहां कई पहलुओं से विचार किया गया है वहीं धार्मिक पहलू से बहुत हद तक उपेक्षा बरती गई है, बल्कि यह समझा गया है कि महिलाओं के शोषण के लिए धर्म मुख्य रूप से उत्तरदायी है।

इस सोच की एक वजह यह भी है कि धर्म के नाम पर मानव निर्मित रीति-रिवाज और क़ानूनों में मानव समाज के कई समूहों पर शोषण और अत्याचार के लिए राहें निकाली गई हैं, लेकिन धर्म की जो ईश्वरीय अवधारणा है वह

न सिर्फ़ महिलाओं बल्कि हर समूह को न्याय, सम्मान और आज़ादी की मज़बूत पक्षधर है। इस अवधारणा के अनुसार मर्द और औरत दोनों से इंसानी समाज वजूद में आया है, दोनों में से किसी भी एक का कमज़ोर या मज़लूम होना पूरे समाज को कमज़ोर कर देता है। न तो मर्दों को बेलगाम आज़ादी दी गई है और न औरतों के पांव में बेड़ियां डाली गई हैं। सामाजिक कर्त्तव्यों का निर्वाहन दोनों के कांधों पर डाला गया है। हदबंदियां दोनों के लिए की गई हैं और दोनों को आज़ाद व्यक्तित्व दिया गया है।

ईश्वरीय ग्रन्थ क़ुरआन में स्पष्ट तौर पर यह बात कही गई है-

''लोगो! अपने पालनहार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी जान से उसका जोड़ा बनाया।''

(क़ुरआन, 4:1)

क़ुरआन के इस बयान में यह संदेश मौजूद है कि मर्द और औरत की सामाजिक हैसियत बराबर है, इसी तरह एक और जगह पर यह बात कही गई है- ''निःसंदेह हमने आदम की औलाद को बड़ी इज़्ज़त बख़्शी है।''

(क़ुरआन, 17:70)

यह बयान स्पष्ट करता है कि पुरुष और महिला दोनों बराबर इज़्ज़त का हक़ रखते हैं, अर्थात् महिला को इज़्ज़त देने के लिए पुरुष का रूप धारण करवाना उस पर अत्याचार भी है और प्रकृति के ख़िलाफ़ भी है। क़ुरआन में विभिन्न जगहों पर यह भी स्पष्ट किया है कि सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वाहन में, समाज के उत्थान में महिलाओं की भूमिका पुरुषों की भूमिका से कम अहम नहीं है।

क़ुरआन के इन क्रांतिकारी उपदेशों ही का असर था कि अरब में पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) के संघर्ष और इन



संदेशों के नतीजे में बड़ी तेज़ी से महिलाओं की स्थिती में सुधार हुआ। उस समाज ने महिलाओं को उनकी अस्ल पहचान के साथ क़ुबूल किया और उनकी पहचान के साथ ही उन्हें सम्मान दिया और इज़्ज़त दी, इसका नतीजा यह हुआ कि ख़ुद महिलाओं ने आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ समाज के सकारात्मक निर्माण का बेड़ा उठाया, उन्हें न सिर्फ़ अपने अधिकारों की जानकारी थी अपितु अपने कर्त्तव्यों और ज़िम्मेदारियों का एहसास भी था।

किसी भी तरह के सुधार के लिए यह आवश्यक है कि उसकी दिशा भी सही तय की जाए, उदाहरणतः पानी में रहने वाली मछली अगर पक्षियों की तरह आसमान की ऊंचाइयों को नहीं छू रही है तो यह उनका अवगुण नहीं है, और न यह पक्षियों में किसी तरह का दोष है कि वे पानी की गहराई में नहीं उतर सकते। दोनों की अपनी विशेषताएं हैं, दोनों की अपनी कमज़ोरियां हैं, उनकी अपनी विशेषताओं और कमज़ोरियों को दरकिनार करके अगर मछली को उड़ाने और पक्षियों को पानी में तैराने की कोशिश की जाती है तो अंततः मछली तैरने से जाएगी और पक्षी उड़ने से महरूम हो जाएंगे।

"सुदूर अतीत में अगर औरत को यह समझा कर उसका शोषण किया गया कि वह पुरुष की दासी है और पुरुष की सेवा ही उसका धर्म है तो आधुनिक दौर में औरत से उसका स्त्रीत्व छीन कर और यह पढ़ाकर उसका शोषण किया जा रहा है कि वह पुरुष की तरह बनकर ही कोई मक़ाम प्राप्त कर सकती है।''

■■

कहानी



मुंशी प्रेमचंद

मोटेराम जी शास्त्री

पण्डित मोटेराम जी शास्त्री को कौन नहीं जानता! आप अधिकारियों का रुख़ देखकर काम करते हैं। स्वदेशी आन्दोलन के दिनों में अपने उस आन्दोलन का ख़ूब विरोध किया था। स्वराज्य आन्दोलन के दिनों में भी अपने अधिकारियों से राजभक्ति की सनद हासिल की थी। मगर जब इतनी उछल-कूद पर उनकी तक़दीर की मीठी नींद न टूटी और अध्यापन कार्य से पिण्ड न छूटा, तो अन्त में अपनी एक नई तदबीर सोची। घर जाकर धर्मपत्नी जी से बोले–इन बूढ़े तोतों को रटाते-रटाते मेरी खोपड़ी पच्ची हुई जाती है। इतने दिनों विद्या-दान देने का क्या फल मिला जो और आगे कुछ मिलने की आशा करूं।

धर्मपत्नी ने चिन्तित होकर कहा–भोजनों का भी तो कोई सहारा चाहिए।

मोटेराम–तुम्हें जब देखो, पेट ही की फ़िक्र पड़ी रहती है। कोई ऐसा विरला ही दिन जाता होगा कि निमन्त्रण न मिलते हों, और चाहे कोई निन्दा करें, पर मैं परोसा लिए बिना नहीं आता हूं। आज ही सब यजमान मरे जाते हैं? मगर जन्म-भर पेट ही जिलया तो क्या किया। संसार का कुछ सुख भी तो भोगन चाहिए। मैंने वैद्य बनने का निश्चय किया है।

स्त्री ने आश्चर्य से कहा–वैद्य बनोगे, कुछ वैद्यकी पढ़ी भी है?

मोटे–वैद्यक पढ़ने से कुछ नहीं होता, संसार में विद्या का इतना महत्व नहीं जितना बुद्धि का। दो-चार सीधे-सादे लटके हैं, बस और कुछ नहीं। आज ही अपने नाम के आगे भिषगाचार्य बढ़ा लूंगा, कौन पूछने आता है, तुम भिषगाचार्य हो या नहीं। किसी को क्या ग़रज़ पड़ी है जो मेरी परिक्षा लेता फिरे। एक मोटा-सा साइनबोर्ड बनवा लूंगा। उस पर शब्द लिखें होंगे–यहां स्त्री पुरुषों के गुप्त रोगों की चिकित्सा विशेष रूप से की जाती है। दो-चार पैसे का हड़-बहेड़ा-आंवला कुट छानकर रख लूंगा। बस, इस काम के लिए इतना सामान पर्याप्त है। हां, समाचारपत्रों में विज्ञापन दूंगा और नोटिस बंटवाऊंगा। उसमें लंका, मद्रास, रंगून, कराची आदि दूरस्थ स्थानों के सज्जनों की चिट्ठियां दर्ज की जाएंगी। ये मेरे चिकित्सा-कौशल के साक्षी होंगे जनता को क्या पड़ी है कि वह इस बात का पता लगाती फिरे कि उन स्थानों में इन नामों के मनुष्य रहते भी हैं, या नहीं फिर देखो वैद्य की कैसी चलती है।

स्त्री–लेकिन बिना जाने-बूझे दवा दोगे, तो फ़ायदा क्या करेगी?

मोटे–फ़ायदा न करेगी, मेरी बला से। वैद्य का काम दवा देना है, वह मृत्यु को परास्त करने का ठेका नहीं लेता, और फिर जितने आदमी बीमार पड़ते हैं, सभी तो नहीं मर जाते। मेरा यह कहना है कि जिन्हें कोई औषधि नहीं दी जाती, वे विकार शान्त हो जाने पर ही अच्छे हो जाते हैं। वैद्यों को बिना मांगे यश मिलता है। पांच रोगियों में एक भी अच्छा हो गया, तो उसका यश मुझे अवश्य ही मिलेगा। शेष चार जो मर गये, वे मेरी निन्दा करने थोड़े ही आवेंगे। मैंने बहुत विचार करके देख लिया, इससे अच्छा कोई काम नहीं है। लेख लिखना मुझे आता ही है, कवित्त बना ही लेता हूं, पत्रों में आयुर्वेद-महत्व पर दो-चार लेख लिख दूंगा, उनमें जहां-तहां दो-चार

कवित्त भी जोड़ दूंगा और लिखूंगा भी जरा चटपटी भाषा में। फिर देखो कितने उल्लू फंसते हैं यह न समझो कि मैं इतने दिनों केवल बूढ़े तोते ही रटाता रहा हूं। मैं नगर के सफल वैद्यों की चालों का अवलोकन करता रहा हूं और इतने दिनों के बाद मुझे उनकी सफलता के मूल-मंत्र का ज्ञान हुआ है। ईश्वर ने चाहा तो एक दिन तुम सिर से पांव तक सोने से लदी होगी।

स्त्री ने अपने मनोल्लास को दबाते हुए कहा–मैं इस उम्र में भला क्या गहने पहनूंगी, न अब वह अभिलाषा ही है, पर यह तो बताओ कि तुम्हें दवाएं बनानी भी तो नहीं आती, कैसे बनाओगे, रस कैसे बनेंगे, दवाओं को पहचानते भी तो नहीं हो।

मोटे–प्रिये! तुम वास्तव में बड़ी मूर्ख हो। अरे वैद्यों के लिए इन बातों में से एक भी आवश्यकता नहीं, वैद्य की चुटकी की राख ही रस है, भस्म है, रसायन है, बस आवश्यकता है कुछ ठाट-बाट की। एक बड़ा-सा कमरा चाहिए उसमें एक दरी हो, ताख़ों पर दस-पांच शीशीयां बोतल हो। इसके सिवा और कोई चीज़ दरकार नहीं, और सब कुछ बुद्धि आप ही आप कर लेती हैं। मेरे साहित्य-मिश्रित लेखों का बड़ा प्रभाव पड़ेगा, तुम देख लेना। अलंकारों का मुझे कितना ज्ञान है, यह तो तुम जानती ही हो। आज इस भूमंडल पर मुझे ऐसा कोई नहीं दिखता जो अलंकारों के विषय में मुझ से पेश पा सके। आख़िर इतने दिनों घास तो नहीं खोदी है! दस-पांच आदमी तो कवि-चर्चा के नाते ही मेरे यहां आया जाया करेंगे। बस, वही मेरे दल्लाह होंगे। उन्हीं की मारफ़त मेरे पास रोगी आवेंगे। मैं आयुर्वेद-ज्ञान के बल पर नहीं नायिका-ज्ञान के बल पर धड़ल्ले से वैद्यक करूंगा, तुम देखती तो जाओ।

स्त्री ने अविश्वास के भाव से कहा–मुझे तो डर लगता है कि कहीं यह विद्यार्थी भी तुम्हारे हाथ से न जाए। न इधर के रहो न उधर के। तुम्हारे भाग्य में तो लड़के पढ़ाना लिखा है, और चारों ओर से ठोकर खाकर फिर तुम्हें ही तोते रटाने पड़ेंगे।

मोटे–तुम्हें मेरी योग्यता पर विश्वास क्यों नहीं आता?

स्त्री–इसलिए कि तुम वहां भी धूर्तता करोगे। मैं तुम्हारी धूर्तता से चिढ़ती हूं। तुम जो कुछ नहीं हो और नहीं हो सकते, बक क्या बनना चाहते हो? तुम लीडर न बन सके, न बन सके, सिर पटककर रह गये। तुम्हारी धूर्तता ही फलीभूत होती है और इसी से मुझे चिढ़ है। मैं चाहती हूं कि तुम भले आदमी बनकर रहो। निष्कपट जीवन व्यतीत करो। मगर तुम मेरी बात कब सुनते हो?

मोटे–आख़िर मेरा नायिका-ज्ञान कब काम आवेगा?

स्त्री–किसी रईस की मुसाहिबी क्यों नहीं कर लेते? जहां दो-चार सुन्दर कवित्त सुना दोगे। वह ख़ुश हो जाएगा और कुछ न कुछ दे ही मारेगा। वैद्यक का ढोंग क्यों रचते हो!

मोटे–मुझे ऐसे-ऐसे गुर मालूम हैं जो वैद्यों के बाप-दादों को भी न मालूम होंगे। और सभी वैद्य एक-एक, दो-दो रुपये पर मारे-मारे फिरते हैं, मैं अपनी फ़ीस पांच रुपये रखूंगा, उस पर सवारी का किराया अलग। लोग यही समझेंगे कि यह कोई बड़े वैद्य है नहीं तो इतनी फ़ीस क्यों होती?

स्त्री को अबकी कुछ विश्वास आया बोली–इतनी देर में तुमने एक बात मतलब की कही है। मगर यह समझ लो, यहां तुम्हारा रंग न जमेगा, किसी दूसरे शहर को चलना पड़ेगा।

मोटे–(हंसकर) क्या मैं इतना भी नहीं जानता। लखनऊ में अड्डा जमेगा अपना। साल-भर में वह धाक बांध दूं कि सारे वैद्य गर्द हो जाएं। मुझे और भी कितने ही मन्त्र आते हैं। मैं रोगी को दो-तीन बार देखे बिना उसकी चिकित्सा ही न करूंगा। कहूंगा, मैं जब तक रोगी की प्रकृति को भली-भांति पहचान न लूं, उसकी दवा नहीं कर सकता। बोलो, कैसी रहेगी?

स्त्री की बांछे खिल गई, बोली–अब मैं तुम्हें मान गई, अवश्य चलेगी तुम्हारी वैद्यकी, अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा। मगर ग़रीबों के साथ यह मंत्र न चलाना नहीं तो धोखा खाओगे।

साल भर गुज़र गया।

भिषगाचार्य पण्डित मोटेराम जी शास्त्री की लखनऊ में धूम मच गई। अलंकारों का ज्ञान तो उन्हें था ही, कुछ गा-बजा भी लेते थे। उस पर गुप्त रोगों के विशेषज्ञ, रसिकों के भाग्य जागें। पण्डित जी उन्हें कवित सुनाते, हंसाते और बलकारक औषधियां खिलाते और वह रईसों में, जिन्हें पुष्टिकारक औषधियों की विशेष चाह रहती है, उनकी तारीफ़ों के पुल बांधते। साल ही भर में वैद्यजी का वह रंग जमा, कि शयद गुप्त रोगों के चिकित्सक लखनऊ में एकमात्र वही थे। गुप्त रूप से चिकित्सा भी करते। विलासिनी विधवारानियों और शौकीन अदूरदर्शी रईसों में आपकी ख़ूब पूजा होने लगी। किसी को अपने सामने समझते ही न थे।

मगर स्त्री उन्हें बराबर समझाया करती कि रानियों के झमेले में न फंसों, नहीं तो एक दिन पछताओगे।

मगर भावी तो होकर ही रहती है, कोई लाख समझाये-बुझाये। पंडितजी के उपासकों में बिड़हल की रानी भी थी। राजा साहब का स्वर्गवास हो चुका था, रानी साहिबा न जाने किस जीर्ण रोग से

ग्रस्त थी। पण्डितजी उनके यहां दिन में पांच-पांच बार जाते। रानी साहिबा उन्हें एक क्षण के लिए भी देर हो जाती तो बेचैन हो जाती, एक मोटर नित्य उनके द्वार पर खड़ी रहती थी। अब पण्डित जी ने ख़ूब केचुल बदली थी। तंजेब की अचकन पहनते, बनारसी साफ़ा बांधते और पम्प जूता डाटते थे। मित्रगण भी उनके साथ मोटर पर बैठकर दनदनाया करते थे। कई मित्रों को रानी सहिबा के दरबार में नौकर रखा दिया। रानी साहिबा भला अपने मसीहा की बात कैसे टालती।

मगर चर्खे जफाकार और ही षड्यंत्र रच रहा था।

एक दिन पण्डितजी रानी साहिबा की कलाई पर एक हाथ रखे नब्ज़ देख रहे थे, और दूसरे हाथ से उनके हृदय की गति की परिक्षा कर रहे थे कि इतने में कई आदमी सोटे लिए हुए कमरे में घुस आये और पण्डितजी पर टूट पड़े। रानी भागकर दूसरे कमरे की शरण ली और किवाड़ बन्द कर लिए। पण्डितजी पर बेभाव पड़ने लगे। यूं तो पण्डितजी भी दमखम के आदमी थे, एक गुप्ती संदैव साथ रखते थे। पर जब धोखे में कई आदमियों ने धर दबाया तो क्या करते? कभी इसका पैकर पकड़ते कभी उसका। हाय-हाय! का शब्द मुंह से निकल रहा था पर उन बेरहमों को उन पर ज़रा भी दया न आती थी, एक आदम ने एक लात जमाकर कहा–इस दुष्ट की नाक काट लो।

दूसरा बोला–इसके मुंह में कालिख और चूना लगाकर छोड़ दो।

तीसरा–क्यों वैद्यजी महाराज, बोलो क्या मंज़ूर है? नाक कटवाओगे या मुंह में कालिख लगवाओगे?

पण्डित–भूलकर भी नहीं सरकार। हाय मर गया!

दूसरा–आज ही लखनऊ से रफैरट हो जाओ नहीं तो बुरा होगा।

पण्डित–सरकार मैं आज ही चला जाऊंगा। जनेऊ की शपथ खाकर कहता हूं। आप यहां मेरी सूरत न देखेंगे।

तीसरा–अच्छा भाई, सब कोई इसे पांच-पांच लाते लगाकर छोड़ दो।

पण्डित–अरे सरकार, मर जाऊंगा, दया करो।

चौथा–तुम जैसे पाखंडियों का मर जाना ही अच्छा है। हां तो शुरू हो।

पंचलत्ती पड़ने लगी, धमाधम की आवाज़ें आने लगी। मालूम होता था नगाड़े पर चोट पड़ रही है। हर धमाके के बाद एक बार हाय की आवाज़ निकल



आती थी, मानों उसकी प्रतिध्वनी हो।

पंचलत्ती पूजा समाप्त हो जाने पर लोगों ने मोटेराम जी को घसीटकर बाहर निकाला और मोटर पर बैठाकर घर भेज दिया, चलते-चलते चेतावनी दे दी, कि प्रात:काल से पहले भाग खड़े होना, नहीं तो और ही इलाज किया जाएगा।

मोटेराम जी लंगड़ाते, कराहते, लकड़ी टेकते घर में गए और धम से गिर पड़े चारपाई पर गिर पड़े। स्त्री ने घबराकर पूछा–कैसा जी है? अरे तुम्हारा क्या हाल है? हाय-हाय यह तुम्हारा चेहरा कैसा हो गया!

मोटे–हाय भगवान, मर गया।

स्त्री–कहां दर्द है? इसी मारे कहती थी, बहुत रबड़ी न खाओ। लवणभास्कर ले आऊं?

मोटे–हाय, दुष्टों ने मार डाला। उसी चाण्डालिनी के कारण मेरी दुर्गति हुई। मारते-मारते सबों ने भुरकुस निकाल दिया।

स्त्री–तो यह कहो कि पिटकर आये हो। हां, पिटे हो। अच्छा हुआ। हो तुम लातो ही के देवता। कहती थी कि रानी के यहां मत आया-जाया करो। मगर तुम कब सुनते थे।

मोटे–हाय, हाय! रांड, तुझे भी इसी दम कोसने की सूझी। मेरा तो बुरा हाल है और तू कोस रही है। किसी से कह दे, ठेला-वेला लावे, रातो-रात लखनऊ से भाग जाना है। नहीं तो सबेरे प्राण न बचेंगे।

स्त्री–नहीं, अभी तुम्हारा पेट नहीं भरा। अभी कुछ दिन और यहां की हवा खाओ! कैसे मज़े से लड़के पढ़ात थे, हां नहीं तो वैद्य बनने की सूझी। बहुत अच्छा हुआ, अब उम्र भर न भूलोगे। रानी कहां थी कि तुम पिटते रहे और उसने तुम्हारी रक्षा न की।

पण्डित–हाय, हाय वह चुड़ैल तो भाग गई। उसी के कारण । क्या जानता था कि यह हाल होगा, नहीं तो उसकी चिकित्सा ही क्यों करता?

स्त्री–हो तुम तक़दीर के खोटे। कैसी वैद्यकी चल गई थी। मगर तुम्हारी करतूतों ने सत्यानाश मार दिया। आख़िर फिर वही पढ़ौनी करनी पड़ी। हो तक़दीर के खोटे।

प्रात:काल मोटेराम जी के द्वार पर ठेला खड़ा था और उस पर असबाब लद रहा था। मित्रों में एक भी नज़र न आता था। पण्डित जी पड़े कराह रहे थे और स्त्री सामान लदवा रही थी। ■■

सोच-विचार का आमंत्रण

आख़िरी पन्ना



नसीम ग़ाज़ी

"कहो, "मैं तुम्हें बस एक बात की नसीहत करता हूं कि अल्लाह के लिए दो-दो और एक-एक करके उठ खड़े हो, फिर विचार करो।"

(क़ुरआन, 34:46)

यह युग ज्ञान-विज्ञान और शोध और खोजों का युग है और दुनिया में बहरहाल ऐसे लोगों की बड़ी संख्या मौजूद हैं जो जानकारी और शोध के बाद ही किसी के बारे में कोई राय बनाते हैं। ऐसे बहुत-से लोगों से हमारी मुलाक़ातें हुई हैं और होती रहती हैं, जिन्होंने दुष्प्रचार से प्रेरित होकर इस्लाम और क़ुरआन का उसके सही स्रोतों से अध्ययन किया और इस्लाम



की तर्कसंगत, संतुलित और सत्य पर आधारित कल्याणकारी शिक्षाओं से प्रभावित हुए बिना न रह सके।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि क़ुरआन चाहता है कि एक ईश्वर के सिवा किसी अन्य को पूज्य-प्रभु न माना जाए। उसे ही स्रष्टा, पालनहार, स्वामी परमप्रीतम, सर्वशक्तिमान, अन्तर्यामी, आजीविकादाता, आवश्यकताएं पूरी करने वाला, चिंतानाशक, सुखदाता, मृत्यु और जीवन का स्वामी और वास्तविक शासक, निर्बाध आज्ञा मानने योग्य और प्रलय के दिन इन्सानों का हिसाब-किताब लेने वाला स्वीकार किया जाए। उसे निराकार माना जाए और उसका बुत न बनाया जाए, लेकिन क़ुरआन अपनी इस सही और उचित बात को भी बलपूर्वक और ज़ोर-ज़बरदस्ती से नहीं मनवाता, बल्कि इसके लिए वह प्रमाण देता, सदुपदेश और सोच-विचार करने का आमंत्रण देता है। क़ुरआन की यह शिक्षा और आदेश कदापि नहीं है कि जो इन बातों को स्वीकार न करे उससे युद्ध किया जाए और उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। यह एक बिल्कुल ही झूठा आरोप है जो क़ुरआन और इस्लाम पर लगाया जाता है।

क़ुरआन में तो जगह-जगह यह बात कही गई हैं कि इस दुनिया में इन्सान को सोच-विचार एवं कार्य की स्वतंत्रता देकर परीक्षा के लिए भेजा गया है और बलपूर्वक किसी विशेष धारणा को अपनाने पर विवश नहीं किया गया है। इस दुनिया (कर्म-क्षेत्र) में वह जो भी नीति अपनाएगा मृत्यु के बाद आने वाले पारलौलिक जीवन में उसके अनुसार

वह इनाम या सज़ा पाएगा। शक्ति या तलवार के द्वारा किसी को अपनी धारणा अपनाने पर विवश करने की शिक्षा और आदेश अगर क़ुरआन देता तो फिर इस दशा में परीक्षा का वह उद्देश्य ही समाप्त हो जाता जिसका उल्लेख क़ुरआन में बार-बार किया गया है।

क़ुरआन में एक जगह परमेश्वर ने अपने पैग़म्बर से कहा–

''(ऐ पैग़म्बर!) ऐसा लगता है कि अगर इन लोगों ने इस शिक्षा को ग्रहण नहीं किया तो तुम इनके पीछे दुख के मारे अपने प्राण ही दे दोगे। सत्य यह है कि जो कुछ सुख-सामग्री भी ज़मीन पर है, उसको हमने ज़मीन का सौन्दर्य बनाया है ताकि लोगों की परीक्षा लें कि उनमें कौन उत्तम कर्म करने वाला है।''

(क़ुरआन, 26:3)

''(ऐ पैग़म्बर!) अपने प्रभु की ओर से (लोगों के सामने) सत्य पेश कर दो। अब जो चाहे उसे माने और जो चाहे इन्कार करे।'' (क़ुरआन, 18:29)

क़ुरआन और इस्लाम के बारे में ग़लत और भ्रामक प्रचार करने वाली संस्थाओं और उनके समान विचार रखने वाले लोगों के मन में कभी यह विचार नहीं आता कि जब इस्लाम और क़ुरआन की सही शिक्षाएं और सही तस्वीर लोगों के सामने आएगी तो लोगों की उनके बारे में क्या राय बनेगी। सारी दुनिया तो उनके समान विचार वाली नहीं है कि लोग आंखे बन्द करके उनकी बातों को सत्य मान लेंगे।

हिन्दू धर्म के ग्रन्थों में एकेश्वरवाद और अनेकेश्वरवाद तथा मूर्तिपूजा से सम्बन्धित मूल्यवान शिक्षाएं और उनके अच्छे या बुरे परिणामों का विस्तार से उल्लेख मिलता है। हम सिर्फ़ वेदों से कुछ श्लोक यहां प्रस्तुत कर रहे हैं-

• स पर्यागाच्छुक्रमकायम

(यजुर्वेद 40:8)

''वह (ब्रहम्मा) शीघ्रकारी, सर्वशक्तिमान, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से रहित और सब और से व्याप्त हैं।''

''या क्या उन्होंने आकाशों और धरती के राज्य पर और जो चीज़ भी अल्लाह ने पैदा की है उस पर दृष्टि नहीं डाली, और इस बात पर कि कदाचित उनकी अवधि निकट आ लगी हो? फिर आख़िर इसके बाद अब कौन-सी बात हो सकती है जिस पर वे ईमान लाएंगे?''

(क़ुरआन, 7:185)

• ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवा अधि विश्वे निषेदु:।

यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत् तद् विदुस्त इसे समासते।।

(ऋ.1/164/39)

''परम आकाश के समान व्यापक और ऋचाओं के अक्षर के समान अविनाशी परमात्मा हैं, जिसमे सम्पूर्ण देवगण स्थित हैं। जो उस परम ब्रह्म को नही जानता, वह इन वेद-मंत्रो से क्या करेगा। जो उस परमतत्व को जानते हैं, वे ये विद्धान उत्तम स्थान मे बैठते हैं।''

• ईश्वर वा स्यमिद सर्व यित्कं च जगत्यां जगत्।

तेन त्यक्तेन भुज्जीथा मा गृध: कस्य स्विद्धनम्।। (यजुर्वेद 40 : 1)

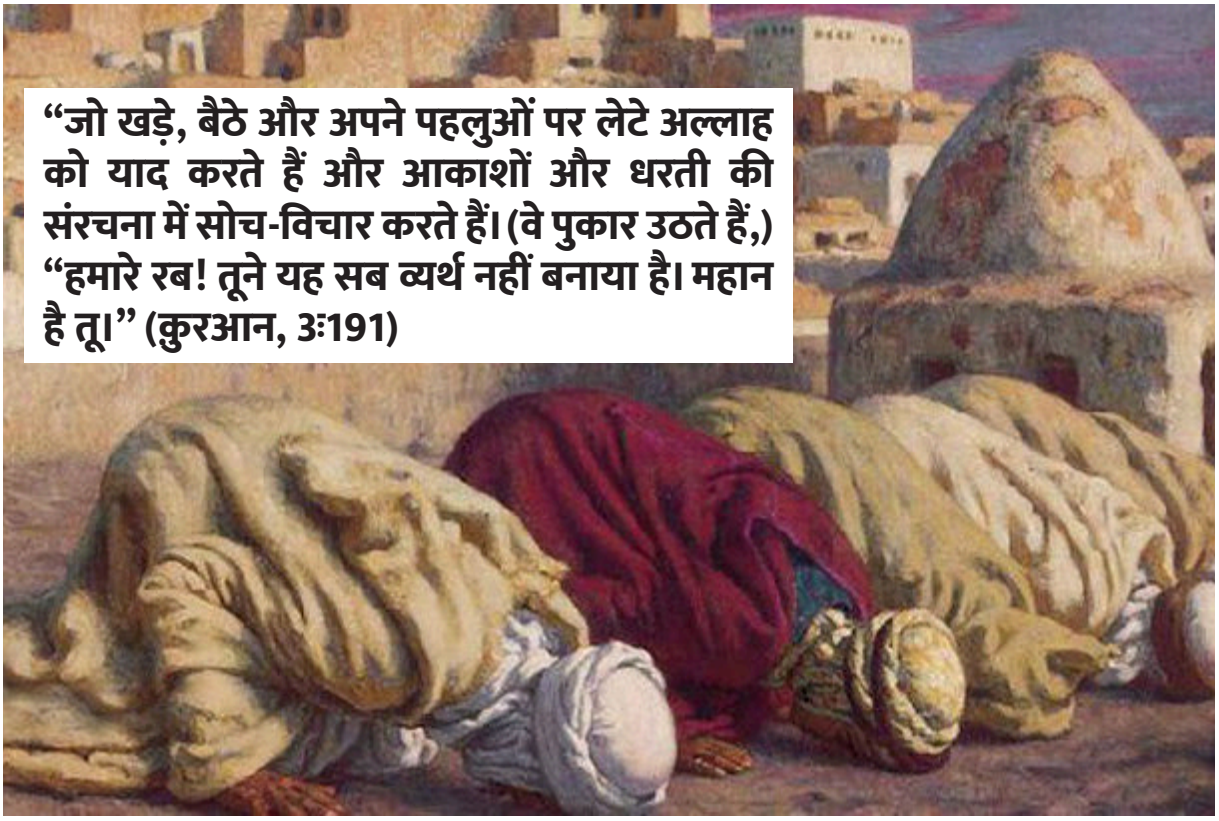
'' हे मनुष्य! जो कुछ इस संसार में जगत है उस सबमें व्याप्त होकर नियान्ता है वह ईश्वर कहता है। उससे डर कर तू अन्याय से किसी के धन की आकांक्षा मत कर। उस अन्याय के त्याग और न्यायाचरणरूप् धर्म से अपने आत्मा से आनंद को भोग।''

इस श्लोक में साफ़ तौर पर इन्सानों को एक ईश्वर को मानने और उससे डर कर जीवन व्यतीत करते और अन्याय से बचने का आदेश दिया गया है और बताया गया है कि इसी नीति पर चलकर सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है।

• अहमिन्द्रो न परा जिग्य इद्धनं न तृत्यवेव तस्थे कदा चन।

सोममिन्मा सुवन्तों याचता वसु न मे पूरव: सख्ये रिषाथन।। (ऋ.10/48/5)

''मैं परमैश्वयर्यवान सूर्य के सदृश जगत का प्रकाशक हूं। कभी पराजय को प्राप्त नहीं होता और न कभी मृत्यु को प्राप्त होता हूं। मैं ही जगत रूप् धन का निर्माता हूं। सब जगत की उत्पत्ति करने वाले मुझ ही को जानों। हे जीवों! ऐश्वर्य प्राप्ति के यत्न करते हुए तुम लोग विज्ञानादि धन को मुझ से मांगो और तुम



“जो खड़े, बैठे और अपने पहलुओं पर लेटे अल्लाह को याद करते हैं और आकाशों और धरती की संरचना में सोच-विचार करते हैं। (वे पुकार उठते हैं,) “हमारे रब! तूने यह सब व्यर्थ नहीं बनाया है। महान है तू।” (क़ुरआन, 3ः191)

लोग मेरी मित्रता से अलग मत हो ओ।’’

• अहं दां गृणते पूर्व्य वस्वह ब्रह्म कृणवं मह्यं वर्धनम्।

अहं भुवं यजमानस्य चोदितायज्वन: साक्षि विश्वस्मिन भरे।।

(ऋ.10/49/1)

‘‘हे मनुष्यों! मैं सत्य भाषणरूप स्तूति करने वाले मनुष्य को सनातन ज्ञानादि धन को देता हूं। मैं ब्रह्म अर्थात् वेद का प्रकाश करनेहारा और मुझको वह वेद यथावत कहता उससे सबके ज्ञान को मै बढ़ाया, मैं सत्यपुरुष का प्रेरक यज्ञ करनेहारे को फलप्रदाता और इस विश्व में जो कुछ है उस सब कार्यर्य का बनाने और धारण करने वाला हूं। इसलिए तुम लोग मुझको छोड़ किसी को मेरे स्थान में मत पूजो, मत मानों और मत जानों।’’

• अन्धं तम: प्रविशन्ति येसंभूतिमुपासते।

ततो भूय इ वते तमो य उ सम्भूत्यां रता:।। (यजुर्वेद 40:9)

‘‘जो असंभूति अर्थात् अनुत्पन्न अनादि प्रकृति कारण की ब्रह्म के स्थान में उपासना करते हैं वे अन्धकार अर्थात् अज्ञान और दु:ख सागर में डूबते हैं। और संभूति जो कारण से उत्पन्न हुए कार्यरूप पृथ्वी आदि भूत, पाषाण और वृक्षादि अवयव और मनुष्यादि के शरीर की उपासना ब्रह्म के स्थान में करते हैं वे उस अन्धकार से भी अधिक अन्धकार अर्थात् महामूर्ख चिरकाल घोर दु:ख रूप नरक में गिरके महाक्लेश भोगते हैं।’’

यहां भी हम देखते हैं कि एक परमेश्वर को छोड़कर किसी अन्य की उपासना करने वाले को वेद में नरक की यातना की सूचना दी गई है।

• ‘न तस्य प्रतिमा अस्ति’

(यजुर्वेद 32:3)

‘‘उस परमेश्वर की प्रतिमा नहीं है।’’

• यच्चक्षुषा न प्यति येन चक्षुरुषि पश्यति। तदेव ब्रहमत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते।। (केनोपनिषद् 1:6)

‘‘जिसे चक्षु (आंख) के द्वारा नहीं देखा जा सकता, अपितु चक्षु (आंख) जिसकी महिमा से देखने मे सक्षम होता हैं, उसे ही तुम ब्रह्म्मा जानों। चक्षु (आंख) के द्वारा द्रष्टव्य (दिखने वाले) जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है।

हम देखते हैं कि उपर्युक्त में एक ईश्वर ही को मानने की शिक्षा दी गई है और अनेकेश्वरवाद और मूर्तिपूजा से स्पष्ट रूप से रोका गया है और इस पर यातना से भी डराया गया है। इस प्रकार की शिक्षाएं वेदों में बहुतायत से मौजूद है।

वेदों और अन्य हिन्दू ग्रन्थों में इन शिक्षाओं के होते हुए हिन्दू धार्मिक संस्थाओं और उनके सहयोगी अन्य लोगों ने क़ुरआन पर जो आक्षेप किए हैं उन्हें देखकर इन लोगों के दुस्साहस पर आश्चर्य भी होता है और दुख भी! इन आक्षेपकर्ताओं ने कितनी अन्याययुक्त रीति से काम लेकर क़ुरआन और इस्लाम से लोगों को दूर करने का घृणित प्रयास किया है। ■■

फ़लाह पाने वाले!

रसूल (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया :
उस शख़्स ने फ़लाह पाई जिसने (अपने रब
की) इताअत कर ली और उसे बक़द्र
ज़रूरते-रिज़्क़ अता किया गया और
अल्लाह ने जो उसे अता किया उस
पर उसने क़नाअत इख़्तियार की।

(मिश्कात : 5165)

KANTI Monthly, New Delhi
MAY 2023
Posted on 20-21 April 2023
Published on 18 April 2023
Posted Delhi RMS Delhi-110006

RNI 53372/91
DL(S)-05/3147/2021-2023
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U(SE)-73/2021-2023
Total Pages with Cover: 52

अल्लाह के रसूल ने इरशाद फ़रमाया :

मैं अच्छे अख़्लाक़ को

मुकम्मल करने के लिए भेजा गया हूं।

(इमाम मालिक : 705)

With Best Compliment from

sagar

SAGAR FEEDS & FOODS PROCESSING INDUSTRIES

Plot No. L-21, Gidc Concolim Industrial Estate
Concolim-403703 GOA
Email: sagarffpi@gmail.com